भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

(Website: www.rbi.org.in)

(केवल ई-टेंडरिंग/e-Tendering only)

निविदा दस्तावेज़/Tender Document

तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए निविदा - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड़।

Tender for Housekeeping Services for the Bank's various properties located at Thiruvananthapuram – (a) Main Office Premises, Bakery Junction (b) Reserve Bank Officers' Quarters, Kowdiar and Reserve Bank Staff Quarters at (c) Thamalam (d) Plamoodu and (e) Nanthancode.

निविदाकार का नाम/Name of the Tenderer: _____

पता/Address: _____

_____

_____

_____

मोबाइल नं./Mobile no. _____

ई-मेल आईडी/E-mail ID _____

जमा करने की अंतिम तिथि/Due Date of Submission	**27 फरवरी, 2026 (अपराह्न 2:00 बजे तक)/ February 27, 2026 (up to 14:00hrs)**
निविदा की वैधता/Validity of Tender	निविदा के भाग 1 के खोलने की तिथि से 90 दिन और आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार/ 90 days from the date of opening of Part 1 of the tender and further extension of validity under mutual agreement
बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)/Pre-Bid Meeting (Offline)	13 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे/ 11:00 hrs. on February 13, 2026

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग तिरुवनंतपुरम

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(सिर्फ़ ई-प्रोक्योरमेंट के ज़रिए)

<u>निविदा की अनुसूची (SOT)</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (जिसे आगे 'बैंक' या 'RBI' कहा जाएगा) तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (बेकरी जंक्शन) और आवासीय कॉलोनियों (कवड़ियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड) में वार्षिक रखरखाव संविदा (AMC) के तहत हाउसकीपिंग सेवाएँ देने के लिए दो हिस्सों (भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली) में ई-निविदा मंगा रहा है। निविदा MSTC Ltd (www.mstcecommerce.com/eprocn) के ई-निविदा पोर्टल के ज़रिए की जाएगी। सभी इच्छुक प्रदाताओं और ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए MSTC Ltd के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। शुरू में, यह संविदा 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक वैध रहेगा और इसे बैंक के तय किए गए जाने पर एक साल तक के लिए बढ़ाया जाएगा, और संतोषजनक प्रदर्शनऔर/या बैंक के तय किए गए दूसरे मापदंडों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ई-निविदा की अनुसूची इस तरह है:

क. ई-निविदा का नाम:	तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए **हाउसकीपिंग सेवाओं के** लिए निविदा – (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड़
ख. ई-निविदा संख्या:	RBI/Thiruvananthapuram Regional Office/Estate/20/25-26/ET/861
ग. निविदा का प्रकार	**ई-खरीद प्रणाली** (**भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली** और **भाग II – मूल्य बोली** (www.mstcecommerce.com/eprocn) के ज़रिए
घ. कार्य की अनुमानित लागत	लगभग **₹2,60,00,000/- (केवल दो करोड़ साठ लाख)** प्रति वर्ष सभी लागू करों सहित

ड़ . बयाना राशि जमा (ईएमडी)	**<u>NEFT या BG</u> (अनुलग्नक E के अनुसार) के रूप में,** भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में, भौतिक रूप में सम्पदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 पर 27 फरवरी, 2026 को 13:00 बजे या उससे पहले जमा करने होंगे। **₹5,20,000/- के EMD भुगतान के लिए NEFT की जानकारी** **लाभार्थी का नाम:** **ESTATE<space>HOUSEKEEPING<space>आपकी फर्म का नाम** **लाभार्थी खाता संख्या: 8614038** **IFSC: RBIS0THPA01** (5 वां और 10 वां अंक शून्य है) **टिप्पणी: Estate Housekeeping** भेजे गए पैसे का प्रमाण, जिसमें ट्रांज़ैक्शन नंबर और दूसरी जानकारी हों, ई-निविदा दस्तावेजों के साथ ई-निविदा पोर्टल (MSTC) पर अपलोड करना होगा।
च. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	27 फरवरी, 2026 को 13:00 बजे तक
छ. प्रदर्शन बैंक गारंटी	निविदा मूल्य का 5% (सफल बोली लगाने वाले को जमा करना होगा)
ज. NIT / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए RBI वेबसाइट/MSTC पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है।	16 जनवरी 2026
झ. बोली पूर्व बैठक की तिथि (ऑफलाइन)	13 फरवरी2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम- 695033
त्र. MSTC पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथी	17 फरवरी 2026 को अपराह्न 6:00 बजे
ट. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-नीविदा की अंतिम तिथी	27 फरवरी, 2026 को अपराह्न 2:00 बजे तक

ठ. भाग I (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खुलने की तारीख और समय भाग II (यानी मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	27 फरवरी 2026 को अपराह्न 3:00 बजे भाग II (यानी मूल्य बोली) सिर्फ़ उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी जिनकी भाग I (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को मंज़ूर होगी। भाग II (यानी मूल्य बोली) खोलने की तारीख सफल बोलीदाताओं को वैध ई-मेल द्वारा बताई जाएगी।
ड. लेनदेन शुल्क	जैसा लागू हो और एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा चार्ज किया जाए। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान एमएसटीसी गेटवे /एनईएफटी / आरटीजीएस के ज़रिए एमएसटीसी लिमिटेड के नाम पर या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की सलाह के अनुसार करें।
ढ. निविदा की वैधता	निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि से 90 दिन तथा आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार समझौता

2. ठेकेदार ध्यान दें कि नए एमएसटीसी पोर्टल का रास्ता www.mstcecommerce.com →ई-प्रोक्योरमेंट →कॉमन पोर्टल →वेंडर लॉगिन है।

3 जिन आवेदकों को निविदा जमा करने की इच्छा है, उन्हें आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य जमा करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। अन्यथा, बैंक उनके उम्मीदवारी को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। किसी भी परिस्थिति में बिना ईएमडी वाले निविदाओं का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. बैंक केवल कम मूल्य वाले निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक का अधिकार है कि वह टेंडर को पूरा या उसके किसी भाग को स्वीकार कर सकता है। बैंक सभी टेंडरों को किसी भी कारण बताए बिना अस्वीकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. भविष्य में जारी किए जाने वाले टेंडर में किए जाने वाले संशोधन / सुधार केवल आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
(केरल और लक्षद्वीप)

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उसके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस परियोजना को आगे न बढ़ाने, परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन न करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक इस मामले में इच्छुक किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

बैंक की विभिन्न सम्पत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई- निविदा, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवडियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर निम्नलिखित स्थानों पर: (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड।

विषयसूची

क्रम संख्या	अनुभाग/अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ सं.
		भाग I	
1	खंड I	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी निर्देश	9-13
2	खंड II	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली के बारे में सामान्य निर्देश	14-19
3	खंड III	निविदा का प्रारूप	20-22
4	खंड IV	समझौते के लेख	23-46
5	खंड V	निविदा देने वालों के लिए सामान्य निर्देश और संविदा की खास शर्तें	47-57
6	खंड VI	व्याख्या खंड	58-63
7	धारा VII	नियम और शर्तें	64-67
8	धारा VIII	कार्य का विस्तृत दायरा	68-87
9	धारा IX	प्रस्तावना	88-89
10	खंड X	सुरक्षा कोड	90-91
11	धारा XI	अग्नि सुरक्षा कोड	92
12	अनुलग्नक ए	ग्राहक प्रमाणपत्र	93-94
13	अनुलग्नक बी	आपूर्तिकर्ता विवरण	95-96
14	अनुलग्नक सी	ईएमडी भुगतान संदर्भ	97
15	अनुलग्नक डी	परफॉरमेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	98-101
16	अनुलग्नक ई	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	102-103
17	अनुलग्नक एफ	पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के पात्रता संबंधी कामों की जानकारी	104
18	अनुलग्नक जी	बायोडाटा फॉर्म	105
19	अनुलग्नक एच	किसी अनुसूचित बैंक से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र	106
20	अनुलग्नक आई	बैंकों का विवरण	107
21	अनुलग्नक जे	कॉन्ट्रैक्ट लेबर रूल्स/रेगुलेशन के खिलाफ नियोक्ता को हर्जाना देने के लिए प्रोफॉर्मा	108
22	अनुलग्नक के	निविदा के भाग I के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची	109-110
		संदर्भ के लिए भाग II	
23	प्रारूप – I	मूल्य बोली	112-116

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई- निविदा

भाग-I
तकनीकी वाणिज्यिक बोली

जमा करने की आखिरी तारीख:	**27 फरवरी 2026 (अपराह्न 2:00 बजे तक)**
निविदा की वैधता:	**निविदा के भाग-I के खोलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैधता का आगे विस्तार**
बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	**13 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे**

खंड I

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्य है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं।
2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा ।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (RBI – केवल कार्यालय समय के दौरान):

सीनियर	नाम	ईमेल आईडी	संपर्क नंबर।
1)	श्री हरिदास पी जी, सहायक महाप्रबंधक	pgharidas@rbi.org.in; estatethiro@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783030
2)	श्री प्रसाद चोरगे, सहायक प्रबंधक	prasadchorage@rbi.org.in;	फ़ोन: 0471 2783052
3)	श्री सुजित एम, सहायक	sujithmu@rbi.org.in;	फ़ोन: 0471 2783033

संपर्क व्यक्ति (MSTC Ltd) (सिर्फ़ कार्यालयीन समय में):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

फ़ोन नंबर :07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड – केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	ईमेल आईडी	लैंडलाइन नंबर	मोबाइल नंबर
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmstc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in; tvcopn3@mstcindia.in	0471-2326686	08884600700

केरल शाखा कार्यालय विवरण:

पता: पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, प्रतिमा, तिरुवनंतपुरम-695001	मेल आईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686

मार्गदर्शक:

1. सिस्टम अनिवार्यता:

विवरण के लिए, विक्रेता https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध **डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है**

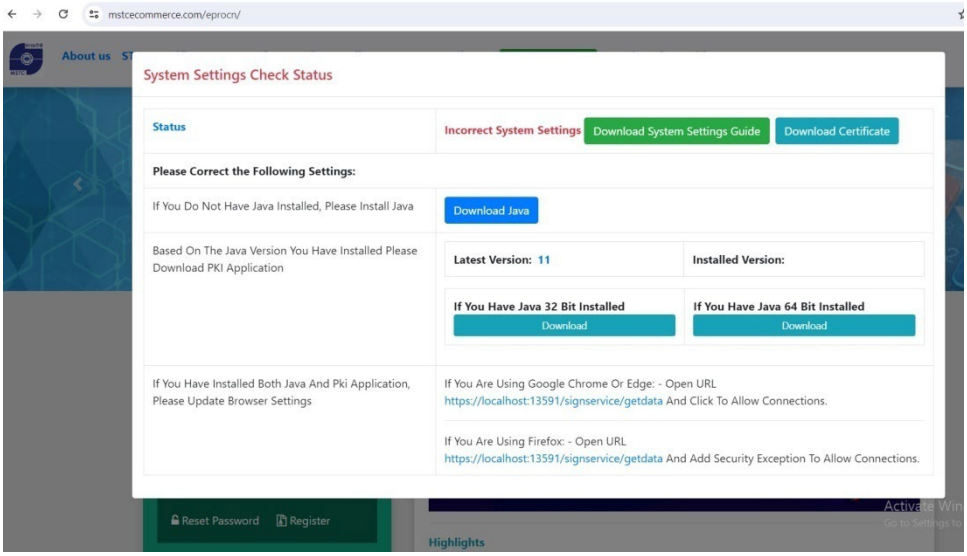

<u>2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट</u> : विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

<u>लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है</u> । लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

<u>नोट</u> : बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

<u>5. ई-निविदा में बोली लगाना</u> :

नोट: विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में ***दस्तावेज़ अपलोड करें*** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई - निविदा के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

a) बोलीदाताओं आवश्यक है कि वे ईएमडी, ई - निविदा शुल्क, यदि कोई हो, जमा करें और ई - निविदा के लिए अलग से लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा।
b) इस प्रक्रिया में तकनीकि वाणिज्कि बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है ।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, तो ही वे अपनी तकनीकि वाणिज्कि बोलियां और मूल्य बोलियां इंटरनेट के माध्यम से ही केवल एमएसटीसी की वेबसाइट **www.mstcecommerce.com** →ई – प्रोक्यूरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

c) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा । फिर विक्रेता को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए । टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद , बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए ' सेव ' पर क्लिक करना चाहिए । ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए " सेव " पर क्लिक करना चाहिए । फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए " फाइनल सबमिशन " बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " बोली हटाएं " विकल्प दिखाया जाएगा । यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

a) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए ।

b) संपूर्ण ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

c) ई - निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा ।

d) ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी । किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा।

e) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी **III** हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

f) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

g) - निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है । किसी भी बोलीदाता द्वारा ई - निविदा फ़्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई - निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है ।

h) माप की इकाई (यूओएम) ई - निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है । उद्धृत की जाने वाली दर ई - -निविदा फ्लोर / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए ।

निविदा के भाग I के खोलने के बाद निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है।

किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से होने वाला कोई भी ऑर्डर उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है। वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें तथा www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी सहित कुल लागत की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा **।**

महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले सभी ठेकेदारों को इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण तथा अन्य विनिर्देश/नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए। निष्पादन एवं दर उद्देश्य के लिए, इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरण को लागू किया जाएगा।

खंड – II

तकनीकी वाणिज्यिक और मूल्य बोलियों के बारे में सामान्य निर्देश (केवल ई- निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ने के लिए)

1.1. **भाग- I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली लगाना)**

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिजर्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर **,** (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹2,60,00,000 प्रतिवर्ष जीएसटी सहित /- अनुमानित लागत पर कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से दो भागों में ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

1.2. **निविदामें भाग लेने के लिए पात्रता मापदंड।**

जो कंपनी/फर्म/एजेंसी नीचे दिए गए पात्रता मापदंड को पूरा करती हैं, वे आवेदनकरने के लिए पात्र हैं।

क्रम.	मानदंड	मांग
1	पिछले अनुभव की अवधि	आवेदक के पास कम से कम 5 वर्षों का समान कार्य निष्पादन का अनुभव होना चाहिए, जो उस महीने के पिछले माह की अंतिम तिथि तक समाप्त हुआ हो जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदक को अपनी क्लाइंट सूची प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण हो। सूची में कार्य किए गए क्लाइंट का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू और समाप्त होने की तिथि आदि शामिल होना चाहिए। आवेदक को 5 वर्षों के न्यूनतम अनुभव का समर्थन करने के लिए प्रलेखित प्रमाण जमा करना होगा।
2	प्रत्येक पूरा किए हुए कार्य का न्यूनतम मान (पात्रता प्राप्त)	पिछले 5 वर्षों के दौरान जिनमें से आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले महीने के एक महीने पहले के महीने के अंतिम दिन तक समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: तीन समान कार्य जिनकी प्रत्येक लागत अनुमानित लागत के 40% (अर्थात ₹1,04,00,000/- प्रति वर्ष) से कम न हो या दो समान कार्य जिनकी व्यक्तिगत लागत अनुमानित लागत के 50% (अर्थात ₹1,30,00,000/- प्रति वर्ष) से कम न हो या एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अर्थात ₹2,08,00,000/- प्रति वर्ष) से कम न हो।

3	वार्षिक कारोबार	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कारोबार अनुमानित लागत (₹2,60,00,000/-) के बराबर होना चाहिए, अर्थात् 31 मार्च 2025 तक। (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट या सीए से टर्नओवर प्रमाण पत्र के साथ आईटीआर की प्रतियां जमा की जानी चाहिए)
4	सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रमाणपत्र	उम्मीदवार के बैंक द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य के लिए, जो अनुमानित लागत (₹2,60,00,000/-) के बराबर न्यूनतम राशि के लिए हो।लागत के बराबर हो। (₹2,60,00,000/-)

निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी होगी और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे ताकि बैंक उनके निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता के बारे में आश्वस्त हो सके, साथ ही निविदा फॉर्म के साथ।

कृपया खंड II के पैरा 1.4 का संदर्भ लें।

1.3. **कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण**

a) कंपनी/फर्म/एजेंसी के पूर्ण विवरण, विस्तार में, प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र, कंपनी का मेमोरैंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज तथा सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी पत्र, मुख्तारनामा (यदि कोई हो) और फर्म के सभी साझेदारों का विवरण; और एजेंसी या एकल मालिकाना हक के मामले में, इसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण उनके नाम और पते के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

b) पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण, कार्य आदेश, दस्तावेज और प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई हो, तो किसी अन्य केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए किए गए कार्यों का पूर्व अनुभव और उसके सम्बंधित दस्तावेजीय साक्ष्य भी दिए जाने चाहिए।

c) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए ठेकेदार के व्यवसाय के निर्दिष्ट खातों की एक प्रति के साथ नवीनतम अंतिम आदेश और बैंकरों से क्रेडिट योग्यता प्रमाणपत्र सहित आयकर आकलन आदेश संलग्न किए जाने चाहिए, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ताकि पिछले तीन वर्षों के लिए क्रेडिट योग्यता और कारोबार का प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

d) बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी पूरी विवरण के साथ प्रदान की जानी चाहिए, जैसे नाम, वर्तमान संपर्क डाक पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (कार्यकारी के लैंडलाइन और मोबाइल नंबर आदि) यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो।

1.4. **दस्तावेज़ जो अपलोड होने चाहिए**

(i) ई-टेंडर जमा करते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी 'mstcecommerce' पोर्टल के ज़रिए PDF फ़ॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड करनी होगी (हर फ़ाइल का साइज़ 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए)। एमबी):

a) पिछले 3 अकाउंटिंग सालों का ऑडिटेड या CA सर्टिफाइड अकाउंट स्टेटमेंट साल।

b) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग में फाइल किया गया आयकर परतावा।

c) लागू कर पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसे, पैन, जीएसटी, वगैरह।

d) संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।

e) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र और ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र।

f) निविदा देने वाले के बैंकर्स से खास तौर पर इस काम के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो अनुमानित लागत के बराबर रकम का हो, ताकि निविदाकर्ता की वित्तीय हालत का पता चल सके।

g) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति भारत।

h) MSME फर्म के लिए MSME पंजीकरण प्रमाणपत्र।

i) ग्राहक के हिसाब से काम के नाम, काम पूरा होने का साल, दिए गए काम की असली कीमत, जिन अधिकारियों/अधिकारियों/ विभाग के तहत काम पूरा हुआ/हुए, उनके नाम और पूरी संपर्क विवरण देनी होंगी। ग्राहक रिपोर्ट तय फॉर्मेट में जमा करनी होगी (एनेक्स- A)।

j) कार्य आदेश, समाप्ति प्रमाण पत्र और दूसरी जानकारी के साथ कार्य अनुभव से जुड़े सभी दस्तावेज़ (1.3 (b) देखें) ऊपर)

k) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म/एजेंसी की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/ऑथराइजेशन दस्तावेज़.

l) कोई और तकनीकी जानकारी जो निविदा देने वाला चाहता है प्रस्तुत करें।

m) कंपनी/फर्म/एजेंसी के बैंक खाते की जानकारी तय फ़ॉर्मेट में (Annex B)

n) NEFT के ज़रिए EMD भुगतान की जानकारी (Annex C)

o) निविदा देने वाले को एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि उन्हें किसी भी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है या किसी भी संस्था ने किसी भी वजह से निलंबित या ब्लैकलिस्टेड नहीं किया है। निविदा देने वाले को इस बारे में किए गए किसी भी काम में किसी भी लंबित नागरिक मामले की जानकारी भी देनी होंगी।

p) तथ्य /जानकारी छिपाने और बाद में उनका पता चलने/गलत जानकारी/फर्जी दस्तावेज़ जमा करने पर संविदा तुरंत रद्द हो सकता है/बोली अस्वीकृत हो सकती है।

1.5. जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ सबूत देकर बैंक को संतुष्ट करना करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उनकीउम्मीदवारी को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

1.6. इच्छुक प्रस्तावक को ₹5,20,000/- (पांच लाख बीस हज़ार रुपये सिर्फ़) की EMD (अनुमानित कीमत का 2%) जमा करनी होगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी।

या

ईएमडी को एनईएफटी के माध्यम से एस्टेट<स्पेस>आपकी कंपनी/एजेंसी/फर्म के नाम पर खाता संख्या: 8614038 और आईएफएससी: RBIS0THPA01 में एनआईटी में दी गई तारीख को या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

1.7. जिन निविदाओं के साथ निविदामें बताई गई बयाना राशि जमा नहीं होगी, उन्हें असत्यापित निविदा माना जाएगा और किसी भी परिस्थितियों के तहत उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।।

1.8. किसी भी हालत में EMD पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

1.9. अगर बोली लगाने वाला निविदा की वैधता के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या संविदा या कार्य का पुरस्कार पूरा करने में असफल हो जाता है, तो EMD ज़ब्त हो जाएगी।

1.10. सफल बोलीदाता की EMD बैंक द्वारा वापस कर दी जाएगी, जब सफल बिडर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा कर देगा और बैंक के साथ संविदा करार कर लेगा, जिस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। असफल बोलीदाता की EMD संविदा मिलने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। अगर बोलीदाता निविदा की वैधता के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, तो EMD ज़ब्त कर ली जाएगी।

1.11. सफल बोलीदाता को पुरस्कार पत्र जारी होने की तारीख या काम शुरू होने की तारीख, जो भी पहले हो, से दो हफ़्ते के अंदर संविदा के सभी नियम और शर्तों को शामिल करते हुए एक करार करना होगा। अगर सफल बोलीदाता तय समय में औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है या तय तारीख पर काम शुरू नहीं करता है, तो काम देने वाला लेटर रद्द माना जाएगा और जमा की गई EMD ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, बैंक ऐसे लोगों/एजेंसियों/कंपनियों को तीन साल के लिए किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने या बैंक में कोई भी काम करने से रोकने का अधिकार रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक ऐसे बिडर को कारण बताओ (SCN) के लिए सात दिन का नोटिस दे सकता है और व्यक्ति/एजेंसी/कंपनी को रोकने पर आखिरी फैसला लेने से पहले SCN को दिए गए किसी भी जवाब पर विचार कर सकता है। इस संबंध में महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) (केरल और लक्षद्वीप) का निर्णय अंतिम होगा।

1.12. बोलीदाता को निविदा जमा करने की तय तारीख के अंदर निविदा के साथ जमा किए जाने वाले सभी ज़रूरी दस्तावेज़, रिपोर्ट्स और दूसरी जानकारी जमा करनी होगी। हालांकि, बैंक के पास निविदा जमा करने की तय तारीख के बाद भी, किसी भी या सभी बिडर से स्पष्टीकरण, प्रमाणपत्र।, रिपोर्ट्स या कोई दूसरी ज़रूरी जानकारी मांगने का अधिकार है, जो पात्रता मानदंड का हिस्सा होगा। बोलीदाता को बैंक द्वारा बताए गए समय सीमा के अंदर इसे जमा करना होगा, इसके बिना बैंक बोलीदाता को अपात्र मानने के लिए मजबूर होगा।

1.13. निविदा जमा करने से पहले, बोलीदाता आम नियम और शर्तें, काम का दायरा और दूसरे सभी निर्देश देख सकता है, जिनके आधार पर बैंक काम देगा और सफल बोलीदाता को उसे पूरा करना होगा। बोलीदाता बताई गई योग्यता और दूसरे पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि आम नियम और शर्तें सिर्फ़ बताने के लिए हैं और ये बैंक को प्रस्तावक पर ऐसे और नियम और शर्तें थोपने या उन पर सहमत होने के लिए मजबूर करने, या उन नियमों और शर्तों को बदलने, बदलने या हटाने से नहीं रोकेंगे, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए ज़रूरी माना जाता है।

2. भाग- II (मूल्य बोली)

निविदा के भाग -II में कोई शर्त नहीं होगी, सिर्फ़ प्रस्तावक की मूल्य बोली होगी और भाग -I निविदा के अनुसार शर्तें पूरी होने के बाद इसे ऑनलाइन खोला जाएगा। निविदा के भाग -II में अगर कोई नियम और शर्तों में बदलाव और तकनीकी विचलन पाया जाता है, तो उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा और उसे अमान्य माना जाएगा।

I. निश्चित घटक:

A) हाउसकीपिंग सर्विस के लिए तैनात सभी सुपरवाइज़र और काम करने वालों की सैलरी (इसमें मिनिमम वेज (GOI), EPF @1.3 %, ESI और मिनिमम बोनस 8.33% शामिल है) GOI द्वारा तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार।

II. **परिवर्ती घटक:**

B) **सेवा शुल्क में** ये शामिल हैं:

a) उपकरण / औजार / इस्तेमाल होने वाली चीज़ें / सफाई का सामान / एक्सेसरीज़ देने और ट्रां परिवहन शुल्क
b) बीमा शुल्क (WC पॉलिसी, TPL पॉलिसी)
c) ओवरहेड्स (मिनिमम वेज और मिनिमम बोनस के अलावा bhugtan)
d) यूनिफॉर्म, बैज और ग्लव्स वगैरह देने का शुल्क।
e) ठेकेदार का लाभ
f) कानूनी हिस्सों में संभावित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए

2.1. मूल्य बोली में ठेकेदार का दिया गया प्रस्तावित मूल्य पक्का और आखिरी होगा और बैंक संविदा के दौरान दरों में बदलाव के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा, सिवाय तब जब न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित, सिर्फ़ न्यूनतम वेतन दरों के दो हिस्सों, यानी मूल दरें और चर परिवर्ती भत्ता (VDA) में बदलाव हो। मासिक अनुबंध राशि में इस तरह की बढ़ोतरी, मासिक कार्य के हिसाब से, सिर्फ़ मूल दरें और चर परिवर्ती भत्ता (VDA) में बढ़ोतरी तक ही सीमित होगी और कोई भी दूसरा हिस्सा जो वेज या भत्ते का हिस्सा है और जो कानूनी तौर पर सही है, जैसे EPF, ESI, बोनस वगैरह जो मूल दरें और/या चर परिवर्ती भत्ता (VDA) पर निर्भर हैं, उन्हें मासिक अनुबंध राशि में बदलाव के लिए बैंक द्वारा नहीं माना जाएगा। ठेकेदार को मूल दरें और VDA के अलावा इन कानूनी हिस्सों में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखना होगा और प्राइस बिड के तहत इन बढ़ी हुई लागतों को समायोजित करने के लिए अपने सबसे अच्छे रेट्स इस तरह से देने होंगे। इस मामले में बैंक का फ़ैसला आख़िरी होगा।

2.2. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा जमा किए गए बिलों से सभी कानूनी कटौती की जाएगी। इसलिए, मूल्य बोली पूरी होगी।इसमें शामिल हैं। मूल्य बोली में शामिल कानूनी कटौती जैसे EPF, ESI वगैरह का पेमेंट सिर्फ दस्तावेज़ सबूत दिखाने पर ही किया जाएगा।

2.3. मूल्य बोली में कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म, जूते, पहचान पत्र और सुरक्षात्मक उपकरणकी कीमत शामिल होगी।

2.4. मूल्य बोली में सिर्फ़ भारतीय रुपये में अंकों और शब्दों में भरी गई कीमत होनी चाहिए और कोई भी शर्त इसे अस्वीकृति के लिए ज़िम्मेदार बनाएगी।

2.5. मूल्य बोली को हर तरह से बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूरा किया जाएगा।

3. निविदा को खोलना

निविदा खोलने के लिए खंड -I में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार।

3.1. **निविदा की वैधता**: निविदा, कीमतों के साथ, भाग -I खुलने की तारीख से शुरू में 90 दिनों के लिए वैध रहेगा, जिसे निविदा देने वाले और बैंक आपसी लिखित सहमति से आगे बढ़ा सकते हैं और निविदाकर्ता इस दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या प्रस्तावित मूल्य किए गए निविदा में कोई बदलाव नहीं करेगा। दरें।

3.2. जो निविदा दस्तावेज़ निविदा फॉर्म में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.3. सशर्त बोलियाँ को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.4. केवल उन निविदाकारों की भाग-II (मूल्य बोली) जो तकनीकी बोली (भाग-I) बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसकी जानकारी पात्र निविदाकर्ता को दी जाएगी।

3.5. बैंक सबसे कम कीमत वाले निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदा को अस्वीकृत करने का भी अधिकार रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि अगर भविष्य में निविदा में कोई बदलाव / सुधार जारी किया जाता है, तो उसे ऊपर दिए गए तरीके से सिर्फ़ RBI की ऑफिशियल वेबसाइट और MSTC ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, और अखबारों में नहीं छापा जाएगा।

खंड – III

निविदा का प्रारूप

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
केरल और लक्षद्वीप के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक बेकरी जंक्शन
तिरुवनंतपुरम - 695033

स्थान:
तारीख:

महोदया/महोदय,

हमने सावधानीपूर्वक उस ज्ञापन में वर्णित कार्यों से संबंधित विशिष्टताओं, कार्य के दायरे और मात्रा अनुसूची की जाँच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की साइट का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया है तथा उससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की है जो निविदा को प्रभावित करती है। हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, निविदा के भाग II में उल्लिखित दरों पर और सभी पहलुओं में उस ज्ञापन, निविदाकर्ताओं के सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, पहले उल्लिखित शर्तें, विशिष्टताओं, मात्रा अनुसूची और उन सामग्रियों के अनुसार संपन्न करेंगे, जो प्रदान की गई हैं और अन्य सभी पहलुओं में लागू होने की संभावना अनुसार पालन करेंगे।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए **हाउसकीपिंग सेवाएँ - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और नंत्तनकोड।** काम का सामान्य दायरा इस प्रकार है इस प्रकार है: **1) मुख्य कार्यालय भवन और सुविधा ब्लॉक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में कार्यालय क्षेत्र, कार्यस्थल/कैबिन (दिन में दो बार), शौचालय, अधिकारियों का लाउंज, कैंटीन क्षेत्र आदि की सफाई।** **2) बैंक की संपत्तियों से प्रतिदिन अपशिष्ट प्रबंधन।** **3) बैंक के आवासीय कॉलोनियों के बाहरी/सामान्य क्षेत्र का रखरखाव और देखभाल।** **4) बैंक की मुख्य कार्यालय परिसरों (अमेंटीज ब्लॉक) और आवासीय कॉलोनियों में स्थित बैंक के आवासीय फ्लैटों की सामान्य सफाई।**

		5) **निम्नलिखित स्थान पर स्थापित ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर का संचालन और रखरखाव:** a) रिज़र्व बैंक ऑफिसर्स क्वार्टर्स, कवड़ियार , तिरुवनंतपुरम b) रिज़र्व बैंक स्टाफ़ क्वार्टर्स, नंथनकोड, तिरुवनंतपुरम c) रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, तम्मलम 6) बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में स्थापित बायो-डाइजेस्टर प्लांट का संचालन 7) स्थान के रखरखाव में शामिल कोई भी दूसरा काम **नोट: काम की पूरी जानकारी के लिए कृपया खंड VIII देखें।**
(बी)	कार्य की अनुमानित लागत	₹2,60,00,000/- प्रति वर्ष (सभी करों सहित)
(सी)	ईएमडी के भुगतान का तरीका	धारा II की उपधारा 1.6 के अनुसार (तकनीकी और मूल्य बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश)
(डी)	बयाना राशि	₹ 5,20,000/- (₹ पाँच लाख बीस हज़ार मात्र) (काम की कुल अनुमानित लागत का 2%)
(ई)	संविदा की वैधता	एक वर्ष (आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में उल्लिखित शर्तों और उचित प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक नवीनीकरण के लिए)
(एफ)	प्रदर्शन की गारंटी	उद्धृत राशि का 5% (सफल एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है – (परिशिष्ट डी)

2. हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम विशिष्ट बैंक द्वारा निष्पादित एनईएफटी / बैंक गारंटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में ₹ 5,20,000/- (केवल पाँच लाख बीस हज़ार रुपये) की राशि बयाना जमाराशि के रूप में जमा करेंगे।

3. हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारी निविदा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने पर निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक वैध रहेगा और यह वैधता अवधि उस अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में सहमति हो।

4. मैं / हम यह भी सहमति देते हैं कि वैधता अवधि या किसी अन्य बढ़ाई गई अवधि के दौरान इसके शर्तों और नियमों में कोई संशोधन नहीं करेंगे। हम यह भी सहमति देते हैं कि बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में पूरे निविदा की वैधता अवधि या संपूर्ण निविदा / संविदा अवधि के लिए आरबीआई के पास वैध रखा जाएगा।

5. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूँ/हैं कि निविदा की सभी शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे और उन्हें पूरा करूंगा/करेगे, जब तक कि वे लागू हों और इसके पालन में विफल रहने

पर, मैं/हम ऐसी धनराशि भारतीय रिज़र्व बैंक को हर्जाना के रूप में देने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो निविदा में दर्शित शर्तों में निर्दिष्ट की गई है, साथ ही संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ।

6. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सबसे कम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और किसी भी या सभी निविदाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिना किसी कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। मैंने/हमने ₹5,26,000/- की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक में ईमानदारी जमा के रूप में जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हमें अनुबंध को निष्पादित करने में असफलता होती है जब हमें ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो हम इस बात के लिए सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

7. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी व्यावसायिक शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रपत्र में मूल्य बोली शामिल है। हमारी फर्म/कंपनी के पार्टनर्स के नाम हैं:

फर्म के भागीदार/निदेशक का नाम जिसे हस्ताक्षर करने का अधिकार है या/	
उस व्यक्ति का नाम जिसके पास संविदा पर हस्ताक्षर करने की मुख्तारनामा है (मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी चाहिए)	

भवदीय,

_____

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तारीख:

साक्षी:

(1) _____ (2) _____

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

नाम नाम:

पता पता:

दिनांक: दिनांक:

खंड IV

करार की शर्तें

यह करार तिरुवनंतपुरम में दिनांक _____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक निगम निकाय है, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, और तिरुवनंतपुरम में एक कार्यालय है, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695033 (जिसे आगे "नियोक्ता"/"बैंक" कहा जाएगा) के एक पक्ष और (स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी/एजेंसी), कंपनियों के अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित (यदि कम्पनी है) और जिसका पंजीकृत कार्यालय (जिसे आगे "संविदाकार" कहा जाएगा) है, द्वारा श्री ..... के माध्यम से जो अपनी निदेशक मंडल द्वारा इस करार में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत है, के दूसरे पक्ष के बीच निष्पादित किया गया है।

This AGREEMENT is made at Thiruvananthapuram on this day of_____, 2026 between Reserve Bank of India, a statutory body established under the Reserve Bank of India Act, 1934, having its Central Office at Mumbai, and one of its Offices at Thiruvananthapuram, represented by its authorized officer i.e., General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Bakery Junction, Thiruvananthapuram-695033 (hereinafter called "the **Employer**"/ "the **Bank**" on the one part and (proprietorship/partnership firm/Company/Agency), incorporated under the provisions of the Companies Act (in case of a Company) and having its registered office at (hereinafter called "the **Contractor**") represented by Shri …… who is authorized to enter this agreement by its Board of Directors on the other part.

और जबकि नियोक्ता का इरादा ठेकेदार को तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए संलग्न करना है - (क) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (ख) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (ग) तम्मलम, (घ) प्लामूडू और (ङ) नंत्तनकोड़ के लिए।

AND WHEREAS the Employer has the intention of engaging the Contractor to provide Housekeeping Services for the Bank's various properties located at Thiruvananthapuram – (a) Main Office Premises, Bakery Junction, (b) Reserve Bank Officers' Quarters, Kowdiar and Reserve Bank Staff Quarters at (c) Thamalam, (d) Plamoodu and (e) Nanthancode.

और जहां ठेकेदार ने उन शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है जो यहां निर्धारित की गई हैं और विशेष शर्तों और करार की शर्तों में निर्धारित की गई हैं और बाद में आपसी सहमति से किए गए परिवर्धनों/कमी से स्पष्ट रूप से और निहित रूप से सहमति के अनुसार, और वार्षिक रखरखाव करार (एएमसी) की स्वाभाविकता से, जिन सभी को यहां सामूहिक रूप से "शर्तें" कहा जाता है, उन कार्यों को करने के लिए जिनका वर्णन एएमसी दर पर किया गया है, जो इस करार के तहत देय होगा (जिसे यहां एएमसी करार राशि कहा गया है)।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions set forth in the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special

Conditions and in Conditions of Contract and as amplified /curtailed by subsequent additions/deletions mutually agreed upon, originally agreed both expressly and impliedly and also naturally flowing out of the nature of Annual Maintenance Contract (AMC) (all of which are collectively hereinafter referred to as the said "Conditions") the works described in the said scope of work at the AMC rate as shall become payable thereunder (hereunder referred to as the said AMC contract amount).

अब इस पर निम्नलिखित सहमती व्यक्त की गई है:
NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. यह करार 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा और यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अधीन प्रति वर्ष, दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान की जाएं और जब तक इसे नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार पहले समाप्त नहीं किया जाता। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

This agreement will come into effect from April 01, 2026 and will remain in force up to March 31, 2027 and is annually extendable up to two more years, subject to mutual consent of both parties, on satisfactory services being rendered by the Contractor and unless it is terminated earlier as per the terms hereinafter contained. The decision of the Bank in this regard will be final.

2. उक्त वार्षिक रखरखाव करार की राशि के विचार में जो कि उक्त शर्तों/ वार्षिक रखरखाव करार पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तरीके से अदा की जानी है, ठेकेदार उन शर्तों के अधीन उक्त कार्य क्षेत्र में वर्णित कार्य को पूरा और निष्पादित करेगा।

In consideration of the said AMC contract amount to be paid in the manner set forth in the said conditions/AMC Award Letter, the Contractor shall upon and subject to the said conditions execute and complete the work described in the said scope of work.

3. बैंक ठेकेदार को निर्धारित शर्तों में विनिर्दिष्ट समयों और तरीके से संविदा की राशि का भुगतान करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the said contract amount at the times and in the manner specified in the said conditions.

4. बैंक स्रोत पर कर (TDS) की कटौती उचित दर पर आय कर विभाग और जीएसटी विभाग के समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार करेगा, और किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली अन्य कटौतियों के लिए भी, और संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट तरीके से समय सीमा के भीतर उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ठेकेदार पर होगी, इससे पहले कि बैंक द्वारा उस कर और अन्य कटौती की जा रही हो। बैंक की ओर से प्राधिकृत प्राधिकारी उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम है।

The Bank shall deduct Tax at Source (TDS) at the appropriate rate as per extant guidelines of the Income Tax department and GST department, provided from time to time and such other deduction under any other statute and the onus of producing appropriate certificate for non-deduction as provided in the relevant statute by way of

intimation within the time limit and before such tax and other such deduction is being made by the Bank shall be on the Contractor.
The Deputy General Manager/Assistant General Manager, Estate Department, Thiruvananthapuram is the Authority authorized on behalf of the Bank.

5. वार्षिक रखरखाव करार प्रदान पत्र, करार और यहाँ उल्लिखित दस्तावेज़ करार का आधार निर्माण करेंगे।

The AMC award letter, agreement and document mentioned herein shall form the basis Contract.

6. करार का नवीनीकरण समान शर्तों और परिस्थितियों पर होगा। निविदा दस्तावेज़ में निहित शर्तें और परिस्थितियाँ तथा जारी किया गया कोई भी स्पष्टीकरण (सुधार) इस करार का हिस्सा माना जाएगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। वार्षिक रखरखाव करार नवीनीकरण के दौरान, वार्षिक रखरखाव करार राशि में अधिकतम अनुमत वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर होगी, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।
The renewal of the contract shall be on the same terms and conditions. The terms and conditions contained in the tender document and any clarifications (corrigenda) issued shall be treated as part and parcel of this agreement and shall be binding on the parties. During the annual renewal of the AMC, the maximum permissible increase in AMC amount will be based on increase in Consumer Price Index as decided by the Bank.

7. करार को अधिकतम दो वर्षों के लिए उसी शर्तों और नियमों पर आगे नवीनीकरण के लिए विचार में लिया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक ठेकेदार की सेवाओं को संतोषजनक पाए और यदि बैंक ऐसा चाहता है। नवीनीकरण के दौरान, जब भी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत मुख्य आयुक्त (केंद्र सरकार) द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो कर्मचारियों की तैनाती के लिए वृद्धि दी जाएगी।
The contract could be considered for further renewal for a maximum of two years on the same terms and conditions, provided the Bank finds the services of the Contractor satisfactory and if the Bank desires so. Also, during renewal, escalation/increase will be given for deployment of workers whenever the notification issued by Chief Commissioner (Central Government) under the provision of Minimum Wages Act 1948.

8. ₹_____(रुपये_____केवल) की सहमति शुल्क में कार्य की परिधि और करार की शर्तों के अनुसार सेवा के प्रभावी प्रदर्शन के लिए उपयोग की गई मानव शक्ति और सामग्री दोनों शामिल होंगे और यह ठेकेदार द्वारा बिल/इनवॉइस प्रस्तुत करने के अधीन महीने के आधार पर देय होंगे। इसके लिए भुगतान तभी किया जाएगा जब इसे बैंक के अधिकारियों द्वारा इस प्रभाव में सही तरीके से प्रमाणित किया गया हो कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं, सांविधिक कटौतियों के अधीन।

The agreed charges of ₹ _____(Rupees_____only) will be inclusive of both manpower and materials used for efficient rendering of service as per the scope of work and terms and conditions of the contract and shall be payable on monthly basis subject to submission of bill/invoice by the Contractor. The payment thereon will be made after the same is duly certified by the Bank's officials to the effect that the services have been provided satisfactorily, subject to statutory deductions.

9. उपरोक्त शुल्क निश्चित हैं और श्रम की स्थितियों, विनिमय परिवर्तनों या किसी अन्य स्थिति के अधीन नहीं हैं।
The above charges are firm and not subject to labour conditions, exchange variations or any other condition whatsoever.

10. उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी, बीमा शुल्क, किसी अन्य कर और शुल्क या अन्य उपकर शामिल नहीं हैं, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए हो।
The above charges exclude GST, Insurance charges, any other tax and duty or other levy, whether existing or levied in future by the Central Government or the State Government or any local authority.

11. ठेकेदार नियमित आधार पर कार्य के क्षेत्र और करार की शर्तों और नियमों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
The Contractor shall be responsible for providing services on regular basis as per the scope of work and terms and conditions of the contract.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों की देखरेख और प्रशासन का प्रबंधन करेगा जिसमें बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से बिलों का प्रमाणन, भुगतान करना और करार की विभिन्न शर्तों, स्थितियों और प्रावधानों का कार्यान्वयन, कार्य का निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, करार की प्रगति और पूर्णता शामिल है।
The Reserve Bank of India will administer and arrange for supervision of works through the Bank's staff including certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract, execution of the work, quality of work, quality of materials, progress and completion of the contract.

A. ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
SERVICES TO BE RENDERED BY THE CONTRACTOR

1. उक्त शर्तें और इसके साथ संलग्न पत्राचार इस करार का हिस्सा माना जाएगा और इस करार में शामिल पक्षों को संबंधित रूप से उन शर्तों और पत्राचारों का पालन करना पड़ेगा और उन शर्तों और पत्राचारों के अनुसार अपनी ओर से करार को पूरा करना होगा।
The said conditions and the correspondence attached hereto shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and the correspondence and perform the agreements on their part respectively as per the said conditions and the correspondence contained therein.

2 यह संविदा एकमुश्त संपूर्ण राशि की संविदा है, जो अनुच्छेद VIII में विस्तृत कार्य सीमा के अनुसार कार्य करने के लिए है, जिसे संविदा (भाग II) की वित्तीय बोली में शामिल किया गया है।
This Contract is a fixed lump sum contract, to carry out the work according to the scope of work detailed in **Section VIII,** at the rates contained in the Price Bid of the Tender (Part II).

3. ठेकेदार मुख्य कार्यालय भवन और उसके अधिकारियों और कर्मचारी निवासों में नियुक्त सभी कर्मचारियों की एक पूरा और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
The Contractor shall provide a complete and updated list of all the personnel deployed in the Bank's Main Office Building and also at its Officers' and Staff Quarters.

4. करार प्रदान के 20 दिनों के भीतर, ठेकेदार को बैंक के परिसर में ड्यूटी पर लगाने से पहले, सभी कर्मियों के नाम, उम्र और स्थायी पते से संबंधित विवरण, साथ में एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रस्तुत करनी होगी।
Within 20 days of award of contract, the Contractor has to furnish details of all its personnel relating to name, age and permanent address, along with a passport size photograph before engaging them for duty in the Bank's premises.

5. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को तैनात किया जाए, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और जो किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त न हों जो उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं। ठेकेदार 18 वर्ष की आयु से कम किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।
The Contractor shall ensure that trained and competent persons are deployed, who are physically fit and that they are not suffering from any chronic or contagious diseases that may hamper their ability in carrying out the work efficiently. The contractor shall not employee any person below the age of 18 yrs.

6. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी श्रमिक या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारियों के रूप में माने जाएंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रखेगा।
All the workers or employees deployed by the contractor shall be considered as the employees of the Contractor and Reserve Bank of India shall not have any liability whatsoever in nature in regard to such workers/employees.

7. ठेकेदार इस करार के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएँ देने के लिए नियोजित व्यक्तियों को वेतन, सांविधिक न्यूनतम मज़दूरी और अन्य कानूनी बकाया के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार और उत्तरदायी होगा।
The contractor shall be responsible and liable for payment of salaries, statutory minimum wages and other legal dues to the persons who are employed for the purpose of rendering the services required by the Bank under the agreement.

8. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों को मज़दूरी/वेतन का भुगतान समय पर चेक या बैंक खाते में जमा करके किया जाए और मज़दूरी /वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए, हर महीने नियोक्ता को प्रमाण पत्र और ऐसे भुगतान और कानूनी आवश्यकताओं जहाँ भी लागू हो, जैसे कि ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि के लिए जमा दस्तावेज़ी प्रमाण प्रदान करना होगा, इसके अतिरिक्त, ठेकेदार हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि विभिन्न श्रम कानूनों और संविदा श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत सभी दायित्वों का पालन किया जा रहा है। बैंक को ठेकेदार से मज़दूरी/वेतन के भुगतान के विवरणों की सत्यता के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगने का अधिकार रखता है और ठेकेदार से श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ की मांग करने का अधिकार भी होगा।
The contractor shall ensure timely payment of wages/salary to the workers persons

employed by him through cheque or by credit to bank account and a certificate to the effect that the salaries/wages are being paid regularly shall be furnished to the Employer every month along with documentary proof of such payment and of statutory fulfilments i.e. deposit to EPFO, ESIC, etc wherever applicable. Further, the Contractor shall furnish a certificate every month to the effect that all the obligations under the various Labour Laws and the Contact Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, are complied with. The Bank will have the right to ask for bank statements from the contractor to verify the details of wages/salary paid by the Contractor and will also have the right to demand any other documents which are required to ascertain compliance by the contractor to various provisions of the Labour Laws.

9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए काम पर रखे गए सभी व्यक्तियों का बीमा आईआरडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी के साथ हो, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति या जानवर या अन्य चीजों को हुए किसी भी चोट या नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो बैंक में कार्य करार पूरा करने के कारण हो सकता है।
The Contractor shall ensure that all persons employed for the purpose of rendering the services required by the Bank under this agreement are insured with an IRDAI recognized insurance company, for which no extra payment will be made by the Bank. The Contractor shall be solely responsible for any injury or damage to any persons or animals or any other things arising due to deployment in the Bank for executing the work contract.

10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी, बैंक के परिसर में या इस करार के तहत अपने कार्यों को अंजाम देते समय, बैंक या उसके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और बैंक एकमात्र निर्णायक होगा कि क्या ठेकेदार और/या उसके कर्मचारी ने उक्त मानकों का पालन किया है या नहीं। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और यदि बैंक द्वारा किसी भी शिकायत की जाती है, तो ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर में तैनात नहीं करेगा।
The Contractor shall ensure that all employees, while in the premises of the Bank or while carrying out their obligations under this agreement, observe the standards of cleanliness, decorum, safety, good behaviour and general discipline as laid down by the Bank or its authorized agents and the Bank shall be the sole judge as to whether or not the Contractor and/ or his employees have observed the same. The Contractor shall be responsible for the good behaviour and conduct of his employees and in case of any complaints by the Bank, the Contractor shall not employ such employees in the Bank's premises.

11. ठेकेदार को सभी कर्मचारियों के कार्य का व्यक्तिगत और विशेष रूप से पर्यवेक्षण करना होगा ताकि इस करार के तहत प्रदत्त सेवाएँ बैंक की सर्वोत्तम संतुष्टि के अनुसार पूरी हो सकें।
The Contractor shall personally and exclusively supervise the work of all the employees so as to ensure that the services rendered under this agreement are carried out to the best satisfaction of the Bank.

12. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार के कोई भी कर्मचारी बैंक की संपत्ति में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद नहीं प्रवेश करेंगे या नहीं रुकेंगे, जब तक बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ और ठेकेदार की जिम्मेदारियों

को पूरा करने के लिए यह आवश्यक न हो ।

The Contractor shall ensure that no employees of the Contractor will enter or remain on the Bank's premises beyond the specified time limits unless and absolutely necessary and for fulfilling Contractor's obligations and with the prior approval of the Bank.

13. ठेकेदार बैंक या इसके परिसर या इसके किसी भाग या इसके किसी उपकरण या फिटिंग या बैंक की किसी संपत्ति को ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी कार्य, चूक, कमी या लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

The Contractor shall be liable for any damage caused to the Bank or its premises or any part thereof or to any fixtures or fittings thereof or any property of the Bank and therein by any act, omission, default or negligence of the Contractor or his employees or agents.

14. ठेकेदार बैंक को किसी भी दंड के लिए मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो ठेकेदार द्वारा करार के तहत ड्यूटी करते समय नियमों के उल्लंघन के कारण बैंक पर लगाया गया हो।

The Contractor shall indemnify the Bank for any penalty levied on the Bank due to breach of regulations by the Contractor while performing the duties under the contract.

15. ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली चोटों के लिए, और बैंक की संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बगीचे, लॉन, पेड़, पौधे आदि शामिल हैं, जो संचालन या उसके लापरवाही या किसी भी उसके श्रमिक/कर्मचारी या दोनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो, जो इस करार को लागू करने से किसी भी तरह जुड़ा हो। इस धारा को यह मानते हुए शामिल किया जाएगा कि इससे जुड़े भवनों को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वह तुरंत जुड़े हों या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस करार के विषय के रूप में भवनों और कार्यों को होने वाला सभी नुकसान भी शामिल है।

The contractor shall be responsible for injury to persons, animals or things, and for all structural and decorative damage to Bank's property including garden, lawns, trees, plants etc. which may arise from the operation or its neglect or any of his worker/employee or either, whether such injury or damage arises from carelessness, accident or any other cause whatever, in any way connected with the carrying out of this Contract. This Clause shall be held to include inter alia any damage to buildings, whether immediately adjacent or otherwise, and any damage to roads, streets, footpaths, bridges or ways as well as all damage caused to the buildings and works forming the subject of this Contract.

16. सभी और किसी भी खर्च के संबंध में जो किसी ऐसी चोट या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होता है जैसा ऊपर उल्लेखित है और किसी भी दावे के संबंध में जो किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या क्षति के संबंध में किया गया हो और किसी भी मुआवजे या क्षति के पुरस्कार के संबंध में जो ऐसे दावे के परिणामस्वरूप हो, ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और आगे भी क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

The contractor shall indemnify and keep indemnified the Bank in respect of all and any expenses arising from any such injury or damage to persons or property as aforesaid and also in respect of any claim made in respect of injury or damage under any Acts of any legislature or otherwise and also in respect of any award of compensation or damages consequent upon such claim.

17. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक की निम्नलिखित के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और आगे भी क्षतिपूर्ति करता रहेगा।
क) किसी तृतीय पक्ष द्वारा जीवन या संपत्ति को होने वाले हानि/क्षति की वजह से उत्पन्न कोई भी दावा जो कार्य के निष्पादन के दौरान हुआ हो।
ख) कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को होने वाली हानि/क्षति के संबंध में उत्पन्न कोई भी दावा।
ग) लागू PF/ श्रम कानूनों, ESI, विनियमों आदि के अनुपालन न होने के कारण उत्पन्न कोई भी दावा।

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Reserve Bank of India against:

a) Any claim arising out of third-party loss/ damage to life or property caused by/during execution of the work.
b) Any claim arising out of loss/ damage to the workmen engaged by the Contractor during execution of the work.
c) Any claim due to non-compliance of applicable PF/ Labour laws, ESI, regulations etc.

18. ठेकेदार सभी कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में उक्त कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और एजेंट बैंक के परिसर में काम करते समय हमेशा पहचान पत्र पहनें।

The Contractor shall supply identity cards to all employees or agents who shall be doing the subject job at the Bank's premises and ensure that all the employees and agents bear the identity card at all times while they are working in the Bank's premises.

19. ठेकेदार सहमत है और यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने द्वारा नियुक्त/व्यवस्थित सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट करेगा कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं और उनके पास नियोक्ता यानी बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, और बैंक ठेके का निष्पादन करने या श्रम कानून और/या किसी अन्य विधान के तहत किसी अन्य कानूनी लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी, वेतन या किसी अन्य प्रकार का मुआवजा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार अपने कर्मचारियों को संबंधित कानून/नियम/सेवा शर्तों के तहत उपलब्ध सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
The Contractor agrees and undertakes that they will make it clear to all persons employed/engaged by them to perform the obligations under this agreement, that they are employees of the Contractor and that they shall have no claim against the Employer i.e. the Bank, and the Bank shall not be liable to pay wages, salary or any other type of compensation to execute the contract or provide any other statutory benefits under the Labour Law and/or any other legislation and the Contractor shall be solely responsible for providing all such amenities to their employees admissible under the relevant Law/Rules/Service conditions.

20. ठेकेदार सहमत है कि वह सर्वोत्तम गुणवत्ता के सामग्री/ब्रण्ड्स का उपयोग करेगा, जो कि IGBC द्वारा अनुमोदित किसी भी ब्रांड का होगा। बैंक को ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता ऑडिट चेक करने का अधिकार है।

The Contractor agrees to utilize materials/brands which will be of the brand approved by IGBC. Bank reserves the right to conduct quality audit checks of the materials used by the Contractor on a periodical basis.

21. ठेकेदार अपने कर्मचारियों और सामग्री तथा पूर्ण किए गए कार्य की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने स्वयं की व्यवस्थाएँ करेगा जब तक कि इन्हें बैंक द्वारा नहीं लिया जाता।
The Contractor shall make his own arrangements for security and protection of his workers and materials and the completed work till the same are taken over by the Bank.

22. ठेकेदार को इस करार के अंतर्गत शामिल सेवाओं के लिए यदि कोई हो, तो केरल राज्य सरकार के कानून या केंद्रीय सरकार के कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
The Contractor shall obtain license, if any, required under the Kerala State Government Law or Central Government Law as applicable in case of the services covered under this contract.

23. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और सुरक्षा उपकरण/ जूते आदि प्रदान किए जाएंगे।
All staff deployed by the Contractor shall be provided uniform & safety gear/ footwear etc.

24. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के परिसर में काम करने वाले कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों ताकि वे अपनी ड्यूटी के दौरान बैंक के कार्यालय परिसर और आवासीय कालोनियों के अंदर किसी भी संदिग्ध वस्तु/गतिविधि को तुरंत बैंक के सुरक्षा स्टाफ को सूचित कर सकें। उन्हें यह भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे किसी भी टूटने, क्षति, रिसाव या ऐसी अन्य चीजों के बारे में जो वे साफ कर रहे हैं, अपने पर्यवेक्षक, बैंक के देखभालकर्ता को तुरंत सूचित करें।
The Contractor should ensure that the workers deployed in the Bank's premises are well trained to ensure that they immediately report to the Bank's Security Staff any suspicious item/activity noticed by them inside the Bank's Office premises & Residential Colonies while attending to their duties. They should also be trained to immediately report to their supervisor, Banks caretaker about any breakage, damage, leakage or otherwise observed in any of the items/ areas being cleaned by them.

25. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, पान/तंबाकू चबाना सख्त निषिद्ध है और यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के परिसर में काम कर रहे कर्मचारी इस नियम का पालन करें।
The Contractor should note that smoking, drinking alcohol, chewing pan/tobacco in the Bank's premises is strictly prohibited and ensure that the workers deployed in the Bank's premises abide by this rule strictly.

26. ठेकेदार बैंक के परिसर और आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/ मानकों का पालन करेगा।
The Contractor shall abide by all procedures/norms related to safety and security of the Bank's premises & Residential Colonies.

27. ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों को करार के रद्द करने / की समाप्ति पर तुरंत हटा देना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग बैंक की परिसर में किसी भी प्रकार की

रुकावट/बाधा/समस्या नहीं पैदा करें।
The Contractor shall remove all workers deployed by them in the Bank's premises immediately on termination/expiry of the contract and ensure that such persons shall not create any disruption/ hindrance/ problem of any nature in the Bank's premises.

28. ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर तुरंत किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटा देगा, जिसे बैंक की राय में अयोग्य या अनुचित व्यवहार करने वाला माना जाता है और ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना फिर से काम में नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खराब काम, गलत बर्ताव, बैंक के निर्देशों की अवहेलना आदि करते हुए पाया जाता है, तो एजेंसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार कार्य से हटा देगी।
The contractor shall on the request of the Bank, immediately dismiss from the work, any person employed thereon by it who may, in the opinion of the Bank, is incompetent or has misconducted himself/herself and such person/s shall not be again employed on the works, without the permission of the Bank. In case any person is found giving poor workmanship, misbehavior, disobeying instruction of the Bank, etc., the agency will replace such person(s) from the work as directed by the Bank

29. ठेकेदार और उसके कर्मचारी सुरक्षा अधिकारी (पी एंड एस ई)/देखभालकर्ता/सहायक देखभालकर्ता या बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की सामान्य देखरेख और नियंत्रण में रहेगा और परिसर में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए आवश्यक निर्देश उनसे प्राप्त करेगा।
The Contractor and his staff shall be under the general supervision and control of the Security Officer (P&SE)/Caretaker/Assistant Caretaker or any other personnel deputed for the purpose by the Bank and shall obtain necessary instructions from them for the day-to-day work in the premises.

30. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिक बैंक के किसी भी परिसर में सेवा करते समय हमेशा पूर्ण वर्दी में हों। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक हमेशा साफ वर्दी पहने हों और कोई भी पुरानी/फटी वर्दी तुरंत नए से बदली जाए।
The contractor shall ensure that its workers are in complete uniform at all times while rendering services at any of the Bank's premises. The contractor shall ensure the workers are wearing clean uniforms at all times and any worn out/ torn uniform should be replaced with new one immediately.

31. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में तैनात सभी स्टाफ तैनाती की तारीख से 45 दिनों के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
The Contractor shall ensure that all staff deployed in the Bank's Main Office Premises shall submit the Police Verification Report within 45 days from the date of deployment.

32. ठेकेदार को दैनिक, साप्ताहिक, पखवाड़े, मासिक, त्रैमासिक और बैंक द्वारा निर्धारित समयानुसार किए गए कार्य के रजिस्टर और उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और जब भी मांग की जाए, इसे बैंक के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।
The contractor shall maintain registers and a proper record of the work done on daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly and at periodicity as prescribed by the Bank and shall make it available to the Bank as and when demanded.

33. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के परिसर से बाहर कचरे/अपशिष्ट का उचित संग्रह, वर्गीकरण और निपटान नगरपालिका निगम द्वारा निर्धारित उपयुक्त स्थान पर किया जाए या उसे नगरपालिका निगम को सौंपा जाए। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट का उचित वर्गीकरण स्थानीय प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाए। ठेकेदार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों या किसी संबंधित अधिनियम का किसी भी उल्लंघन के लिए दंड भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
The contractor shall ensure proper collection, segregation, and disposal of garbage/ waste outside the Banks premises at appropriate place designated by Municipal Corporation or handed over to Municipal Corporation. The contractor shall ensure that proper segregation of waste is done according to the norms prescribed by the Local Authority and the Government of India. The contractor will be liable to pay penalty for any violation of solid waste management rules or any relevant act.

B. करार की समाप्ति
TERMINATION OF AGREEMENT

1. उपरोक्त में निहित शर्तों के संबंध में बिना पूर्वाग्रह के, बैंक अपने पूर्ण विवेक से, इस करार को बिना किसी कारण बताए और किसी मुआवजे का भुगतान किए बिना, एक लिखित नोटिस द्वारा समाप्त करने का अधिकार रखता है, यदि
क) बैंक के अनुसार (जिसे ठेकेदार द्वारा प्रश्न में नहीं लाया जा सकता और जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा), ठेकेदार इस करार को बैंक की संतोष से निष्पादित करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या
ख) ठेकेदार इस करार की किसी भी शर्त और स्थिति का उल्लंघन करता है और/या
ग) किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या
घ) ठेकेदार या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना होता है।
Without prejudice to what is contained hereinabove, the Bank shall, at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate this agreement by a written notice without assigning any reason and without payment of any compensation thereof, if

a) in the opinion of the Bank (which shall not be called into question by the Contractor and shall be binding on the Contractor), the Contractor fails or refuses to implement this agreement to the Bank's satisfaction and/ or
b) the Contractor commits a breach of any terms and conditions of this agreement and /or
c) for any reason whatsoever, the Contractor becomes disentitled in law to perform his obligations under this agreement and/or
d) there is any variation in the ownership/partnership or management of the Contractor or his business without the prior approval in writing of the Bank to such variation.

2. यदि किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति होती है, तो ठेकेदार/ या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उनके/ उसकी एजेंटों को बैंक से किसी भी प्रकार के मुआवजे, क्षति या किसी अन्य रूप में कोई राशि या

राशियों का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
In the event of termination of this agreement for any reason whatsoever, the Contractor/ or persons employed by him or his/ her agents shall not be entitled for any sum or sums whatsoever from the Bank by way of compensation, damages or otherwise.

3. इस संविदा में अंतर्निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि संविदा की कोई शर्त का पालन नहीं किया जाता है, आज्ञा नहीं मानी जाती है, या करार के किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, या ठेकेदार द्वारा असंतोषजनक या अप्रभावी कार्य किया जाता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार को एक महीने की लिखित नोटिस देने के बाद इस करार को रद्द करने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होगा, बिना किसी कारण बताए और यह ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और करार तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा जैसा कि नोटिस में निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर, इस स्थिति में ठेकेदार को किसी भी मुआवजे/नुकसान का हक नहीं होगा और सुरक्षा जमा की राशि नहीं लौटाई जाएगी।

Notwithstanding anything contained in this Contract, in the event of non-compliance, disobedience, or breach of any terms of the contract or unsatisfactory or inefficient working by the Contractor, the Employer shall have the absolute and independent authority to revoke this contract after giving one month's notice in writing to the Contractor without assigning any reason and the same shall be binding on the Contractor and the contract will come to an end with immediate effect on completion of the deadline as stipulated in the notice, in which case the Contractor shall not be entitled for any compensation/damages and the Security Deposit shall not be refunded.

4. संविदा के समाप्त होने या संविदा की अवधि पूरी होने पर, ठेकेदार को बैंक के परिसर को खाली करना होगा और उसे बैंक की सभी वस्तुओं/सामग्री/संपत्ति को सौंप देना या वापस कर देना होगा।
On termination of the contract or on expiry of the contract, the Contractor shall vacate the premises of the Bank and shall hand over or return all the articles /material/property belonging to the Bank.

C. स्टैम्प ड्यूटी
STAMP DUTY

ठेकेदार इस करार के मूल प्रति पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान करेगा, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल करार को रखेगा और ठेकेदार प्रतिलीपी करार को रखेगा।
The Contractor shall bear the stamp duty on the original of this agreement, which shall be executed in duplicate, and the Bank shall retain the original and the Contractor shall retain the duplicate.

D. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को समय-समय पर प्रासंगिक कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करेगा।
The Contractor shall ensure payment of minimum wages, as prescribed by the relevant law from time to time, to the workmen employed by him.

E. ठेकेदार बैंक को सभी हानियों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के खिलाफ क्षापूर्ति करेगा और उसे क्षापूर्ति

करता रहेगा, जो कि वेतन अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, ठेका श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रमिक कानून/ अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए हो। इस संबंध में यदि कोई देनदारियाँ हैं, तो ठेकेदार अकेला जिम्मेदार होगा।
The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bank against all losses and claims, damages or compensation for breach of any provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or any other labour law/ statute in force in this regard. The Contractor shall be solely responsible for liabilities, if any, in this regard.

F. इस करार के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा और पूरी तरह से समझा जाएगा।
The several parts of this contract shall be carefully read and fully understood by the Contractor.

G. गैर- प्रकटीकरण मानदंड
Disclosure Norms

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के पास इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान आ सकती है, किसी तीसरे पक्ष के साथ और हमेशा इसे सख्त गोपनीयता में रखेगा, यहां तक कि इस करार की समाप्ति/समाप्ति के बाद भी। ठेकेदार करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानता है, सिवाय उस सीमा के जो इसे पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक है। ठेकेदार किसी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को बिना बैंक की पूर्व लिखित सहमति के प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा। ठेकेदार किसी भी ऐसी गोपनीय जानकारी के किसी भी गैर- प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक का प्रत्यावर्तन करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को क्षति के लिए दावा करने और कानूनी उपायों का सहारा लेने का अधिकार होगा, जैसा कि उचित समझा जाएगा।
The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor or his/her employees during the course of discharging the contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence, even after the expiry/termination of this contract. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank. The Contractor shall indemnify the Bank for any loss suffered by the Bank as a result of any such disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Bank shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies, as deemed appropriate.

I. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाइयाँ करेगा ताकि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में

ठेकेदार के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के कारण की परवाह किए बिना जारी रहेंगे।
The Contractor shall take all appropriate actions with respect to his employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure

and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

J. बैंक को इस करार की शर्तों और शर्तों के बिना, कार्य की विशेषताओं और प्रकृति को संशोधित करने का अधिकार है, किसी भी समय करार की अवधि के दौरान कार्य के किसी भी आइटम या कार्य / कार्य के भागों को जोड़कर या छोड़कर, ठेकेदार को इस प्रभाव में एक पत्र जारी करके।
The Bank reserves the right, without prejudice to the terms and conditions of this agreement, to alter the specifications and nature of the work by adding to or omitting any item of work or portions of the work/s being carried out at any time during the currency of contract, by issuing a letter to this effect to the Contractor.

K. इस करार के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे। इस समझौते से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम की अदालतों के पास इन्हें निर्धारित करने का अधिकार होगा।
All payments by the Bank under this contract shall be made only at Thiruvananthapuram. All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed to have arisen at Thiruvananthapuram and only Courts in Thiruvananthapuram shall have the jurisdiction to determine the same.

L. उपरोक्त करार राशि के संदर्भ में जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार समय और तरीके से भुगतान किया जाना है, ठेकेदार, उन शर्तों के अनुसार, उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में दर्शाए गए कार्य को पूरा करेगा।
In consideration of the said contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions execute and complete the work shown upon the said specifications and the schedule of quantities.

M. बैंक ठेकेदार को उक्त करार राशि या ऐसी कोई अन्य राशि जिसका भुगतान उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से किया जाएगा, का भुगतान करेगा।
The Bank shall pay the Contractor the said contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

N. उक्त शर्तों को इस करार का हिस्सा समझा जाएगा और इसमें शामिल पक्ष उन शर्तों का पालन करेंगे, अपने-अपने हिस्से का करार करेंगे और उन शर्तों में निहित काम करेंगे।
The said conditions thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

O. समय को इस करार का सार माना जाएगा और ठेकेदार इस प्रकार सहमत होता है कि वह औपचारिक

कार्य आदेश जारी होने के बाद **01 अप्रैल 2026** से कार्य/ करार प्रारंभ करेगा और निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करेगा।
Time shall be considered as the essence of this contract and the Contractor hereby agrees to commence the work/contract from **April 01, 2026**, after issue of a formal work order as provided for in the said conditions and to complete the work within the stipulated period.

P. ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
The Contractor shall provide a complete and updated list of his employees who are deployed within the Bank's premises.

Q. वित्तीय बोली में ठेकेदार द्वारा दिया गया उद्धरण स्थिर और अंतिम होगा और बैंक ठेकेदार के मूल्य वृद्धि के किसी दावे पर विचार नहीं करेगा जब तक कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा केवल न्यूनतम मजदूरी के दो घटकों में परिवर्तन न हो, अर्थात् आधार दरें और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए)। मासिक करार राशि में इस प्रकार की वृद्धि की मात्रा, मासिक कर्तव्यों के अनुपात में, केवल आधार दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में वृद्धि तक सीमित होगी और वे किसी अन्य घटक जो वेतन या भत्ते का हिस्सा हैं, जो सांविधिक प्रकृति के हैं जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि, जो आधार दरों और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) पर निर्भर हैं, को बैंक द्वारा मासिक करार राशि में संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। ठेकेदार को मूल दरों के अलावा VDA और इन सांविधिक घटकों के संभावित वृद्धि की बात ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी सर्वोत्तम दरें इस तरह से देना चाहिए कि ये वृद्धि क्रमिक लागतें वित्तीय बोली के अंतर्गत समाहित हो सकें। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
The quote offered by the Contractor in the price bid shall be firm and final and the Bank will not entertain the Contractor's claim for any revision of rates during the currency of contract except when changes in two components of minimum rates of wages only viz. the Basic rates and Variable Dearness Allowance (VDA), as announced by the Government of India under the Minimum Wages Act. The amount of such hike in monthly contract amount, in proportion to the monthly duties, will be restricted only to the increase in Basic rates and Variable Dearness Allowance (VDA) and any other components which form part of wages or allowance which are statutory in nature viz. EPF, ESI, Bonus etc. which are dependent on the Basic rates and/or Variable Dearness Allowance (VDA) will not be considered by the Bank for revision in the monthly contract amount. The Contractor shall keep in mind the possible escalation of these statutory components other than the Basic rates plus VDA and offer their best rates in such a way as to accommodate these incremental costs under the price bid. The decision of the Bank in the matter will be final.

R. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE:

ठेकेदार "महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी/कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और ठेकेदार उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के

संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा ग्रहण की जाएगी। यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों का शामिल होना आवश्यक है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा प्रमाणित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत देनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

The Contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee/s within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the contractor and the Contractor shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the Contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the Contractor, for instance any monetary relief payable to the Bank's employee, if sexual violence by the employee of the Contractor is proved. The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

S. अन्य शर्ते

Other Conditions:

बैंक को इस करार की शर्तों और शर्तों के बिना, किसी भी समय करार की अवधि के दौरान कार्य के किसी भी वस्तु या कार्य के भाग को जोड़ने या छोड़ने के लिए, ठेकेदार को इस संबंध में एक पत्र जारी करके, कार्य की विशेषताओं और प्रकृति को संशोधित करने का अधिकार है ।

The Bank reserves the right, without prejudice to the terms and conditions of this agreement, to alter the specifications and nature of the work by adding to or omitting any item of work or portions of the work/s being carried out at any time during the currency of contract, by issuing a letter to this effect to the contractor.

1. इस शर्तों के तहत संपूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और वह सीधे बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना समझौते के तहत किसी भी भाग या हिस्से या उसमें रुचि को सीधे नहीं सौंपेगा या संलग्न करेगा और कोई भी हस्तांतरण ठेकेदार को करार की पूर्ण और कुल जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा या कार्यों के निष्पादन के दौरान सक्रिय पर्यवेक्षण से नहीं। कोई भी परिवर्तन, छूट या परिवर्तन इस करार को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक कार्यों के निष्पादन के दौरान किसी भी समय में कार्यों में कोई परिवर्तन या जोड़ या कोई छूट करना उचित समझता है या उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों की प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है, तो उसे ठेकेदार को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा। ठेकेदार को ऐसे नोटिस के अनुसार परिवर्तन करना, जोड़ना या छोड़ना होगा, लेकिन ठेकेदार किसी भी प्रकार का अतिरिक्त काम नहीं करेगा या किसी काम में कोई परिवर्तन, जोड़ या छोड़ नहीं करेगा या करार, शर्तों, विनिर्देशों या करार की किसी भी प्रावधान से किसी भी भिन्नता नहीं करेगा बिना बैंक के पूर्व लिखित सहमति के और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तनों, जोड़ या छोड़ का मूल्य सभी मामलों में बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा,

बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ और इसे करार राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला होगा।

The entire work included under these terms shall be executed by the contractor and it shall not directly entrust and engage or indirectly transfer assign or let under the agreement or any part or share thereof or interest therein without the prior written consent of the Bank and no undertaking shall relieve the contractor from the full and entire responsibility of the contract or from active superintendence of the works during their progress. No alteration, omission or variation shall vitiate this contract but in case the Bank thinks proper at any time during the progress of the works to make any alterations in or additions to or omissions from the works or any alteration in the kind or quality of the materials to be used therein, it shall give notice thereof in writing to the contractor. The contractor shall alter, add to or omit from, as the case may be, in accordance with such notice but the contractor shall not do any work extra to or make any alterations or additions to or omissions from the works or any deviation from any of the provisions of the contract, stipulation, specifications or contract without the previous consent in writing of the Bank and the value of such extras, alterations, additions or omissions shall in all cases be determined by the Bank, with the prior approval in writing of the Bank and the same shall be added to or deducted from the contract amount, as the case may be, accordingly.

2. सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर विशेष स्थल के संरक्षकों को रिपोर्ट करना चाहिए। कार्य समय 8 घंटे का होगा (30 मिनट के लंच ब्रेक सहित), कार्यालय भवनों में सप्ताह में 6 कार्यदिवस और आवासीय कॉलोनियों में सप्ताह में 7 दिन (आवासीय कॉलोनियों में तैनात सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक शनिवार और रविवार को आधे शेड्यूल के श्रमिकों को तैनात किया जा सकता है)। तथापि, आपात स्थिति में श्रमिकों को आपातकाल समाप्त होने तक काम करना होगा जैसा कि बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के। ठेकेदार को श्रमिकों को किए गए भुगतान का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, जिसे बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक न्यूनतम वेतन सत्यापित करने के लिए अधिकारी/स्टाफ तैनात करने का अधिकार रखता है। बिजली और पानी ठेकेदारी को बैंक द्वारा बिना किसी कीमत के दिया जाएगा, लेकिन सभी अन्य व्यवस्थाएं ठेकेदार को स्वयं करनी होंगी।

All workers should report to the caretakers of the particular site at stipulated time. The working hours shall be 8 working hours (including 30 minutes lunch break), 6 working days in a week in the Office Buildings and 7 days in a week in the Residential colonies (to ensure a weekly off to all workers deployed at Residential colonies, half the schedule numbers of workers may be deployed on each Saturday and Sunday). However, in the case of emergency the workers will have to continue to work till the emergency is over as per the directions issued by authorized person of the Bank without any extra payment. Contractor shall maintain a record of payment to the workers, which shall be submitted along with the bill. Bank reserves the right to depute officer/ staff to verify minimum wages. Electricity and water shall be given to agency free of cost by the Bank, but all the other arrangements have to be made by the contractor on its own.

T. अप्रत्याशित घटना

1. ठेकेदार या बैंक युद्ध, क्रांति, विद्रोह, नागरिक उपद्रव, दंगे, आंदोलन, हड़ताल, नाकाबंदी, अप्रत्याशित घटना, प्लेग, या अन्य महामारियों के कारण, या आग, बाढ़, सरकार या शत्रु पक्ष या किसी भी पार्टी के नियंत्रण से

परे किसी भी अन्य घटना, जो सीधे, भौतिक और किसी भी या ऐसे सभी संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, के कारण किसी भी या सभी संविदात्मक दायित्वों के विलंब या गैर-कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अप्रत्यशीत घंटनाओं में कम्प्युटर वायरस और कम्प्युटर से संबन्धित समस्याएं शामिल नहीं होंगी।

2. यदि बैंक की राय में, कार्य में देरी हो रही है (क) अपरिहार्य कारण से या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या (ग) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा अन्य कारण से पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) ठेकेदारों या बैंक द्वारा नियुक्त या नामित कारीगरों के कार्य या देरी के कारण और मात्र और/ या विनिर्देश की अनुसूची में संदर्भित नहीं हैं या (ङ) नागरिक दंगा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी भवन व्यापारी को प्रभावित करती है, तो बैंक ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के मामलें में करार कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, ठेकेदार जितनी जल्दी हो सके, बैंक को इसकी लिखित सूचना देगा, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों का लगातार उपयोग करेगा और काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक होगा।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना की स्थिति उपस्थित होती है, तो ठेकेदार ऐसी स्थितियों और उसके किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करेगा। जब तक अन्यथा लिखित रूप में बैंक द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक ठेकेदार करार के तहत अपने दायित्वों को यथासंभव आगे बढ़ाता रहेगा, और अन्य सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए सभी साधनों की तलाश करेगा, जब तक की अप्रत्याशित घटना की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा।

अप्रत्याशित घटना के प्रावधान बैंक पर भी लागू होंगे।

3. यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फ़र्म या कंपनी होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या निगमित कंपनी होने के कारण, उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश किया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से न्यायालय की देखरेख में समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में परिसमापक का आधिकारिक समनुदेशिती, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर बैंक की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि वह करार को पूरा करने के में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह इसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

Force Majeure

1. The contractor or the Bank shall not be responsible for delays or non-performance of any or all contractual obligations, caused by war, revolution, insurrection, lockdown, civil commotion, riots, mobilizations, strikes, blockade, acts of God, Plague or other epidemics, fire, flood, acts of government or public enemy or any other event beyond the control of either party, which directly, materially and adversely affect the performance of any or all such contractual obligations. Force majeure shall not include computer viruses and computer related problems.

2. If in the opinion of the Bank, the works be delayed (a) by force majeure or (b) by reason of any exceptionally inclement weather or (c) by reason of proceedings taken or threatened by or dispute with adjoining or neighboring owners or public authorities arising otherwise than through the contractor's own default or (d) by the works or delays of the contractors or Tradesmen engaged or nominated by the Bank and not referred to in the Schedule of Quantities and/or Specification or (e) by reason of civil commotion, local combination of workmen or strike or lockout affecting any of the building traders the Bank

may make a fair and reasonable extension of time for completion of the Contract Works in case of such strike or lockout, the contractor shall, as soon as may be, give written notice thereof to Bank, but the contractor shall nevertheless constantly use his endeavor's to prevent delay and shall do all that may reasonably be required to the satisfaction of the Bank to proceed with work. If a Force Majeure situation arises, the contractor shall promptly notify the Bank in writing of such conditions and any change thereof. Unless otherwise directed by the Bank in writing, the contractor shall continue to perform its obligations under the contract as far as possible and shall seek all means for performance of all other obligations, not prevented by the Force Majeure event. Force Majeure shall also apply to the Bank.

3. If the contractor being an individual or a firm/ a company, commit any "Act of insolvency" or shall be adjudged an Insolvent or being Incorporated Company, shall have an order for compulsory winding up made against it or pass an effective resolution for winding up voluntarily or subject to the supervision of the Court and the Official Assignee of the Liquidator in such acts of insolvency or winding up shall be unable, within seven days after notice to him, requiring him to do so, to show to the reasonable satisfaction of the Bank, that he is able to carry out and fulfill, the Contract and to give security therefore, if so required by Bank.

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फ़र्म या निगमित कंपनी हो) को निष्पादन जारी करने की आवश्यकता होगी।

OR if the contractor (whether an individual, firm or incorporated company) shall suffer execution to be issued.

या इस करार के अंतर्गत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी और से किए गए किसी भी भुगतान को कुर्क होने दिया जाएगा

OR shall suffer any payment under this contract to be attached by or on behalf of any of the creditors of the contractor.

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस करार को सौंपेगा या उप-पट्टे पर देगा।

OR shall assign or sublet this Contract without the consent in writing of the Bank first obtained.

या इस करार या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय और देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित या भारित नहीं करेगा।

OR shall charge or encumber this Contract or any payment due or which may become due to the contractor there under.

या यदि ठेकेदार

(i) संविदा को त्याग दिया है

(ii) कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अंतर्गत बिना किसी वैध बहाने के बैंक से आगे बढ़ने का नोटिस प्राप्त करने के पश्चात 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है, या

(iii) कार्य को उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या

(iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त करने के पश्चात सात दिनों के भीतर साइट से सामग्री हटाने या कार्य को

हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा निंदा और अस्वीकार किया गया था, या
(v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात सात दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले इस करार द्वारा पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीजों का पालन करने मे लगातार उपेक्षा या विफलता की है, या
(vi) बैंक के विपरीत निर्देशों के अवहेलना करते हुए करार के किसी भाग को उप- किराए पर दे दिया है, या
(vii) बाल श्रम

तब और उक्त किसी भी मामले में बैंक किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, करार का निर्धारण कर सकता है। और इसके अलावा, बैंक अपने एजंटों या कर्मचारियों के माध्यम से काम मे प्रवेश कर सकता है और आस पास की भूमि या सड़कों के परिसर में पड़े सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तन और सामग्री को अपने कब्जे मे ले सकता है और उसे अपनी संपत्ति के रूप मे उपयोग कर सकता है या काम को पूरा करने अपने कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से या काम को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों को नियुक्त करके काम पर रख सकता है और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को काम पूरा करने और खत्म करने या काम के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बढ़ा डालने की लिए कोई कार्य, बात या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो बैंक ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में नोटिस देगा और ठेकेदार यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद 14 दिनों की अवधी के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच ठेगा और ठेकेदार को प्रपट राशी का क्रेडिट देगा।

OR if the contractor
(i) has abandoned the Contract or
(ii) has failed to commence the works, or has without any lawful excuse under these Conditions suspended the progress of the works for 14 days after receiving from the Bank Notice to proceed, or
(iii) has failed to proceed with the work with such due diligence and failed to make such due progress as would enable the works to be completed within the time agreed upon, or
(iv) has failed to remove materials from the site or to pull down and replace work for seven days after receiving from the Bank's written notice that the said materials or work were condemned and rejected by the Bank under these Conditions, or
(v) has neglected or failed persistently to observe and perform all or any of the acts, matters or things by this Contract to be observed and performed by the contractor for seven days after written notice shall have been given to the contractor requiring the contractor to observe or perform the same, or
(vi) has in the defiance of the Bank's instructions to the contrary sublet any part of the Contract, or
(vii) has employed child labour.

Then and in any of the said cases the Bank may notwithstanding any previous waiver, after giving seven days' notice in writing to the contractor, determine the Contract. And further, the Bank by his, Agents or servants may enter upon and take possession of the works and all plant, tools, scaffoldings, sheds, machinery, steam and other power utensils and materials lying upon the premises of the adjoining lands or roads, and use the same

as his own property or may employ the same by means of his own servants and workmen in carrying on and completing the work or by employing any other Contractors or other person or persons to complete the works and the Contractor shall not in any way interrupt or do any act, matter or thing to prevent or hinder such other Contractor or other person or persons employed for completing and finishing or using the materials and plant for the works. When the works shall be completed the Bank shall give a notice in writing to the Contractor to remove his surplus materials and plant and should the Contractor fail to do so within a period of 14 days after receipt thereof by him, the Bank shall sell the same by public auction and shall give credit to the Contractor for the amount realized.

U.सभी समावेशी व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (CAMC) - नवीनीकरण के लिए दरें

उक्त संविदा की अवधि 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 या बैंक द्वारा अंतिम कार्य आदेश में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। उक्त करार को वर्तमान करार अवधि के दौरान ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन और निविदा दस्तावेज में विस्तृत अन्य शर्तों और नियमों के अधीन आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण के दौरान करार राशि में वृद्धि को निम्नलिखित के अनुसार माना जाएगा:
i. निविदा दस्तावेज के भाग II के हेडर A में उल्लिखित "स्थायी घटक" के लिए, बैंक ठेकेदार को तत्कालीन न्यूनतम मजदूरी (नवीनीकरण के समय प्रचलित) प्रदान करेगा, जैसा कि श्रम आयुक्त (केंद्र), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, और संबंधित देनदारियों जैसे बोनस, ईपीएफ, ईएसआई घटक आदि।
ii. "परिवर्तनीय घटक" के लिए, करार के नवीनीकरण पर, दरों का संशोधन लागत वृद्धि के आधार पर किया जा सकता है। लागत में प्रतिशत वृद्धि (परिवर्तनीय घटक यानी ठेकेदार का लाभ/ओवरहेड लागत आदि) बिना करों के नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके की जा सकती है:

AC = AP + AP x (CPIc-CPIp) /CPIp

जहां, AC और AP क्रमशः संशोधित कीमत [वर्तमान वर्ष] और वर्तमान कीमत [पिछले वर्ष] हैं, और CPIc और CPIp वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के लिए करार की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले सभी भारत के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए थोक मूल्य सूचकांक हैं।

Rates for All-inclusive Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) - Renewal

The period of contract for is from April 01, 2026 to March 31, 2027 or as specified by the Bank in the final work order. The said contract will be renewed for further period subject to the satisfactory performance of the contractor during the existing contract period and other terms and conditions detailed in the tender document.
The escalation in the contract amount during renewal shall be considered as follows:
i. For “Fixed Component” mentioned in header A of part II of the tender document, the Bank shall give the Contractor extant Minimum wages (prevalent at the time of renewal) as prescribed by the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment and the associated liabilities like Bonus, EPF, ESI components etc.
ii. For “Variable Component”, on renewal of contract, the revision of rates may be done based on cost escalation.

The percentage increase in cost (Variable Component i.e., Contractor's profit/ overhead cost etc.) excluding taxes may be calculated by using the below formula

AC = AP + AP x (CPIc-CPIp) /CPIp

where, AC and AP are revised price [current year] and present price [previous year], respectively and CPIc and CPIp are Consumer Price Index for Industrial Workers for all India for 6 months prior to the commencement date of contract for the current year & previous year, respectively.

(यदि ठेकेदार भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति है) (If the Contractor is a Partnership firm or an individual)	जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक और संविदाकार ने अपनी उपस्थिति में और इसकी दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ऊपर पहले लिखे गए दिन और वर्ष के हैं। IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and the year first hereinabove written
(अगर ठेकेदार कोई कंपनी है) (If the Contractor is a Company)	जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक ने अपने विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और संविदाकार ने इस पर अपनी सामान्य मुहर लगवा ली है तथा उक्त प्रति/इन प्रस्तुतियों और इनकी उक्त दो प्रतियों को अपनी ओर से ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में निष्पादित करवा लिया है। IN WITNESS WHEREOF the Bank set its hands to these presents through its duly authorised official and the Contractor has caused its common seal, to be affixed hereunto and the said two duplicates/ has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and the year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड

Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
SIGNED AND DELIVERED BY Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram

(नाम और पदनाम)

(Name and designation)

साक्षियों की उपस्थिति में:

In the presence of Witnesses:

1.
पता/Address

2.

पता/Address

अगर पार्टी भागीदार फर्म या व्यक्ति है:
If the party is a Partnership firm or individual:

(नाम और पदनाम)

(Name and Designation)

साक्षियों की उपस्थिति में

In the presence of Witnesses:

1.

पता/Address

2.

पता/Address

..... को आयोजित बैठक में, की उपस्थिति में, इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में ..... की सामान्य मुहर लगाई गई।
The COMMON SEAL OF ……Was hereunto affixed pursuant to the Resolutions passed by its Board of Directors at the meeting held on …….., in the presence of

1)

2)

निदेशक, जिन्होंने 1 की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

Directors, who have signed these in token thereof in the presence of

1)

2)

ठेकेदार द्वारा श्री के हस्ताक्षर और वितरण

और विधिवत रूप से गठित अटॉर्नी

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of

Shri

And duly constituted Attorney

खंड V
निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश और संविदा की विशेष शर्तें

1. सामान्य अनुदेश:

1.1 बैंक किसी भी अतिरिक्त शर्त को बोलीदाता द्वारा शामिल करने की अनुशंसा नहीं करता है।

1.2 निविदा बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा की भाग। खोलने की तिथि से 90 दिनों तक खुले रहेंगे। इस अवधि को आपसी समझौते से बढ़ाया जा सकता है और इस अवधि के दौरान बोलीदाता निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

1.3 निविदा फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना आवश्यक है। यदि कोई दस्तावेज़/दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या कोई दस्तावेज़ गायब है, तो बैंक अपने विवेकानुसार टेंडर को अमान्य मान सकता है।

1.4 दरें स्थिर होंगी, पूरे संविदा की अवधि और/या इसके विस्तार की अवधि के लिए वैध होंगी और विनिमय दरों, श्रम परिस्थितियों, रेलवे भाड़ों में उतार-चढ़ाव या किसी भी अन्य परिस्थितियों के अधीन नहीं होंगी।

1.5 अन्य किसी तरीके से प्राप्त किए गए कोटेशन, जो विनिर्दिष्ट तरीके से मेल नहीं खाते, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और L1 निविदाकर्ता का निर्धारण करने के उद्देश्य से उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

1.6 कार्य-बल के लिए उद्धृत मजदूरी केंद्रीय या राज्य सरकार के सांविधिक न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी अधिक हो। जो निविदा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दरें उद्धृत करेंगे, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और L1 निविदाकर्ता की पहचान के उद्देश्य से उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

1.7 किसी फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत निविदा सभी मालिकों/साझेदारों/निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए या उस फर्म/कंपनी के मालिक/साझेदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया होना चाहिए जिसके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने का आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, बैंक द्वारा निविदा अस्वीकार किया जा सकता है।

1.8 बैंक से उनके/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और कार्य आदेश जारी होने की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर सफल निविदाकर्ता को मसौदा संविदा और परिस्थितियों के शेड्यूल के अनुसार एक संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति एक बाध्यकारी संविदा का निर्माण करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक संविदा बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं। संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास रहेगी और दूसरी प्रति ठेकेदार के पास रहेगी। संविदा आवश्यक स्टाम्प पेपर पर बनाया जाएगा (केरल राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी के बराबर) और आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी की लागत केवल ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

1.9 निर्धारित अंतिम तिथि/समय से या किसी भी बढ़ाई गई बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी बोली प्राप्त नहीं होगी।

1.10 ठेकेदार को कर्मचारियों को अगले महीने की 7वीं तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा।

2. कार्य का विस्तृत दायरा

कार्य का दायरा निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग VIII में विस्तार से बताया गया है।

3. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी या सभी टेंडरों को अस्वीकार करने का अधिकार

3.1 बैंक सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी समय बोली प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

3.2 यदि कार्य प्रदान करने के बाद यह पाया जाता है कि ठेकेदार पिछले 3 वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/नगरपालिका/सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम/आरबीआई के किसी भी अन्य कार्यालय आदि द्वारा ब्लैकलिस्टेड है, तो बैंक संविदा को समाप्त कर सकता है।

3.3 न्यूनतम वेतन और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ता समय-समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किए जाएंगे, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे, अर्द्ध-कौशल/अकुशल पर्यवेक्षकीय (एरिया B) श्रेणी के पर्यवेक्षकों और सभी अन्य कर्मचारियों के लिए 'अकुशल' श्रेणी के लिए; जो "सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन कार्यों में, भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, विद्युत लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइनों" में नियोजित हैं।

3.4 जो बोलीदाता किसी भी मूल्य बोली घटक को अत्यधिक कम आंका जाएगा, उनकी बोलियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ऐसे बोलीदाता, भले ही पात्र बोलियों में सबसे कम मूल्य पेश कर रहे हों, को पात्र बोलीदाताओं में सफल बोलीदाता के रूप में चयन के लिए नहीं माना जाएगा। हालांकि, बैंक ऐसे बोलीदाता को अपनी पेशकश को प्रमाणित करने का अवसर दे सकता है, जिसके लिए वह अपने दर विश्लेषण / विवरण और उस पर टिप्पणियाँ बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर भी, कुल संविदा राशि, यदि कर्मचारी श्रेणी के न्यूनतम वेतन और संबंधित वैधानिक घटकों के भुगतान के लिए भी अपर्याप्त पाई जाती है, तो उसे संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस प्रकार की अयोग्यता के संबंध में बैंक का निर्णय बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।

4. संविदा अवधि के दौरान प्रदर्शन गारंटी

4.1 संविदा प्रदान किए जाने पर, सफल बोलदाता को संविदा मूल्य का 5% (पाँच प्रतिशत) राशि किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट D) में प्रदत्त प्रदर्शन गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी, जिसे स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जो संविदा के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में होगा। प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद सफल बोलदाता द्वारा जमा किया गया ईएमडी कार्य प्रदान किए जाने के एक माह के भीतर वापस किया जाएगा। सुरक्षा जमा के रूप में प्रदर्शन गारंटी पूरे अनुबंध अवधि के लिए वैध होगी।

4.2 यदि सफल बोलीदाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुबंध नहीं कर पाता है या परिशिष्ट डी के अनुसार अनुमानित लागत का 5% राशि की प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है।

4.3 कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा दिया गया प्रदर्शन बैंक गारंटी कंपनी/एजेंसी/फर्म के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों की असफलता या लापरवाही के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान/हानि हुई हो, या कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में, रद्द, जब्त या उपयोग किया जा सकता है। कंपनी/एजेंसी/फर्म को ऐसी जब्ती से कोई आपत्ति नहीं होगी।

4.4 प्रदर्शन बैंक गारंटी संविदा की समाप्ति तिथि तक मान्य होनी चाहिए।

4.5 इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजा या अन्य धनराशियाँ सुरक्षा जमा/मासिक बिल राशि से काटी जा सकती हैं, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा जारी डिमांड नोटिस के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नगद जमा न कर दे।

5 भुगतान की शर्तें और जुर्माना लगाना

5.1 कामगार तैनाती के संबंध में भुगतान वास्तविक तैनाती के अनुसार किया जाएगा और कंपनी/एजेंसी/फर्म को बिल के साथ हाज़िरी रजिस्टर और न्यूनतम वेतन के भुगतान का प्रमाण जमा करने की सलाह दी जाती है।

5.2 सफल ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और वेतन भुगतान दिखाने वाला मासिक बैंक स्टेटमेंट जमा करना चाहिए। EPF, ESI आदि के लिए आवश्यक भुगतान वैधानिक नियमों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। बैंक को इसे आवश्यकतानुसार सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है और उसी के अनुरूप ठेकेदार के पास इसे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।

5.3 बैंक का अधिकारी नियमित अंतराल पर लोगों/ कामगार की तैनाती की जांच करेगा; इसलिए सत्यापन के लिए हाज़िरी रजिस्टर बनाए रखना चाहिए और इसकी प्रति देखभालकर्ता द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

5.4 बिलों को प्रत्येक क्रमवर्ती महीने के दूसरे सप्ताह के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्य के भुगतान का भुगतान तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सेवाएँ संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं, और भुगतान सेवा की समाप्ति/डिलीवरी के 45 दिनों के भीतर MSME अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।

5.5 देय राशि उन किसी भी सेवाओं में कमी के लिए वसूली के बाद शुद्ध होगी, जो इस अनुबंध की धाराओं के अनुसार लागू की गई हो। बिल जीएसटी फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति, विशेष रूप से उस महीने के लिए, फर्म द्वारा प्रमाणित, भुगतान के लिए बिल के साथ प्रस्तुत की जानी

चाहिए:

i. हाज़िरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।

ii. कार्य प्रदर्शन की रिपोर्ट, जिसे सहायक परिचारक / परिचारक / सुरक्षा अधिकारी (P&SE) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

iii. बैंक स्टेटमेंट जिसमें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान दिखाई दे (मजदूरों / कर्मचारियों का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए)।

iv. अनुबंध श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन की घोषणा।

v. पीएफ और ईएसआईसी के भुगतान का सूचक दस्तावेज, यदि लागू हो।

vi. बैंक द्वारा निर्देशित अन्य किसी भी लॉगबुक / दस्तावेज।

5.6 सभी कार्यों (स्थान-वार) से संबंधित बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें कार्य-वार विवरण का उल्लेख प्राइस बिड के भाग- II में दिए अनुसार किया जा सकता है। तिमाही/अर्धवार्षिक आधार पर किए गए हाउसकीपिंग कार्यों के संबंध में, मासिक प्रगति रिपोर्ट (Attachments.pdf में निर्दिष्ट प्रपत्र) को बिलों के साथ संलग्न किया जा सकता है, जिसे संबंधित स्थान के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

5.7 यह ध्यान देने योग्य है कि ठेकेदार पहले मजदूरों/कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करेगा और पीएफ, ईएसआईसी और अन्य वैधानिक भुगतान/जमा राशि जमा कराएगा, और फिर मजदूरों को मजदूरी के भुगतान के प्रमाण के साथ प्रतिपूर्ति के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। किसी भी परिस्थितियों में ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

6 जुर्माना

a) आवासीय क्वार्टरों (मुख्यालय भवन के एमेंटीज ब्लॉक में आवासीय फ्लैट सहित) में शौचालय और बाथ क्षेत्र/जिम फ्लैट की साप्ताहिक सफाई न करने पर प्रत्येक फ्लैट/जिम फ्लैट के लिए प्रति सप्ताह ₹1,500/- की राशि देय बिलों से काटी जाएगी (कृपया अनुभाग VIII - कार्य क्षेत्र भाग [D] देखें)।

b) आवासीय क्वार्टरों (मुख्यालय भवन के एमेंटीज ब्लॉक में आवासीय फ्लैट सहित) में फ्लैट की पूरी सफाई त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर न करने पर प्रत्येक फ्लैट के लिए त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक ₹2,000/- की राशि देय बिलों से काटी जाएगी (कृपया अनुभाग VIII - कार्य क्षेत्र भाग [D] देखें)।

c) बैंक के मुख्य कार्यालय भवन/एमेंटीज ब्लॉक में वॉशरूम की सफाई न करने पर प्रत्येक वॉशरूम के लिए प्रतिदिन ₹2,000/- की राशि देय बिलों से काटी जाएगी (कृपया अनुभाग VIII - कार्य क्षेत्र भाग [A] देखें)।

d) बैंक की मुख्य कार्यालय इमारत/सुविधा ब्लॉक में अधिकारियों के लाउंज और कैन्टीन क्षेत्र की सफाई न करने पर प्रतिदिन ₹4,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा (कृपया अनुभाग VIII - कार्य क्षेत्र भाग [A] देखें)

e) निम्नलिखित त्रुटियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम ₹1,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा (कृपया सेक्शन VIII - कार्यक्षेत्र भाग [B] और भाग [E] देखें):

i. अपशिष्ट प्रबंधन में त्रुटियां, जैसे कि घरेलू अपशिष्ट, मुख्य कार्यालय परिसर और चार आवासीय कॉलोनियों के अंदर और बाहर की सफाई/रखरखाव, बैंक के निर्देशों के अनुसार न होना।

ii. कोव्डियार, तम्मलम और नंथनकोड़ कार्यालय/कर्मचारी क्वार्टर में स्थापित ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर्स और मुख्य कार्यालय भवन में बायो-डाइजेस्टर की सही रखरखाव और संचालन में त्रुटियां।

iii. मुख्य कार्यालय भवन में विभागों/खंडों/कैबिनों/वर्कस्टेशनों की दैनिक सफाई न करना।अगर सर्विस ठीक नहीं लगती हैं, तो बैंक को कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला कोई भी पेमेंट तब तक रोकने की आज़ादी होगी जब तक सर्विस कॉन्ट्रैक्टर को ठीक से न मिल जाए।

f) यदि सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो बैंक के पास किसी भी भुगतान को रोकने का अधिकार होगा जो ठेकेदार को देना बाकी हो, जब तक कि ऐसी सेवाएँ बैंक की संतुष्टि के अनुसार प्रदान नहीं की जातीं।

g) यदि जुर्माना अनुबंध राशि के 10% तक पहुंच जाता है, तो बैंक के पास अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और ठेकेदार जोखिम और लागत के लिए जिम्मेदार होगा। जुर्माने की राशि को प्रदर्शन बैंक गारंटी या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि को बुलाकर उपयोग किया जाएगा।

h) फ्लैट की सफाई के लिए उपलब्धता निवासी/कबूलकर्ता की सुविधा के अनुसार होगी। अनुसार, ठेकेदार निवासी को मजबूर नहीं कर सकता और न ही फ्लैट की सफाई का अधिकार दावा कर सकता है।

i) फ्लैट की सफाई के लिए एक रजिस्टर ठेकेदार द्वारा रखा जाना चाहिए, जिसमें निवासियों/संपर्ककर्ता द्वारा ई-मेल/फोन या किसी अन्य माध्यम से दर्ज शिकायतों का पूरा विवरण हो।इस तरह बनाए गए रजिस्टर के ज़रूरी पन्नों की एक फोटोकॉपी हर महीने संबंधित /केयरटेकर/इंजीनियर/सिक्योरिटी ऑफिसर को महीने के बिल के साथ जमा करनी चाहिए और इसे बैंक ऑफिसर से सर्टिफाइड करवाना चाहिए।

j) ऐसी किसी भी शिकायत को ठेकेदार द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सही किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रत्येक शिकायत पर प्रतिदिन ₹500/- की पेनल्टी देय बिलों से घटा दी जाएगी।

k) रखे गए रजिस्टर के संबंधित पृष्ठों की फोटो कॉपी मासिक आधार पर संबंधित /केअरटेकर/इंजीनियर/सुरक्षा अधिकारी को मासिक बिल के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसे संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

l) इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा और भुगतान के तरीके में कोई बदलाव बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

m) यदि ठेकेदार के किसी भी कर्मी की अनुपस्थिति होती है और ठेकेदार उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में असमर्थ होता है, तो बैंक द्वारा नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार पेनल्टी लगाई जाएगी और इसे ठेकेदार के बिलों से घटा लिया जाएगा।

P = (V/L)*D*2

P = दंडात्मक शुल्क

V = लागू टैक्स सहित हर महीने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू

L = हर महीने ज़रूरी ड्यूटी की कम से कम संख्या

D = महीने में कुल गैरहाज़िरी

n) IGBC द्वारा अनुमोदित ब्रांड के अलावा किसी भी ब्रांड का उपयोग करने पर प्रत्येक घटना पर 1,000/- रुपये का जुर्माना लगेगा

7 करें

मूल्य बोली के दर कॉलम में निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरें सभी करों, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क,

स्थानीय शुल्क आदि को छोड़कर होनी चाहिए। बिल/इनवॉइस प्रस्तुत करते समय करों का प्रतिशत दिखाते हुए केंद्रीय/राज्य सरकारों या किसी वैधानिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण को वैधानिक रूप से देय जीएसटी और किसी अन्य कर/शुल्क/ड्यूटी आदि को सकल राशि में शामिल किया जाएगा।

8 बीमा

8.1 सफल ठेकेदार को संविदा मूल्य के लिए "सभी जोखिम पॉलिसी जिसमें तीसरे पक्ष की देयता शामिल हो" और काम में लगे कर्मचारियों के लिए वार्षिक श्रमिक मुआवजा पॉलिसी लेना अनिवार्य होगा, जिसे बैंक द्वारा अनुबंध नवीनीकरण करने पर फिर से नवीनीकृत किया जा सके। ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी व्यक्ति, भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को हर्जाना देना होगा। सभी तैनात कर्मचारियों के लिए श्रमिक मुआवजा बीमा पॉलिसी भी ली जानी चाहिए, जिसमें न्यूनतम वेतन या प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक भुगतान की गई वेतन का न्यूनतम कवरेज हो। इसका प्रमाण बैंक को रिकॉर्ड के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

8.2 ठेकेदार आवश्यक बीमा कवर (वर्कमेन क्षतिपूर्ति पॉलिसी), तीसरे पक्ष / सार्वजनिक देयता एक बीमा कंपनी के साथ लेगा जिसे बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर ऐसी जोखिमों के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी (पहले बैंक का नाम पॉलिसी में रखा जाएगा) और इस पॉलिसी या पॉलिसियों को कार्य शुरू करने से पहले जमा करेगा। वर्कमेन क्षतिपूर्ति पॉलिसी के तहत न्यूनतम कवर उस हद तक होगा जितना मजदूर को अनुबंध के पालन के लिए नियुक्त किया गया है।

8.3 तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी कवर का लाभ निम्नलिखित विवरण के अनुसार लिया जाना चाहिए:

क) व्यक्तियों को हुए चोट के लिए – प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना न्यूनतम 2 लाख रुपये

ख) संपत्ति को हुए नुकसान के लिए – प्रति दुर्घटना न्यूनतम 5 लाख रुपये, मौजूदा बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार कुल सीमा के अधीन

8.4 ठेकेदार सभी व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली चोटों और किसी भी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो उसके स्वयं के या किसी नामित उप-ठेकेदार के कर्मचारियों के संचालन या लापरवाही से हो सकते हैं, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो और किसी भी प्रकार से अनुबंध की पूर्ति से जुड़ा हो। इस खंड को, अन्य बातों के अलावा, भवनों को हुए किसी भी नुकसान को शामिल माना जाएगा, चाहे वे तुरंत पास के हों या अन्यथा, और किसी भी सड़क, गली, फुटपाथ, पुल या मार्ग को हुए नुकसान के साथ-साथ इस अनुबंध के विषय बने भवनों और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को भी शामिल माना जाएगा, बर्फ या मौसम की कठोरता के कारण। ठेकेदार बैंक को हर्जाने से मुक्त रखेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, ऐसी किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली चोट या नुकसान से संबंधित सभी और किसी भी खर्च के संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और साथ ही किसी भी दावे के संबंध में जो चोट या नुकसान के संबंध में किसी सरकारी अधिनियम या अन्यथा के तहत किया गया हो, और साथ ही ऐसे दावों के परिणामस्वरूप हर्जाने या क्षतिपूर्ति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

नोट : ये पॉलिसी कार्य पूरा होने तक मान्य रहेंगी। यदि ठेकेदार ये नीतियाँ प्रदान नहीं करता है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वे स्वयं उपरोक्त बीमा नीतियाँ लें और उनका खर्च ठेकेदार के बिल से वसूल करें।

9 संविदा करार पर हस्ताक्षर

9.1 निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और यहाँ पहले उल्लेखित करार की शर्तें और तकनीकी विनिर्देश जो निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं, बैंक और निविदाकर्ता के बीच हुए बाद के पत्राचार, और दिया गया कार्य आदेश, सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

9.2 निविदाकर्ता को यहाँ संलग्न सामान्य अनुबंध शर्तों में दिये गए नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसका प्रस्ताव वहाँ निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सख्ती से होना चाहिए। निर्दिष्ट शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके द्वारा सामान्य अनुबंध शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों आदि से परिचित होने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा सभी भागीदारों द्वारा या उस भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण है। अन्यथा, निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

9.4 अपनी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा अनुबंध के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में बैंक और उस निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौता मानेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित हो या न हो।

9.5 ठेकेदार अनुबंध को किसी अन्य पक्ष को सौंप नहीं सकता। वह अनुबंध का कोई भाग बिना बैंक की लिखित सहमति के उपठेका नहीं दे सकता। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को लिखित नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर सकता है, जिस पर सुरक्षा जमा बैंक को जब्त कर लिया जाएगा, बिना ठेकेदार के खिलाफ उपलब्ध अन्य उपायों के अधिकार को प्रभावित किए।

10 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह पूरी निविदा या किसी भाग को वही कीमतों पर स्वीकार करे जो निविदाकार द्वारा उद्धृत की गई हैं।

11 अन्य मुद्दे

11.1 ठेकेदार को बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्य को सख्ती से निष्पादित करना होगा। यदि बैंक के अधिकारियों की राय में, साइट की स्थिति के अनुकूल मामूली बदलाव करने की आवश्यकता हो और बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो, तो ठेकेदार इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरा करेगा।

11.2 बैंक के कर्मचारियों या बैंक में नियुक्त किसी अन्य संविदा कामगार द्वारा पर्यवेक्षक के खिलाफ और ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कार्यकर्मी स्टाफ के खिलाफ प्राप्त किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत को गंभीरता से लिया

जाएगा और कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

12 विवादों का निवारण मध्यस्थता द्वारा:

12.1 किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद जो संविदा के कारण या उसके क्रियान्वयन से उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान हों या उसके पूर्ण होने के बाद और चाहे अनुबंध के समाप्त होने, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद हों) बैंक के पास संदर्भित किए जाएंगे और बैंक द्वारा उन्हें लिखित रूप में सुलझाया जाएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है। बैंक का किसी भी अपवादित मामलों से संबंधित निर्णय अंतिम और अपील रहित होगा। लेकिन अगर ठेकेदार किसी मामले में असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर अन्य पक्ष अर्थात बैंक को लिखित सूचना दे सकता है, जिसमें कहा जाएगा कि विवाद में आने वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होगा, जिन पर विवाद या मतभेद है और जिनके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपने-अपने प्रतिनिधि के रूप में एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामित दो मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में नामित करेंगे।

12.2 मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी स्थिति लागू हो, को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को खोलें, समीक्षा करें और उसमें संशोधन करें, सिवाय उन अपवादात्मक मामलों के, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती धारा में किया गया है, और उन सभी विवादों का निर्णय करें जिनको मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना उपरोक्त अनुसार दी गई हो।

12.3 मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी स्थिति लागू हो, को यह अधिकार होगा कि वे संदर्भ में प्रवेश करने की तिथि से एक वर्ष (या वह अतिरिक्त समय जिसे वे पक्षों की सहमति से निर्धारित कर सकते हैं) के भीतर अपना निर्णय दें। यदि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्ष आपसी सहमति या समझौते द्वारा अपना विवाद हल कर लेते हैं, तो जब पक्ष अपने संयुक्त समझौता ज्ञापन को प्रस्तुत करते हैं, तो मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी स्थिति लागू हो, को उस समझौते या समझौते के अनुसार निर्णय देना होगा।

12.4 किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार से संबंधित लागत पर निर्णय उसी मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो कि स्थिति के अनुसार होंगे, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षों के बीच कर देने का निर्देश दे सकते हैं और यह निर्देश दे सकते हैं कि इसे कौन और किसे, और किस तरीके से वह वहन और भुगतान किया जाएगा।

12.5 इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए सबमिशन माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जिस परिस्थिति में भी हो, पक्षों के लिए अंतिम और बंधनकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को करने में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता के साथ कार्य जारी रखेगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं आता, बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जिस परिस्थिति में भी हो, ठेकेदार को कामों के वास्तविक क्रियान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार यह भी सहमति देते हैं कि इस प्रावधान के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए पूर्व शर्त होगी।

13 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम / नियम और ठेका श्रम (रजिस्ट्रेशन और अंशदायित्व) अधिनियम / नियम

और अन्य लागू कानूनों / नियमों / सूचनाओं की आवश्यकताओं का पालन

13.1 ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि वह स्वयं को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / कॉन्ट्रैक्ट लेबर (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत पंजीकृत कराए, जब भी इसकी आवश्यकता हो। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेबर (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वहां और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट सभी रिकॉर्ड बनाए रखा जाएँ।

13.2 ठेकेदार अपने मजदूरों को उनके वेतन का भुगतान ठीक उसी प्रकार करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में निर्धारित है। ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखेंगे जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम / नियम / अधिसूचनाओं के तहत आवश्यकता है। ठेकेदार एक रजिस्टर बनाए रखेंगे जिसमें उनके मजदूरों को भुगतान की गई मजदूरी को माहवार और कार्यवार दर्शाया जाएगा, साथ ही प्रत्येक कर्मचारी के हस्ताक्षर भी होंगे जो उन्हें किए गए मासिक भुगतान की पुष्टि करेंगे। यह रजिस्टर संबंधित मासिक अवधि के अगले महीने की 10 तारीख तक बैंक के संपत्ति विभाग के सहायक महाप्रबंधक को समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

13.3 ठेकेदार उस संधि के तहत सभी दस्तावेज़, रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखेगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रजिस्ट्रेशन और एब्स्ट्रैक्ट) अधिनियम, 1970 / कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रजिस्ट्रेशन और एब्स्ट्रैक्ट) सेंट्रल नियम, 1971, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और न्यूनतम वेतन (सेंट्रल) नियम, 1950 और संबंधित श्रम तथा सामान्य कानून/नियम और नोटिफिकेशन के तहत आवश्यक है और इन्हें बैंक या उसके अधिकारियों और केंद्रीय श्रम आयुक्त के अधिकारी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण को, जिन्हें संबंधित कानून/नियम के तहत ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

13.4 ठेकेदार इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नोटिफिकेशन्स के माध्यम से न्यूनतम वेतन की दरों में किए गए किसी भी परिवर्तन को निर्धारित करे और said परिवर्तन को लागू करे तथा अपने कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से वेतन का भुगतान करे और इस संबंध में सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट रखें तथा बैंक को said विकास से अवगत कराएं और आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण बिना देर किए प्रस्तुत करें।

13.5 ठेकेदार इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि वह अपने कर्मचारियों पर लागू सभी श्रम कानूनों की संपूर्ण वैधानिक शर्तों और आवश्यकताओं का उचित पालन और क्रियान्वयन करे, जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1970, पी.एफ. भुगतान, ईएसआई अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, आदि और सभी सरकारी देनदारियों का पालन करे।

13.6 ठेकेदार वर्तमान श्रम कानूनों और अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों के अनुसार सभी कानूनी

आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक किसी भी प्रकार से ठेकेदार की ओर से किसी भी कृत्य, चूक या कर्तव्य-पलन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में बैंक या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

13.7 उन कर्मचारियों के लिए, जिन्हें ठेकेदार द्वारा बैंक में अनुबंध कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित किया गया है, पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई में कानूनी योगदान की रेमिटेंस का प्रमाण चयनित ठेकेदार/एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह दावा बिल के साथ बैंक को प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिसमें असफल रहने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को अनुबंध श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य लागू कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसमें विफल रहने पर केवल वही इसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाहियों/कार्यवाइयों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक ठेकेदार के कृत्य, कार्यवाही या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी प्रकार से ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मुख्य नियोक्ता यानी ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि को वेतन रजिस्टर के अंत में (जैसा लागू हो, वेतन-कम-कामगार सूची रजिस्टर में) अपने हस्ताक्षर के तहत एक प्रमाण-पत्र दर्ज करना होगा, निम्नलिखित रूप में:
"प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम संख्या ... में दिखाया गया राशि संबंधित कार्यकर्ता को उसके/उसकी बैंक खाते में सीधे जमा कर दी गई है ... पर।"

13.8 ठेकेदार को ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा और उसे अपने द्वारा नियोजित मजदूरों को CLRA अधिनियम के तहत निर्धारित सभी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं देना होगा। उसे बैंक को उन सभी कार्रवाइयों के खिलाफ प्रतिकरित रखना होगा जो उसके द्वारा मजदूरी न देने और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान न करने के कारण वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकती हैं। उसे बैंक को एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जिसकी मूल्यराशि 100/- रुपये है, निर्धारित प्रारूप के अनुसार, समझौते के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके द्वारा नियोजित मजदूरों को लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है।

14 संपूर्ण वार्षिक रखरखाव संविदा (CAMC) - नवीनीकरण के लिए दरें:
संपर्क की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक है या जैसा कि बैंक द्वारा अंतिम कार्य आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो। उक्त अनुबंध, मौजूदा अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन और निविदा दस्तावेज़ में वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

नवीनीकरण के दौरान अनुबंध राशि में वृद्धि को निम्नलिखित के अनुसार माना जाएगा:
i. टेंडर दस्तावेज़ के भाग II के हेडर A में उल्लेखित "स्थिर घटक" के लिए, बैंक ठेकेदार को वर्तमान न्यूनतम मजदूरी (नवीनीकरण के समय प्रचलित) देगा जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा

निर्धारित है, और संबंधित देयताओं जैसे बोनस, EPF, ESI घटक आदि।
ii. "चर घटक" के लिए, अनुबंध के नवीनीकरण पर, दरों का संशोधन लागत वृद्धि के आधार पर किया जा सकता है।
करों को छोड़कर लागत (चर घटक यानी ठेकेदार का लाभ/ओवरहेड लागत आदि) में प्रतिशत वृद्धि को नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके गणना किया जा सकता है।

AC = AP + AP x (CPIc-CPIp) /CPIp

जहाँ, AC और AP क्रमशः संशोधित मूल्य [वर्तमान वर्ष] और वर्तमान मूल्य [पिछला वर्ष] हैं और CPIc और CPIp क्रमशः वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से पहले के 6 महीनों के लिए पूरे भारत के औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं।

15. **बैंक की परिसंपत्तियों में प्रवेश के लिए सभी मजदूरों / पर्यवेक्षकों / अधिकारियों की पुलिस सत्यापन:** सफल बोलदाता द्वारा तैनात प्रत्येक मजदूर / पर्यवेक्षक / अधिकारी के बारे में उनकी पहचान के रिकॉर्ड से संबंधित स्थानीय पुलिस अधिकारियों से आवश्यक पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तैनाती में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर उपरोक्त प्रावधान के तहत बिना किसी विलंब के इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र कम से कम वार्षिक आधार पर नए सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने / हमने मात्रा अनुसूची और टेंडर के भाग II की सामग्री को पढ़ा और समझा है और उपरोक्त सभी शर्तों को भी पढ़ा और समझा है और अगर काम मुझे / हमें सौंपा जाता है तो ये शर्तें मेरे / हमारे लिए बाध्यकारी रहेंगी।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर

साक्षी:

पता:

तारीख:

खंड VI

व्याख्या खंड में संदर्भित शर्तें

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्रा की अनुसूची और संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों को यहां उन्हें सौंपे गए अर्थों के अनुसार समझा जाएगा, सिवाय इसके कि विषय या संदर्भ अलग अर्थ की आवश्यकता हो।

(ए)	"नियोक्ता/बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय होगा और इसमें इसके अधिकार प्राप्तकर्ता और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ _____और _____नाम पर व्यापार और शैली और एक स्थान पर कारोबार होने _____और उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(व्यक्ति के मामले में)	"ठेकेदार" अर्थ श्री _____नाम पर व्यापार और शैली का _____और इसमें उनके वारिस , उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधिय शामिल होंगे ।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" से तात्पर्य _____होगा कंपनी इनकॉरपोरेटेड के अंतर्गत _____और इसका पंजीकृत होना कार्यालय _____और इसमें इसके उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे और असाइन करता है।
(सी)	"साइट"	इसका अर्थ होगा संविदा कार्यस्थल, जिसमें वहां किसी भी भवन और निर्माण शामिल हैं, और किसी अन्य भूमि (समावेशी रूप से) जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया हो।
(डी)	" यह संविदा "	इससे करार की शर्तें, विशेष शर्तें, शर्तें, मात्रा और विनिर्देशों का कार्यक्रम आदि, जो इसके साथ संलग्न और सही ढंग से हस्ताक्षरित हैं, मतलब होगा।
(ई)	"बैंक का सुरक्षा अधिकारी /केयरटे कर"	शब्द 'बैंक का अधिकारी/देखभाल करने वाला' उस व्यक्ति को संदर्भित करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों की निरीक्षण/सुपरविजन के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया हो। ठेकेदार को बैंक के अधिकारी/देखभाल करने वाले को कार्यों और सामग्री का निरीक्षण/सुपरविजन करने और समय तथा सामग्री की जाँच और माप करने के लिए सभी सुविधाएँ और सहायता प्रदान करनी होगी। न तो बैंक का अधिकारी/देखभाल करने वाला और न ही बैंक का कोई प्रतिनिधि कार्यों को निर्धारित करने, अनुबंध की किसी भी आवश्यकता को रद्द, बदल, विस्तारित या ढीला करने, किसी भी दैनिक कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या छूट को स्वीकृत करने या किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकृत होगा, सिवाय इसके कि ऐसी अनुमति बैंक के इंजीनियर के लिखित आदेश और नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से विशेष रूप से प्रदान की गई हो।

		बैंक का अधिकारी/देखभालकर्ता या बैंक का कोई प्रतिनिधि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अप्रत्याशित स्वीकृति न होने की सूचना देने का अधिकार रखेगा और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसे सामग्री के उपयोग को बंद कर दिया जाएगा। बैंक का अधिकारी/देखभालकर्ता समय-समय पर कार्य की जांच करेगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी प्रकार से ठेकेदार को किसी भी दोष को सुधारने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या कार्य पूरा होने के बाद पाए जा सकते हैं। इस धारा की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के अधिकारी/देखभालकर्ता से ही निर्देश लेगा।
(एफ)	"लिखित सूचना"	लिखित नोटिस का अर्थ है ऐसा नोटिस जो लिखित, टाइप किया हुआ या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया हो (जब तक कि इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं सौंपा गया हो या अन्यथा यह प्रमाणित न हो कि इसे प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यापारिक पते पर भेजा गया हो, और सामान्य डाक प्रक्रिया में इसे प्राप्त माना जाएगा।
(जी)	"दिवालियापन अधिनियम"	इसका मतलब होगा कोई भी दिवालियापन कृत्य जैसा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट या प्रान्तीय इनसॉल्वेंसी एक्ट या किसी अन्य अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है जो ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करता हो।
(एच)	"शुद्ध मूल्य"	यदि संविदा राशि पर पहुंचने में, ठेकेदार ने निविदा में कुल मदों में से एक राशि को प्रतिशत के रूप में या अन्यथा जोड़ा या घटाया होगा, तो निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े से उस वस्तु के समान प्रतिशत या अनुपात के रूप में जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ा या काटा गया, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल राशि और अनंतिम रकम निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्यें" जब संविदा या खातों के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो दरों या कीमतों का मतलब इस तरह से प्राप्त किया जाएगा।
(मैं)	"काम"	बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवा को अभिप्रेत होगा, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिजर्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवडियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड में, सभी तिरुवनंतपुरम में नियोक्ता के लिए यहां प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार।

1. संविदा का दायरा

ठेकेदार इस कार्य को प्रत्येक पहलू में इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता की निर्देशानुसार तथा संतोषप्रद तरीके से पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेकानुसार और समय-समय पर लिखित निर्देश, विवरण, मार्गदर्शक और व्याख्या जारी कर सकता है, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से "नियोक्ता के निर्देश" कहा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

a) कार्य की गुणवत्ता या मात्रा में बदलाव या संशोधन, किसी भी कार्य का जोड़ना, हटाना या स्थानापन्न करना।
b) मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में कोई विसंगति।
c) साइट से ठेकेदार द्वारा लाए गए किसी भी सामग्री को हटाना और उसकी जगह कोई दूसरी सामग्री का उपयोग करना।
d) वहां पर किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटाना।

ठेकेदार तत्क्षण उन सभी कार्यों का पालन करेगा और उन्हें सही तरीके से निष्पादित करेगा जो ऐसे नियोक्ता के निर्देशों में शामिल हों, बशर्ते कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को कार्य स्थल पर दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि किसी परिवर्तन से संबंधित हों, तो उन्हें ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, और यदि नियोक्ता द्वारा आगे सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं जताई गई, तो इसे संविदा की सीमा के भीतर नियोक्ता के निर्देश के रूप में माना जाएगा।

2. कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

ठेकेदार को नियोक्ता के अनुरोध पर उन किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से हटाना होगा, जो ठेकेदार द्वारा कार्यरत हैं और जिसे नियोक्ता की राय में अयोग्य या अपने आचरण में अनुचित पाया गया हो। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना पुनः कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।

3. कार्यों तक पहुँच

नियोक्ता और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समयों पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, फैक्ट्रियों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुँच होगी जहाँ सामग्री रखी है और जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कर्मकौशल के निरीक्षण, परीक्षा और परीक्षण के लिए हर सुविधा प्रदान करेगा। कोई भी व्यक्ति, जब तक कि नियोक्ता द्वारा अधिकृत न हो, सार्वजनिक अधिकारियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, किसी भी समय कार्यों पर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

4. असाइनमेंट और उप-किराया

संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार सीधे या परोक्ष रूप से संविदा या इसका कोई हिस्सा, शेयर या उसमें किसी प्रकार की रुचि को अग्रिम लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित, असाइन या उप-किराए पर नहीं दे सकता, और कोई भी प्रतिज्ञा ठेकेदार को संविदा की पूरी और संपूर्ण जिम्मेदारी या कार्यों की प्रगति के दौरान सक्रिय निरीक्षण से मुक्त नहीं करेगी। इस संविदा को कोई भी परिवर्तन, विलोपन या विविधता अवैध नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय यह उचित समझता है कि कार्यों में कोई परिवर्तन, जोड़ या विलोपन किया जाए या उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री की प्रकार या गुणवत्ता में कोई

परिवर्तन किया जाए और इस बारे में अपने हस्ताक्षर के साथ ठेकेदार को लिखित सूचना देता है, तो ठेकेदार को इस सूचना के अनुसार बदलना, जोड़ना या विलोप करना होगा। लेकिन ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त कार्य को करने, किसी भी प्रकार के परिवर्तन या जोड़ करने या विलोपन करने या संविदा, शर्तों, विनिर्देशों या संविदा की किसी भी प्रावधान से विचलन करने का कार्य बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के नहीं करेगा, और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, जोड़ या विलोपन का मूल्य प्रत्येक मामले में नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा कि मामला हो।

5. मात्रा सूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पहले खुद यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कार्य के लिए यह निविदा सही और पर्याप्त है और मात्रा सारणी और/या दरों और कीमतों की सारणी में दिए गए मूल्य सभी उसके संविदा के अंतर्गत दायित्वों को कवर करते हैं, और कार्यों की उचित पूर्ति के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीज़ों को शामिल करते हैं।

6. व्यक्ति और सम्पत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को हुए सभी चोटों के लिए, और किसी भी संरचनात्मक और साज-सज्जा वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि उसके स्वयं के संचालन या लापरवाही या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की लापरवाही से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे यह चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो, और किसी भी तरह से इस संविदा के निष्पादन से संबंधित हो। इस धारा में विशेष रूप से किसी भी इमारत को हुए किसी भी नुकसान को शामिल माना जाएगा, चाहे वह तुरंत सटे हों या नहीं, और किसी भी सड़क, गलियों, फुटपाथ, पुलों या मार्गों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ, इस संविदा के विषय वाले भवनों और कार्यों को हुए नुकसान को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वह नुकसान झाड़, वर्षा, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं से हुआ हो। ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी किसी भी चोट या संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित सभी और किसी भी खर्चों के लिए हर्जाना देगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और साथ ही किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या नुकसान से संबंधित किसी भी दावे के लिए, और साथ ही ऐसे दावे के परिणामस्वरूप किसी भी मुआवजे या क्षतिपूर्ति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

ठेकेदार इस क्लॉज में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की मरम्मत करेगा, ताकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण और संपूर्ण रूप में सौंपा जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों को सही किया जा सके या अन्यथा संतोषजनक ढंग से निपटाया जा सके।

ठेकेदार नियोक्ता को ऐसे सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा जो किसी भी आम जनता के सदस्य या अन्य तीसरी पार्टी द्वारा ठेकेदार के कार्यों या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं और अपने खर्च पर, संविदा की आभासी पूर्णता तक, एक मान्य कार्यालय के साथ ऐसी जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा नीति लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी नीति या नीतियाँ नियोक्ता के पास जमा करेगा।ठेकेदार इसी तरह नियोक्ता को सभी क्लेम्स से प्रतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमेनज़ कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत हों या इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रवर्तन कानून के तहत या सामान्य कानून के तहत किसी भी ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के कर्मचारी के संबंध में हों, और अपने खर्च पर, अनुबंध की आभासी पूर्ति तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर अनुमोदित कार्यालय के साथ ऐसी

जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी का प्रबंध और रखरखाव करेगा और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा। ठेकेदार उस किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जिसे उपरोक्त उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा गया हो और साथ ही किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाले अन्य सभी नुकसान के लिए भी, जो इस अनुबंध के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न या उससे संबंधित हो। वह नियोक्ता को किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या खर्च के संबंध में और इसके अलावा किसी भी मुआवजे या हर्जाने के पुरस्कार के संबंध में भी क्षतिपूर्ति देगा।

नियोजक को किसी भी ऐसे दावों या नुकसान से उत्पन्न या संबंधित किसी भी नुकसान, मुआवजा, लागत, शुल्क और खर्च की राशि को ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि से काटने का अधिकार होगा, बिना इससे संबंधित नियोजक के अन्य अधिकारों पर कोई असर डाले।

7. नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करने पर ठेकेदार की असफलता

यदि ठेकेदार को नियोक्ता से लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद, जो कि 10 दिनों के भीतर पालन करने की आवश्यकता बताती है, किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को स्वतंत्रता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करे और भुगतान करे, जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक हो जिससे इन निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सके, और इससे संबंधित सभी खर्च ठेकेदार से वसूल किए जा सकते हैं या उन्हें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है।

8. नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

यह संविदा 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, और बैंके को संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में या ठेकेदार की सेवा से संतुष्ट न होने की स्थिति में एक माह की अग्रिम सूचना देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में ठेकेदार किसी भी मुआवजे/क्षति के हकदार नहीं होगा और सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

9. ठेकेदार द्वारा संविदा का समाप्ति

ठेकेदार, यदि चाहे, बैंके को एक माह की सूचना देकर संविदा समाप्त कर सकता है। सूचना अवधि बैंके द्वारा नोटिस प्राप्त करने के दिन से गणना शुरू होगी।

10. नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

इस करार के किसी भी या सभी मामलों के संबंध में निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होंगे और यहां उपस्थित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा इन पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, या नियोक्ता द्वारा इनमें से किसी को देने से इंकार करना, यहां निर्दिष्ट पंचटाली और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी प्रकार (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित) जैसा कि यह नियोक्ता का निर्णय हो।

11. नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार

यदि, किसी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर या किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता इस तरह की राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा इस संविदा के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

12. ठेकेदार, यदि व्यक्ति हो के निधन की स्थिति में नियोक्ता के लिए संविदा समाप्त करने का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपायों को प्रभावित किए बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति हैं और उनका निधन हो जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसा संविदा समाप्त करने का विकल्प होगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त रहेगा।

13. सीमांत नोट्स

यहाँ और संलग्नक में दी गई शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन्हें इस संविदा तथा इसके संलग्नकों की व्याख्या में किसी भी तरह से नहीं लिया जाएगा।

दिनांक: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

पता

खंड VII

नियम और शर्तें

1. संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी, बशर्ते प्रदर्शन संतोषजनक हो, जब तक कि इसे बैंक द्वारा सेवा की कमी, प्रयुक्त सामग्रियों की घटिया गुणवत्ता, संविदा का उल्लंघन, कार्य की आवश्यकता में कमी या समाप्ति के कारण कम न किया जाए या समाप्त न किया जाए। संविदा की समाप्ति पूर्व सूचना जारी करके की जाएगी। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को एक महीने की नोटिस अवधि दी जाएगी और सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

2. ठेकेदार और उसका कर्मचारी बैंक की संपत्तियों की उचित और यथोचित सावधानी रखेंगे और बैंक द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों को हानि, विनाश, बर्बादी या दुरुपयोग से बचाएंगे।

3. सफाई का कार्य दर्जी पोशाक में, स्वच्छता के प्रति सजग कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

4. ठेकेदार केवल अपने कर्मचारियों के कार्य की निगरानी करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षी कर्मियों की निगरानी या नियुक्ति करेगा ताकि प्रदान की गई सेवाओं को उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निष्पादित किया जा सके।

5. ठेकेदार केवल सक्षम, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मियों को कार्य निष्पादन के लिए नियुक्त करेगा। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कार्य क्षेत्र में न्यूनतम व्यक्ति संख्या निर्दिष्ट की गई है तो उन्हें प्रगतिशील आधार पर नियुक्त किया जाए और ठेकेदार उन पुरुष/महिलाओं को शामिल करेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो नौकरी के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हों।

6. ठेकेदार द्वारा लगाए गए प्रत्येक कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान विशिष्ट वर्दी और पहचान पत्र पहनना होगा। ठेकेदार को अपने कर्मचारियों या एजेंटों को दो जोड़ी अलग अलग वर्दियां प्रदान करनी चाहिए, जो बैंक के कर्मचारियों से भिन्न हों, और इसका खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। वर्दी पर जैकेट/शर्ट पर, जैसा कि मामला हो, 'HOUSEKEEPER' या 'SUPERVISOR' का नाम दर्ज या कढ़ाई किया होना चाहिए और साथ ही ठेकेदार की फर्म/कंपनी का लोगो भी होना चाहिए। वर्दी को साफ, सुथरा और पहनने योग्य स्थिति में रखा जाना चाहिए। बैंक सुपरवाइजर और मोब परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए स्वगत (Access Card) प्रदान करेगा और ठेकेदार को सुपरवाइजर और बैंक के आवासीय कॉलोनी में तैनात अन्य सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र प्रदान करना होगा, जिसका खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

7. ठेकेदार की किसी भी लापरवाही या चूक, जो बैंक के इंजीनियर की राय में संपत्ति को नुकसान या कर्मचारियों को चोट पहुंचा सकती है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. यह कार्य निवासियों को न्यूनतम असुविधा पहुँचाते हुए किया जाना चाहिए।

9. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के कार्य समय का विवरण विनिर्दिष्ट करना चाहिए और इसका विवरण संबंधित कॉलोनियों के केयरटेकर/सुरक्षा रक्षक के साथ रखा जाएगा। काम के समय के बाद किसी भी कार्यकर्ता को परिसर में रुकने की अनुमति नहीं होगी।

10. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को हटा देने की मांग कर सके, जिसे ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया है और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम और अनुशासित नहीं पाया जाता।

11. ठेकेदार के पास अपने द्वारा उक्त कार्य के लिए नियुक्त किए गए मजदूरों के पते और उनकी तस्वीरें होंगी। मजदूरों को केवल बैंक द्वारा जारी फोटोपास प्रस्तुत करने पर ही भवन के अंदर जाने की अनुमति होगी और उन्हें बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा नियमों का पालन भी करना होगा। उनके कर्मियों के आचरण की पूरी जिम्मेदारी केवल ठेकेदार स्वयं की होगी।

12. संविदा प्रदान करने के 45 दिनों के भीतर, ठेकेदार को अपने कर्मियों का चरित्र और पिछले रिकॉर्ड, आयु, शैक्षिक योग्यता, नाम और स्थायी पते सहित अन्य विवरणों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और उनकी पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करनी होगी, इससे पहले कि उन्हें बैंक के परिसर में ड्यूटी पर लगाया जाए। केवल सक्षम, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह प्रशिक्षित, शिक्षित, अनुशासित और ईमानदार कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

13. ठेकेदार को एक हाजिरी रजिस्टर बनाए रखना होगा जिसे निर्दिष्ट बैंक के कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो और प्रत्येक महीने के बिलों के साथ उसकी एक प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यदि ठेकेदार के तैनात कर्मियों में से कोई अनुपस्थित रहता है और ठेकेदार उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में असमर्थ है, तो बैंक द्वारा नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर दंड लगाया जाएगा और इसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया जाएगा।

P = (V/L)*D*2

P = दंड प्रभार

V = लागू करों सहित मासिक संविदा मूल्य

L = प्रति माह आवश्यक न्यूनतम ड्यूटी की संख्या

D = महीने के लिए कुल अनुपस्थिति की संख्या

बैंक ठेकेदार द्वारा नियुक्त मजदूर कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए मैन्युअल हाजिरी रजिस्टर को बायोमेट्रिक हाजिरी मशीनों से बदल भी सकता है।

14. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें वर्तमान वर्ष के लिए ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 / न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार होनी चाहिए और साथ ही भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। जिन निविदाओं में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी से कम दरें उद्धृत की गई होंगी, उन्हें संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें L1 निवेदक का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

15. सफल बोलीदाता अपने सामग्री और कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और कार्यस्थल में उनके कार्य भाग सहित हमेशा अग्नि रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

16. ठेकेदार किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अनुबंध हस्तांतरित करेगा, और ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी/कर्मी किसी भी रूप में आभार या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे।

17. इच्छुक निवेदकों को बैंक से पूर्व अनुमति लेकर स्थल का निरीक्षण करने और बनाए जाने वाले क्षेत्र और निष्पादित किए जाने वाले कार्य की सटीकता का निर्धारण करने की सूचना दी जाती है, इससे पहले कि वे अपनी दरें प्रस्तुत करें।

18. यदि सेवाओं में कोई कमी पाई जाती है, जैसे कम संख्या में क्षेत्र साफ किए गए, अनुमोदित सफाई सामग्री का उपयोग न किया गया और कम संख्या में कर्मचारी तैनात किए गए आदि, या बैंक को इसकी जानकारी दी जाती है, तो सेवाओं में कमी के लिए मासिक बिल से अनुपात/उपयुक्त राशि जुर्माना के रूप में काटी जाएगी और किसी भी स्थिति में, भविष्य में इसे ठेकेदार को वापस नहीं किया जाएगा।

19. सफाई और हाउसकीपिंग के लिए आवश्यक सभी उपभोग्य और डिस्पोजेबल आइटम पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, और संभवतः आईजीबीसी द्वारा अनुमोदित किसी भी ब्रांड के हों और इन्हें ठेकेदार/एजेंसी अपनी लागत पर खरीदें।

20. सफाई और हाउसकीपिंग का कार्य इस तरह किया जाना चाहिए कि बैंक की परिसरों में सभी संबंधित क्षेत्रों/स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ दिखाई दें।

21. नियुक्त की गई मानवशक्ति को कचरा (जैव-अपघटनीय और अजैव-अपघटनीय और पुनर्नवीनीकरण योग्य अपशिष्ट) प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि अपशिष्ट निपटान सही ढंग से किया जा सके और पर्यावरण पर प्रभाव न पड़े, जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट है।

22. उद्धृत शुल्क में तैनात मानव संसाधन, प्रयुक्त सामग्री, ओवरहेड शुल्क और सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए तैनात मशीनरी/उपकरण की लागत शामिल होगी और यह चालान प्रस्तुत करने के बाद मासिक आधार पर देय होगी। इसके भुगतान की प्रक्रिया तब की जाएगी जब P&SE के केयरटेकर/सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए कि सेवाएँ संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं और सभी विधिक देय/कर आदि कटौती के बाद।

23. प्रयुक्त सफाई सामग्री मान्यता प्राप्त गुणवत्ता की होनी चाहिए और संबंधित कॉलोनियों की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए।

24. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जाना चाहिए और इसका प्रमाण चालानों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

25. सभी वैधानिक लाभ जैसे कि ईपीएफ, बोनस, ईएसआई और अन्य वैधानिक भुगतान आदि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है और इसके प्रमाण बिलों के साथ जमा करना अनिवार्य है। यदि ईपीएफ, बोनस, ईएसआई और अन्य वैधानिक भुगतान आदि को वैधानिक निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस राशि को अनुबंध मूल्य से बाहर कर दिया जाएगा।

26. यदि बैंक को ठेकेदार की सेवाएँ संतोषजनक मिलती हैं और बैंक इसकी इच्छा रखता है, तो अनुबंध को उन ही शर्तों और नियमों पर अगले दो वर्षों के लिए नवीनीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

27. सफाई की नियमित जांच बैंक के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

28. वार्षिक एएमसी नवीनीकरण के दौरान, एएमसी राशि में अधिकतम अनुमति प्राप्त वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर होगी।

29. कार्य बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार सख्ती से किया जाएगा।

30. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पानी का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए और इसे व्यर्थ न किया जाए।

31. ठेकेदार केवल इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या नियमों और उनके तहत प्रावधानों का पालन करे, जो उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रावधान या राज्य/केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

32. बैंक को किसी भी कारण को बताये बिना एक महीने के नोटिस के साथ समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार को समझौते की समयपूर्व समाप्ति के लिए कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। समाप्ति नोटिस में दिए गए नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले, ठेकेदार को परिसर खाली कर देना चाहिए।

33. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

34. बैंक ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों आदि को बैंक परिसर में किसी भी प्रकार का आवास प्रदान नहीं करेगा।

35. ठेकेदार को आवश्यक लाइसेंस और परमिट अपने नाम पर अपने खर्च पर प्राप्त करने होंगे और किसी भी वैधानिक आवश्यकता का पालन न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बैंक को सुरक्षित रखना होगा।

36. कर्मचारियों का घुमाव तिमाही अंतराल पर या बैंक के विवेक पर किया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार किसी भी आपातकालीन कार्य में शामिल होने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए।

मैं/हम यहां घोषित करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उनका पालन करेंगे।

दिनांक: ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:

स्थान: संपर्क संख्या के साथ नाम और पता:

खंड VIII

कार्य का विस्तृत दायरा

1. कार्य-बल की तैनाती: ठेकेदार केवल अनुभवी (न्यूनतम 5 वर्ष) सुपरवाइजर/सुपरवाइजर्स को तैनात करेगा जिनके पास साइट पर सक्रिय मोबाइल फोन उपलब्ध हो ताकि वे बैंक के अधिकारियों / कॉलोनी के केयरटेकर के निर्देश ले सकें और साइट पर कार्य की निगरानी कर सकें, और विभिन्न संपत्तियों में न्यूनतम मानव संसाधन भी तैनात करें।

ड्यूटी के घंटे बैंक की आवश्यकता के अनुसार सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजर्स के बीच समायोजित होंगे, जो सुबह 07:00 बजे से शाम 06:30 बजे तक होंगे। सुपरवाइजर्स बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार शिफ्टों में कार्य करेंगे, आवश्यकता के अनुसार।

सभी कर्मचारियों और पर्यवेक्षक/सुपरवाइज़र को संबंधित स्थान के देखभालकर्ता को रिपोर्ट करना चाहिए। कार्यकारी समय 8 कार्यघंटे होंगे (जिसमें 30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल है), ऑफिस भवनों में सप्ताह में 6 कार्यदिवस और आवासीय कॉलोनियों में सप्ताह में 7 कार्यदिवस होंगे, हालांकि, सुनिश्चित करें कि आवासीय कॉलोनी में तैनात सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिले। प्रत्येक शनिवार और रविवार को कर्मचारियों के आधे निर्धारित संख्या को तैनात किया जा सकता है, इस संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखते हुए (राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर जैसे कि 26 जनवरी, 01 मई, 15 अगस्त और 02 अक्टूबर जैसा कि केरल औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में उल्लेखित है)। कार्य समय बैंक और सफल बोलीदाता के बीच पारस्परिक समझ के अनुसार होगा। हालांकि, आपात स्थिति में, कर्मचारियों को बैंक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आपातकाल खत्म होने तक काम जारी रखना होगा। साप्ताहिक छुट्टी कर्मचारियों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के साथ दी जानी चाहिए, बिना सेवाओं को प्रभावित किए। फर्म द्वारा उद्धृत दरों के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान विचारणीय नहीं होगा। सफल बोलीदाता आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कामकाजी बल काम में लगा सकता है ताकि कार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार को कामगारों को किए गए भुगतान का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, जिसे बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक को अधिकारी/कर्मचारी को यह सत्यापित करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है। बैंक एजेंसी को सबसे निकटतम उपलब्ध बिंदु पर बिजली और पानी निःशुल्क

देगा, लेकिन अन्य सभी व्यवस्थाएँ ठेकेदार को स्वयं करनी होंगी।

ठेकेदार केवल वयस्क और स्वस्थ श्रमिकों को ही नियुक्त करेगा। बाल श्रम का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है और यह संविदा की तुरंत समाप्ति का कारण बनेगा। ठेकेदार को निर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सभी विवरण और दो फ़ोटो प्रस्तुत करनी होंगी। नियुक्त किए गए स्टाफ के विवरण और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बैंक को प्रदान करनी होंगी। किसी भी विवाद या कर्मचारी की ओर से चोरी या डकैती जैसी डिफ़ॉल्ट स्थिति में, ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा और बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

ठेकेदार को एक आसानी से पहुँचने योग्य स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को बनाए रखना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्टरलाइज्ड पट्टियां और रुई शामिल हों। चोट लगने की स्थिति में, घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सबसे नजदीकी अस्पताल ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा करनी चाहिए।

2. सफाई सामग्री:

ठेका देने वाले द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री और वस्तुएँ उनके संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम होनी चाहिए जैसा कि टेंडर में निर्दिष्ट है और स्वीकृत नमूनों के अनुसार। जहां इन विनिर्देशों और/या मात्रा अनुसूची में सामग्री या उत्पाद निर्माता के नाम, ब्रांड नाम, ट्रेड नाम या कैटलॉग संदर्भ के अनुसार निर्दिष्ट हैं, ठेकेदार को विकल्प सामग्री या उत्पाद का उपयोग करने के लिए नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ठेकेदार को किसी भी सामग्री के लिए सभी चालान, वाउचर या प्राप्त की गई खातों को प्रस्तुत करना होगा यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।

2.1 पेशेवर सफाई के लिए ठेकेदार से निम्नलिखित आपूर्ति की आवश्यकता होती है:

• बाथरूम क्लीनर

• किचन क्लीनर

• हैंड साबुन और सैनिटाइज़र

• डिशवॉशर डिटर्जेंट

• ऑल-पर्पज क्लीनर

• ब्लीच

• बाहरी सफाई उत्पाद

• काँच और खिड़की क्लीनर

• विशेष क्लीनर जैसे उपकरण क्लीनर, डीग्रीज़र, धातु क्लीनर, फर्नीचर और अपहोल्स्टरी क्लीनर आदि

• सफाई उपकरण जैसे पोछा, झाड़ू, ब्रश, बाल्टी और पोछा की बाल्टी, कूड़ेदान, कार्ट और कैडीज़, कागज उत्पाद, कचरा और कचरा बैग

• सफाई की आपूर्ति जैसे स्पॉन्ज, डस्ट पैन, स्क्विजी, दस्ताने

• फर्श की देखभाल जैसे कार्पेट क्लीनर, हार्डवुड फ्लोर क्लीनर, हार्ड सरफेस फ्लोर क्लीनर, पालतू

• गंध और दाग हटाने वाले उत्पाद

• एयर केयर जैसे स्प्रे एयर फ्रेशनर, प्लग-इन एयर फ्रेशनर, गंध अवशोषक, सॉलिड एयर फ्रेशनर आदि

• वैक्यूम क्लीनर और फर्श की देखभाल जैसे कार्पेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनिंग उत्पाद, हार्ड सरफेस क्लीनर

• पोर्टेबल स्टीम क्लीनर, वैक्यूम, वेट/ड्राई वैक्यूम आदि

• हैंड सैनिटाइज़र और सतह की सफाई के लिए सैनिटाइज़र

2.2 ठेकेदार को साफ़ करने वाले रसायन (फर्श, शौचालय की कटोरी, यूरिनल पॉट, वॉशरूम और अन्य सतहों आदि की सफाई), हैंड वॉश लिक्विड, एयर फ्रेशनर आदि का उपयोग IGBC द्वारा स्वीकृत ब्रांडों के साथ करना चाहिए, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

• एक्टन लैब्स प्रा. लि.

• एन्ट्रिक्स हेल्थकेयर प्रा. लि.

• अशोक केमिकल्स

• सिज़ार हाइजीन केयर प्रा. लि.

• ईकोलैब फूड सेफ़्टी एंड हाइजीन सोल्यूशंस प्रा. लि.

• एकम ईको सोल्यूशंस प्रा. लि.

• एवरक्लिन हाइजीन केमिकल्स

• जीजी ऑर्गेनिक्स केयर प्रा. लि.

- ग्रासिम (आदित्य बिड़ला) क्लीनिंग केमिकल्स
- ग्रेनोव सर्विसेज प्रा. लि.
- आईटीसी लिमिटेड
- हायलाइड केमिकल्स प्रा. लि.
- हर्बोकियर
- हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
- हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
- लेमन्स शार्डलो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- मेगामॉर्फ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
- प्रारस बायोसाइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
- प्रोक्लीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
- प्योर ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज
- राजीव केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- रिची रैफल बायोटेक (पी) लिमिटेड
- ऋतु बायोसिस प्राइवेट लिमिटेड
- सानीराइट
- शैवरन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
- शाइनगार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- स्विसनेवाटर प्राइवेट लिमिटेड
- वेक्टर इंटरनेशनल ट्रेडिंग
- विकर बायोसाइंस

2.3 ऊपर उल्लिखित सभी सामग्री और संबंधित ब्रांड नाम या निर्माता केवल संकेतात्मक प्रकृति के हैं। ठेकेदार उक्त सामग्री के अलावा समान मानक की अन्य सामग्री भी बैंक की उचित स्वीकृति के बाद उपयोग कर सकता है। इसके लिए प्रयुक्त मात्रा निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार हो सकती है। यह नोट किया जाना चाहिए कि बैंक स्वीकृत ब्रांडों की सूची में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.4 उपरोक्त सभी सफाई सामग्री अनुबंध की शुरुआत में प्रदान की जाएंगी और अतिरिक्त 1 महीने के लिए स्पेयर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, अन्यथा दंड संबंधी प्रावधान लागू किया जाएगा। सभी उपभोज्य सामग्री बैंक को वितरित की जाएंगी और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देखभालकर्ता के संरक्षण में दी जाएंगी।

3. औज़ार और उपकरण :

सफल बोलीदाता को हाउस्कीपिंग सेवाओं के लिए निम्नलिखित उपकरण और साधन प्रदान करने होंगे। इन सभी उपकरणों से संबंधित लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी, इसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को मैकेनाइज्ड और स्वचालित सफाई उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

1	स्वचालित स्क्रबर ड्रायर
2	उच्च दाब जेट मशीन
3	गीला और सूखा वैक्यूम क्लीनर
4	रोड स्वीपर (मैनुअल)
5	ग्लास क्लीनर किट
6	इंजेक्शन निष्कर्षण मशीनें
7	कारपेट की सफाई और अपहोल्स्ट्री फैब्रिक के लिए फोम जनरेटर मशीनें
8	रिंगर ट्रॉली 10 कैडी बकेट
9	कैडी बकेट
10	सीढ़ी

4. कार्य का व्यापक दायरा निम्नलिखित को शामिल करेगा:
[A] <u>मुख्य कार्यालय भवन में विभागों, शौचालयों/कैंटीन/अधिकारियों के लाउंज/क्रेच सुविधा आदि की दैनिक आधार पर सफाई</u>

i. सफाई का समय

सभी क्षेत्रों की सफाई का समय सफल बोलीदाता द्वारा बैंक के सुरक्षा अधिकारी के समन्वय में निर्धारित किया जाना है।

ii. कार्य की विस्तृत रूपरेखा

a) सभी कार्यदिवसों में पूरे सुरक्षा क्षेत्र की सफाई जिसमें CVPS हॉल, वॉल्ट, वॉल्ट मार्ग, SBS, बैंकिंग हॉल, सभी कैश काउंटर, SISF कमरे, सभी शौचालय, वजन करने का क्षेत्र आदि शामिल हैं।

b) सभी शौचालयों की सफाई दिन में चार बार 2-3 घंटे के अंतराल पर करनी है।

c) CVPS कक्ष, रातभर का वॉल्ट और CVPS कक्ष की दीवारों की डीप क्लीनिंग वैक्यूम ट्यूब से द्विमासिक आधार पर करनी है।

d) अधिकारियों के लाउंज, कैफेटेरिया की डीप क्लीनिंग मासिक आधार पर करनी है।

e) ग्राउंड फ्लोर में बैंकिंग हॉल/सूचना केंद्र/IPCCTV/CISF/मिनी ऑडिटोरियम में शौचालयों की सफाई प्रतिदिन ऊपर निर्दिष्ट अनुसार करनी है।

f) नक़दी विभाग से संलग्न दो शौचालयों (इंस्पेक्टर के कमरे के पास पुरुष और महिला) की दैनिक रूप से सफाई, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है।

g) सीवीपीएस हॉल से जुड़े दो शौचालयों और पुलिस गार्ड के कमरे से जुड़े एक शौचालय की सफाई प्रतिदिन जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

h) बैंकिंग विभाग और बैंकिंग लोकपाल कार्यालय के पास शौचालयों सहित पहली मंजिल के सभी शौचालयों (पुरुषों और महिलाओं) की दैनिक सफाई करना, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

i) क्षेत्रीय निदेशक के केबिन/बैंकिंग लोकपाल के केबिन से जुड़े शौचालय की रोजाना सुबह एक बार सफाई करना।

j) ऊपर निर्दिष्ट के रूप में दैनिक दूसरी मंजिल में सभी शौचालयों (पुरुषों और महिलाओं) की सफाई।

k) तीसरी मंजिल के सभी शौचालयों और फर्श/टेबल टॉप/काउंटरटॉप/किचन/वॉशबेसिन की सफाई प्रतिदिन जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

l) सप्ताह में एक बार सामान्य रूप से और जब भी बैठकें निर्धारित हों, कार्यकारी क्षेत्र, वीआईपी अतिथि कक्ष, गवर्नर कक्ष और चैंबर से जुड़े केबिन क्षेत्र/शौचालय की सफाई करना।

m) औषधालय के निकट सुविधा ब्लॉक में शौचालयों की दैनिक सफाई करना, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

n) सभी महिला शौचालयों की सफाई सिर्फ महिला कर्मचारियों को तैनात करके की जानी चाहिए ष्ट अनुसार

करनी है।

o) प्रत्येक दिन Amenities Block में स्थित क्रेच सुविधा में सभी वॉशरूम और कारपेट क्षेत्र, फर्नीचर, उपकरण आदि की धूल झाड़ना/सफाई/पोछा लगाने का कार्य।

p) क्रेच से प्रत्येक दिन सैनिटरी कचरे का निपटान।

q) मुख्य कार्यालय भवन और एक्सटेंशन भवन के सभी तल की सीढ़ियों की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकड़ी के जाले हटाना और सफाई करना।

r) रिसेप्शन (जैसे, IFC), स्टाफ एंट्रेंस MOB, एसी प्लांट रूम की सफाई।

s) सभी फर्श, पासेज, लिफ्ट के अंदर के क्षेत्र, लिफ्ट लॉबीस सहित ऑफिसर के लाउंज और स्टाफ कैंटीन की ओर जाने वाले खुले क्षेत्र के पासेज, एक्स-रे क्षेत्र की पासेज की पोछा लगाना और सफाई करना।

t) Annex Building के एसोसिएशन/यूनियन का कमरा, क्रेडिट सोसाइटी, RBI स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रीशियन रूम, फायर-फाइटिंग रूम, सामान्य क्षेत्र आदि की सफाई।

u) कार्यदिवस के अंत में यानी 05:30 बजे वॉल्ट कॉरिडोर की सफाई।

v) कैंटीन क्षेत्र (रसोई के अलावा) और वॉश बेसिन का दैनिक सफाई।

w) सभी वॉश बेसिन/बाल्टी और मग/दर्पण तथा वॉशरूम की दीवार/फर्श की टाइलों की दैनिक सफाई करना और सभी शौचालयों में एयर फ्रेशनर प्रदान करना।

x) सभी पुरुष वॉशरूम में लगाए गए प्रत्येक यूरिनल में सुगंधित यूरिनल स्क्रीन मैट और यूरिनल क्यूब्स प्रदान करना और उनका नियमित रूप से प्रतिस्थापन करना। यूरिनल स्क्रीन मैट को कम से कम मासिक आधार पर बदला जाना चाहिए।

y) मुख्य कार्यालय परिसर में प्रत्येक वॉश बेसिन पर न्यूनतम 200 मीलि.ली. क्षमता वाली हैंड वॉश बोतलें प्रदान करना और उनमें केंद्रित हैंड वॉश लिक्विड का नियमित पुनःपूर्ति करना।

z) वॉशरूम में स्थापित प्रत्येक ऑटोमैटिक सॉप डिस्पेंसर में केंद्रित हैंड वॉश लिक्विड का पुनःपूर्ति करना।

aa) सभी शौचालयों से प्रतिदिन कचरा निकालना।

bb) शौचालयों में जाले (cobweb) हर सप्ताह और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर साफ करना।

cc) हर शनिवार को सभी फर्श की चटाइयों की सफाई और धुलाई।

dd) कार्यालय परिसर में मृत पक्षियों, जानवरों, चूहों, कीड़ों आदि का निपटान।

ee) प्रत्येक पखवाड़े में एक बार सभी शौचालयों की ब्लीचिंग पाउडर / ब्लीचिंग पानी से सफाई।

ff) रोजाना सुबह, दोपहर, शाम और दिन के दौरान कॉल के आधार पर जांच के बाद टॉयलेटरीज का पुनः

भंडारण, जिसमें लिक्विड हैंड वॉश साबुन, टॉयलेट रोल, एयर फ्रेशनर्स, सैनिटरी/यूरिनल क्यूब्स, फिनायल की गोलियाँ आदि शौचालयों में शामिल हैं।

gg) कार्यालय भवन की सभी मंजिलों में कार्यालय स्थान, फर्नीचर, स्टोरेज यूनिट आदि की धूल साफ़/सफाई प्रतिदिन सभी कार्यदिवसों में। वर्कस्टेशनों/कैबिनों की सफाई दिन में दो बार की जानी चाहिए।

hh) सभी मंजिलों, गलियारों, बालकनियों, सीढ़ियों, हेंडरेल आदि की सभी कार्यदिवसों में कीटाणुनाशक क्लींनर से पूरी तरह सफाई/झाड़ू/धुलाई/पोंछा लगाना। सभी मंजिलों और सेरामिक टाइल्स के बेस की स्क्रबिंग। खुली जगहों के साथ-साथ फर्नीचर और फिटिंग्स के नीचे/कोनों/निचेस में भी पूरी सफाई। खिड़कियों, विभाजकों, दरवाजों आदि के सभी ग्लास की कोलिन या समकक्ष मानक गुणवत्ता वाले ब्रांड के ग्लास क्लींनर से सफाई।

ii) कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रेनिंग हॉल, मिनी ऑडिटोरियम, बोर्ड रूम, कंप्यूटर लैब आदि की सभी कार्यदिवसों में और जब भी मीटिंग शेड्यूल हो, दैनिक रूप से सफाई।

jj) मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन की सभी मंजिलों में खिड़कियों, विंडोपेन, ग्रिल, दरवाजे, वेंटिलेटर्स की सफाई।

kk) परिसरों के भीतर पूरे परिसर क्षेत्र की सफाई और झाड़ू हर कार्य दिवस पर की जानी चाहिए।

ll) खाली फ्लैट्स की सफाई मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

mm) एमओबी, ऐनेक्स बिल्डिंग, आईएफसी, स्कूटर पार्किंग शेड में टावरों की छत की सफाई मासिक आधार पर किया जा सकता है।

ii. गहरी सफाई:

क्रमांक।	**जगह**	**आवृत्ति**
1	बाल देखभाल केंद्र	साप्ताहिक (हर शनिवार)
2	अधिकारी लाउंज, कैंटीन	हर महीने
3	सीवीपीएस	द्विमासिक
4	सभी वॉल्ट, सामान्य नकदी क्षेत्र, दावा अनुभाग, एसबीएस	त्रैमासिक
5	कैंटीन किचन हुड	त्रैमासिक

ध्यान दें: ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यालय के कामकाजी घंटे शुरू होने से पहले वॉशरूम और विभागों की पहली सफाई पूरी हो जाए।

[B] <u>बैंक की संपत्तियों में कचरा प्रबंधन:</u>

कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, और नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थान पर बैंक की संपत्तियों के बाहर सही निपटान। यह अनुबंध बैंक की संपत्तियों से सूखे कचरे, रसोई कचरे आदि के संग्रहण, पृथक्करण, प्रबंधन और निपटान के लिए है, जैसा कि नीचे स्थान-वार विस्तृत कार्य क्षेत्र में उल्लेख किया गया है:

कार्य का दायरा:

क्रम संख्या	स्थान	कार्य का विवरण
1	मुख्य कार्यालय भवन/सुविधा ब्लॉक, बेकरी जंक्शन	a) बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और सुविधाओं ब्लॉक से सूखे कचरे और रसोई के कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और दैनिक आधार पर कचरे का निपटान। यह कार्य सामान्यतः बैंक के सामान्य कार्य समय के दौरान किया जाएगा। सभी कचरों के डिब्बों और कचरे को कार्यालय समय के बाद यानी लगभग 05:30 बजे फिर से साफ किया जाना चाहिए। b) सुविधाओं ब्लॉक में व्यक्तिगत रूप से कब्जा किए गए आवासीय फ्लैट्स से कचरा एकत्र करना और उसी को बैंक के परिसर के अन्य कचरे के साथ दैनिक आधार पर निपटाना। c) स्टाफ कैंटीन, अधिकारियों के लाउंज और आवासीय फ्लैट्स से एकत्रित बायो-डिग्रेडेबल कचरे को मुख्य कार्यालय परिसर में स्थापित बायो-डाइजेस्टर प्लांट में प्रोसेसिंग के लिए ले जाना चाहिए। यदि कोई बायो-डिग्रेडेबल कचरा है जिसे बायो-डाइजेस्टर प्लांट में जमा/प्रोसेस नहीं किया जा सकता, तो अन्य कचरा, सूखी पत्तियाँ, कागज का कचरा, काँच आदि परिसर से बिना किसी अतिरिक्त लागत के, कम से कम पखवाड़े में एक बार या बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार निस्तारित किया जा सकता है। मुख्य कार्यालय परिसर में स्थापित बायो-डाइजेस्टर प्लांट की किसी भी असफलता/खराबी की स्थिति में, ठेकेदार को स्टाफ कैंटीन, अधिकारियों के लाउंज और आवासीय फ्लैट्स से एकत्रित कचरे का निस्तारण अपने खर्च पर प्रतिदिन करने की व्यवस्था करनी होगी, जब तक इसे बैंक द्वारा ठीक नहीं किया जाता।

2	सुविधाओं वाले ब्लॉक में स्थित क्रेच सुविधा	a) पूर्वाह्न 8:30 बजे सामान्य सफाई, पोछा और कचरा संग्रह। b) ध्याह्न 12:30 बजे शौचालय की सफाई और कचरा संग्रह। c) अपराह्न 6:00 बजे सामान्य सफाई, पोछा और कचरा संग्रह।
3	a) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार b) रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, तम्मलम c) रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, नंत्तनकोड	व्यक्तिगत रूप से कब्जाए गए फ्लैट्स से कचरा इकट्ठा करना, इसे दैनिक आधार पर ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में प्रक्रिया के लिए अलग करना और कॉलोनी परिसर से प्लास्टिक और काँच का कचरा जैसे बोतलें, ट्यूब लाइट्स आदि साप्ताहिक रूप से ले जाना। ड्राई वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर से उत्पन्न किसी भी रूप में अतिरिक्त खाद, अन्य कचरा, सूखी पत्तियां, कागज का कचरा, काँच आदि को बैंक की परिसंपत्तियों से बिना किसी अतिरिक्त लागत के कम से कम पखवाड़े में एक बार या बैंक द्वारा तय किए गए समयानुसार निपटाया जाएगा।
4	d) रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, प्लामूडू	व्यक्तिगत रूप से व्यस्त फ्लैटों से कचरा इकट्ठा करना और कॉलोनी से दैनिक आधार पर जैविक और गैर-जैविक दोनों प्रकार के कचरे को ले जाना। अन्य कचरा, सूखी पत्तियां, कागज का कचरा, कांच आदि को परिसर से बिना किसी अतिरिक्त लागत के कम से कम पखवाड़े में एक बार या बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार निपटाया जा सकता है।

ठेकेदार केवल तिरुवनंतपुरम नगर निगम आउटलेट्स में कचरे के निपटान के लिए जिम्मेदार होगा और इस संबंध में बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक की किसी भी परिसंपत्ति से कचरा निपटान के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कचरे के निपटान में किसी भी तरह की चूक होने पर प्रतिदिन ₹1000/- का दंड लागू होगा (कृपया सेक्शन V के पैराग्राफ 4.6 (ई) (iv) का संदर्भ लें)।

[C] कवडियार, तम्मलम, प्लमोडू और नंत्तनकोड में स्थित बैंक के आवासीय क्वार्टरों का बाहरी रखरखाव और देखभाल

i. मात्रा की सूची

कवडियार में रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड में रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं, उनका परिसर, आसपास का क्षेत्र और वह कंपाउंड जिसे "रिज़र्व बैंक अधिकारियों/स्टाफ क्वार्टर" के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंतरिक सड़कें, खुली जगहें और नीचे बताई गई इमारतें शामिल हैं:

इमारतों की संख्या आदि.	**कवडियार**	**तम्मलम**	**प्लामूडू**	**नंत्तनकोड**
कुल क्षेत्रफल	6.14 एकड़	7.20 एकड़	1.20 एकड़	1.08 एकड़
वीओएफ	6	04	-	-
टीएचएच	-	01	03	-
मेडिकल फ्लैट	-	-	-	01
सामुदायिक हॉल	01	01	01	01
कार्यवाहक कार्यालय	01	01	01	01
औषधालय	01	01	01	01
पंप हाउस	01	01	01	01
सुरक्षा गार्ड का कमरा	01	01	01	01
सभी कॉलोनियों में स्कूटर/कार पार्किंग एरिया और परिसर के अंदर की सभी दूसरी खुली जगहें, जिसमें अंदर की सड़कें भी शामिल हैं।				

ii. ऊपर उल्लेखित स्थानों पर बाहरी खुले क्षेत्र की सफाई:

a) संरचनाओं के चारों ओर पूरे खुले क्षेत्र की दैनिक कम से कम एक बार झाड़ू/सफाई (झाड़ू लगाने की व्यवस्था सुबह के समय की जाएगी)।

b) आंतरिक सड़कें, फुटपाथ, पगडंडियाँ, नहरें, खुले स्थान और स्कूटर/कार पार्किंग क्षेत्र।

c) सभी भवनों की सीढ़ियाँ, छत लैंडिंग से लेकर सभी ब्लॉकों के अंतिम चरणों तक, जिसमें हैंड रेलिंग्स भी शामिल हैं।

d) सभी आवासीय भवनों के कॉरिडोर और मार्ग।

e) सभी भवनों के कॉरिडोर की साइड वॉल और छत को डस्ट कर के कीटाणुनाशक से साफ करना।

f) केयरटेकर/सहायक केयरटेकर (ACT) का कार्यालय, सामुदायिक हॉल, डिपेंसरी, पंप हाउस, सुरक्षा गार्ड का कमरा।कॉमन टॉयलेट में सभी वॉश बेसिन/बाल्टी और मग/आईने और दीवार/फर्श की टाइलें साफ करना

इकाई।

g) परिसर में लवरेटरी और ईसी का हर दिन कीटाणुनाशक से सफाई करना।

h) सहायक भवनों में सामान्य उपयोग के लिए बने शौचालय और धोने वाले क्षेत्रों की कीटाणुनाशक से सफाई करना।

i) सामान्य शौचालय इकाई में सभी वॉश बेसिन/बाल्टी और मग/आईने तथा दीवार/फर्श की टाइल्स की सफाई करना।

j) डिस्पेंसरी में तौलियों और अन्य लिनेन की धुलाई/सफाई करना।

k) प्रत्येक ब्लॉक में रखी प्लास्टिक बाल्टी/कूड़ेदान की समय-समय पर सफाई करना।

l) हफ़्ते में कम से कम एक बार कीटाणुनाशक से पोछा लगाना, उस परिसर की सभी इमारतों के मार्ग, बरामदे, सीढ़ियाँ सहित सहायक भवनों जैसे कि, केयरटेकर/सहायक केयरटेकर का कार्यालय, स्कूटर पार्किंग क्षेत्र, पंप हाउस, सामुदायिक हॉल आदि। जैसा कि केयरटेकर/एसीटी द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके लिए, बैंक पानी उपलब्ध कराएगा और कॉन्ट्रैक्टर से पानी की आपूर्ति के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक ब्लॉक में एक निवासी के हस्ताक्षर के साथ सफाई की तिथियों को दर्शाने वाला रजिस्टर रखा जाएगा।

m) परिसर से मकड़ी के जाले हर पखवाड़े में या बैंक के निर्देशानुसार हटाना।

n) थमलाम और प्लामोडू में स्टाफ क्वार्टर में, सड़कों से झाड़ू लगाकर निकली सूखी पत्तियाँ उनके लिए बनाए गए कचरा निपटान यूनिट/खाई में डालना और परिसर से बाहर निकालना, कम से कम हर पखवाड़े या बैंक द्वारा तय अनुसार।

o) बैंक के परिसर के किसी भी स्थान पर सूखी पत्तियाँ और कचरा जलाना कड़ाई से प्रतिबंधित है।

p) बैंक के परिसर से किसी भी कचरा का निपटान करने के लिए किसी भी हालत में बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

q) नवीनतम साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सफाई सामग्री/उपकरण/औजार का स्टॉक खरीदें/रखें/प्रदान करें।

r) बाजार में उपलब्ध और बैंक द्वारा अनुमोदित उचित गैर-विषैले और पर्यावरण-अनुकूल सफाई सामग्री का उपयोग करें।

s) सभी आवासीय कॉलोनियों में टॉवर्स की छत की सफाई मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

t) थामलम क्वार्टर्स में नाले की सफाई त्रैमासिक आधार पर की जानी चाहिए।

u) सभी परिसरों में आम क्षेत्रों में मलबे, बागवानी का कचरा, पेड़ों के पत्ते जिसमें सभी नारियल के पत्ते और नारियल काटने के बाद जमा अन्य कचरा, पेड़ों की छोटी शाखाएँ/तने हटाना और निपटाना।

[D] सुविधा ब्लॉक, मुख्य कार्यालय भवन, कवड़ियार में रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, तम्मालम, प्लामूडू और नंत्तनकोड में रिज़र्व बैंक कर्मचारी क्वार्टर में आवासीय फ्लैटों की आंतरिक सफ़ाई

बैंक के आवासीय फ्लैटों की सफाई मुख्य कार्यालय भवन के ऐमेनीटीज ब्लॉक और कवड़ियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्वार्टरों में नीचे दिखाए गए अंतराल पर की जाएगी।

a) चार आवासीय क्वार्टरों और ऐमेनीटीज ब्लॉक में उपलब्ध फ्लैटों की श्रेणियाँ कालीन क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार हैं:

क्रम. नहीं।	जगह	फ्लैट का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	ब्लॉक	प्रति फ्लैट कारपेट एरिया (लगभग) वर्ग फीट
1	मुख्य कार्यालय भवन	वर्ग I	2	सुविधा	700
		वर्ग III	2	सुविधा	520
		वर्ग IV	4	सुविधा	360
2	कवड़ीयार	वर्ग I	1	I	1100
		----	4	H	850
		----	24	G,F	800
		----	37	A से E	700
3	तम्मलम	वर्ग I	24	A,D,E,F	1020
		वर्ग III	43	B,C,H,J	550
		वर्ग IV	23	K,L	370
4	प्लामूडू	वर्ग III	44	A से F	550
5	नंत्रकोड	वर्ग IV फ्लैट	54	A से G	360

b) निम्नलिखित विभिन्न कार्य हैं जो आवासीय क्वार्टरों में किए जाने हैं:

(i) शौचालय/स्नान क्षेत्र की साप्ताहिक सफाई

वरिष्ठ अधिकारियों, अधिकारियों, मुख्य कार्यालय भवन के सुविधा ब्लॉक में स्थित क्लास III/क्लास IV फ्लैटों और कवड़ियार, तम्मलम और प्लामूडू में आवासीय क्वार्टरों के लिए शौचालय/स्नान क्षेत्र की आवधिक सफाई और रखरखाव **हर हफ्ते** किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सफाई कार्य में शौचालय, स्नानघर, वॉटर क्लोजेट, सैनिटरी वियर्स, फिटिंग/फिक्स्चर (उनकी चमक को नुकसान पहुँचाए बिना) जिसमें फ़्लश टैंक, सामान्य वॉश बेसिन क्षेत्र, टॉयलेट मिरर, दवा की अलमारी आदि शामिल हैं, को धुलाई, रगड़ना, फ़र्श और दीवार डैडो की सफाई करना शामिल है। इसके लिए अनुमोदित सफाई सामग्री जैसे डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, ऑक्सैलिक एसिड आदि का और नायलॉन ब्रश का उपयोग किया जाएगा और बाहरी वॉश बेसिन और दीवार डैडो क्षेत्र की सफाई भी शामिल है।

(ii) शौचालय / स्नान क्षेत्र की पखवाड़ी सफाई

तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड़ में स्थित आवासीय क्वार्टरों के क्लास III/क्लास IV फ्लैट्स के शौचालय / स्नान क्षेत्र की नियमित सफाई और रखरखाव **पखवाड़ी आधार** पर किया जाना चाहिए।
उपरोक्त सफाई कार्य में शौचालय, बाथरूम, वॉटर क्लोसेट, सैनिटरी वेयर्स, फिटिंग/फिक्स्चर (उनकी चमक को नुकसान पहुँचाए बिना), फ्लश टैंक, सामान्य वॉश बेसिन क्षेत्र, टॉयलेट मिरर, दवा की अलमारी आदि को धोना, रगड़ना, फर्श और दीवार डैडो की सफाई करना शामिल है। यह सभी कार्य अनुमोदित सफाई सामग्री जैसे डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, ऑक्सैलिक एसिड आदि का उपयोग करके और नायलॉन ब्रश से किया जाएगा, साथ ही बाहरी वॉश बेसिन और दीवार डैडो क्षेत्र की सफाई भी शामिल है।

(iii) मासिक सफाई
1. खाली फ्लैट्स की सफाई मासिक आधार पर की जानी चाहिए।
2. सभी आवासीय कालोनियों के टावरों की छत की सफाई मासिक आधार पर की जा सकती है।

(iv) फ्लैट्स की तिमाही सफाई
सीनियर अधिकारियों, अधिकारियों (क्लास I) और मुख्य कार्यालय भवन के एमेंटीज ब्लॉक में क्लास III/क्लास IV फ्लैट्स तथा कवडियार, तम्मलम, नंत्तनकोड और प्लमोडू स्थित आवासीय क्वार्टरों में निवास कर रहे अधिकारियों के फ्लैट्स की सफाई और रखरखाव तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए।
इस कार्य में फ्लैट के अंदर फर्श और दीवारों के डाडो आदि को मोप से साफ करना, फर्नीचर को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित करना, बालकनी सहित पूरे फ्लैट की पूरी धूल सफाई, पंखे/एग्जॉस्ट फैन, लाइट फ़िक्स्चर, किचन प्लेटफ़ॉर्म, चिमनी, गैस पाइप, बर्तन धोने का क्षेत्र, गैस स्टोव की सफाई, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स की सफाई, नेट्लॉन धोकर साफ करना, जाले हटाना और फ्लैट के सभी सुलभ स्थानों की सफाई करना शामिल है। इसमें दीवार, लॉफ्ट/ऊपरी हिस्से और अलमारी के बाहर आदि, छत का पेल्मेट, दरवाज़े/खिड़कियां/वेंटिलेटर ग्रिल्स और शीशे वाले शटर आदि को झाड़ू/वैक्यूम क्लीनर/मॉपिंग आदि द्वारा अंदर से साफ करना शामिल है।

(v) फ्लैट्स की अर्धवार्षिक सफाई
मुख्य कार्यालय भवन के एमेनीटीज ब्लॉक और तम्मलम, प्लामूड और नंत्तनकोड में आवासीय क्वार्टरों में कक्षा III और कक्षा IV के फ्लैट्स की सफाई और रखरखाव हर छमाही में एक बार ऊपर वर्णित (iv) के अनुसार किया जाना है।

(vi) सामुदायिक हॉल और जिम फ्लैट्स की साप्ताहिक सफाई
कार्य में चार आवासीय कॉलोनियों — कवडियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड में सामुदायिक हॉल और जिम फ्लैट्स की पूरी सफाई शामिल है, जिसमें उपकरणों की सफाई भी शामिल है। यह कार्य संबंधित कॉलोनियों के केयरटेकर के निर्देशानुसार किया जाएगा।

c) सफाई कार्य के लिए दिशानिर्देश

1. सफाई कार्य उस समय किया जाना चाहिए जिसे ठेकेदार द्वारा निर्धारित किया गया हो, कार्य की मात्रा और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बिना कार्य की गुणवत्ता से समझौता किए।
2. पंखे, प्रकाश साधनों, एग्जॉस्ट फैन आदि की सफाई।
3. प्लेटफार्म और शौचालय के मृत्तक बर्तन, सीट/यूरिनल बर्तन, सिंक, वॉश बेसिन, टाइलें, रैक, कांच के आईने की सफाई।
4. शौचालय के अंदर फर्श और दीवार डैडो को अच्छी तरह झाड़ू लगाना, धोना, पोछा लगाना और स्क्रब करना।
5. फर्श, दीवार और छत की सफाई करना और उन पर जमी गंदगी, धूल और दाग हटाना। इसे मकड़ी के जाले से भी मुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें कठिन पहुंच वाले स्थानों से उचित उपकरणों का प्रयोग करके उन्हें हटाना शामिल है।
6. सफाई में प्लंबिंग और सैनिटरी फिटिंग और उपकरण आदि की सफाई शामिल है, बिना सेंसर्स को नुकसान पहुंचाए।
7. खिड़कियों, खिड़की के पैन, ग्रिल, दरवाजों, वेंटिलेटरों आदि की सफाई, बिना लगे ब्लाइंड्स को कोई नुकसान पहुंचाए।
8. वॉश रूम में उपलब्ध सहायक वस्तुओं जैसी कि वॉशबेसिन/बाल्टी/मग/साबुन के डिब्बे आदि की सफाई।
9. सभी जिम उपकरणों की सफाई और कीटाणुशोधन डिस्पोजेबल प्री-सैचुरेटेड जिम डीसइंफेक्टेंट वाइप्स का उपयोग करके, उपकरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना।
10. उपयोग की जाने वाली सफाई सामग्री मानक गुणवत्ता की होनी चाहिए (पर्यावरण अनुकूल और गैर विषैली प्रकार की), ताकि CP फिटिंग/टाइल्स/फ्लोरिंग आदि को कोई नुकसान न पहुंचे।
11. ठेकेदार को पर्याप्त/पर्याप्त मात्रा में सफाई सामग्री/उपकरण/साधन खरीदने/रखने/उपलब्ध कराने चाहिए ताकि उच्च स्तरीय सफाई सुनिश्चित की जा सके।
12. ठेकेदार को बाजार में उपलब्ध उपयुक्त गैर विषैले और पर्यावरण के अनुकूल सफाई सामग्री का उपयोग करना चाहिए और जैसा कि बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठेकेदार खिड़की/पंखे/दर्पण आदि की सफाई के लिए केवल मानक गुणवत्ता वाली सफाई सामग्री का उपयोग करेगा, संबंधित फर्श फिनिश के लिए फर्श की सफाई सामग्री का उपयोग करेगा। उपयोग की जाने वाली सामग्री फर्श/डैडो फिनिश की चमक को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पीतल / स्टेनलेस स्टील फिटिंग और जुड़नार को उचित अच्छी गुणवत्ता वाली अनुमोदित सामग्री का उपयोग करके पॉलिश किया जाएगा।
13. ठेकेदार श्रमिकों को जहां भी आवश्यक हो, हाथ के दस्ताने प्रदान करेगा।
14. जब भी आवश्यक हो, किसी भी अतिरिक्त कार्य पर ध्यान देना होगा।
15. एक स्वीकृत प्रारूप में सफाई आवृत्ति चार्ट ठेकेदार द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और इसे देखभालकर्ता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दैनिक आधार पर देखभालकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करना और मासिक रूप से पर्यवेक्षण अधिकारी से प्रमाणित कराना कि कार्यस्थलों और कार्यालय के फर्श की सफाई संतोषजनक रूप से की गई है, यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। उक्त चार्ट मासिक बिलों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
16. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन जांच की जाएगी कि वाशरूम/शौचालय में सभी उपकरण जैसे नल/सिंक/गीज़र/फ्लश/शॉवर/साबुन रखने का डिब्बा आदि काम करने की स्थिति में हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो स्थिति देखभालकर्ता/एस्टेट विभाग को रिपोर्ट की जाएगी।
17. बैंक को पखवाड़े में एक बार अपशिष्ट निपटान की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

[E] रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर्स, कवड़ियार, रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स तम्मलम और नंत्तनकोड में ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर का संचालन।

यह संविदा कवडियार में रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर्स और तम्मलम व नंत्तनकोड में रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स

के परिसर में स्थापित ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर के दिन-प्रतिदिन संचालन के लिए है, ताकि फ्लैट्स, डिस्पेंसरी आदि से एकत्रित अपघट्य कचरे का प्रसंस्करण किया जा सके।

कार्य का दायरा

1. ठेकेदार को प्रत्येक प्लांट में प्रतिदिन औसतन 2 से 3 घंटे की अवधि के लिए संयंत्रों के संचालन हेतु जनशक्ति तैनात करनी होगी।

2. तैनात कर्मी बैंक के केयरटेकर को रिपोर्ट करेंगे और निर्देश लेने के लिए परिसर में निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध रहेंगे। यदि कर्मियों को तैनात करने में असफलता होती है, तो उद्धृत दरों के अनुसार अनुपातिक कटौती बिलों से की जाएगी।

3. कार्य-बल की कार्य अवधि का मूल्यांकन ठेकेदार स्वतंत्र रूप से करेगा।

4. एकत्रित अपशिष्ट को प्रसंस्करण के लिए संयंत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। अपशिष्ट को मशीन में डालने के लिए उपयुक्त रूप में छांटा/वर्गीकृत किया जाएगा (जैसा कि यूनिट के आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित है)। सभी प्रकार की अपघटनीय सामग्री/अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक कवर, कागज, धातु के टुकड़े, पिन, कील, पीवीसी, लकड़ी के टुकड़े/कतरन, रबर, नैपकिन, काँच के टुकड़े, कपड़ा, ई-कचरा, नारियल के खोल और भूसी और सभी अन्य अजैविक सामग्री जो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा (जहां आवश्यक हो वहां सफाई की जाएगी) और निर्दिष्ट स्थान पर जमा किया/संग्रहीत किया जाएगा। इन सामग्रियों को समय-समय पर बैंकों के परिसर से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा।

5. मशीन और उसके संबंधित उपकरणों का संचालन, जैविक अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए, मशीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदिन निर्धारित किया जाएगा।

6. मशीन से उत्पन्न उत्पाद का संग्रह और उसे निर्दिष्ट स्थान पर जमा करना।

7. मशीन कक्ष और उसके आसपास का फर्श, मशीन और उससे जुड़े उपकरणों आदि की सफाई।

8. मशीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित मशीन के संचालन और दैनिक रखरखाव की विधि का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

9. ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मियों को कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 2 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आपात स्थिति में शामिल होने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को प्रशिक्षित कराया जाएगा।

10. कचरा ले जाने के लिए आवश्यक ठेला बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और ठेकेदार को इसका उपयोग करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

11. संचालन के लिए आवश्यक बिजली और पानी बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। हालांकि, पानी और बिजली का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से और आउटलेट पॉइंट्स/फिटिंग्स के संचालन में उचित ध्यान देना होगा।

12. मशीन आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित दैनिक उपभोग्य वस्तुओं जैसे माइक्रोबियल कल्चर (बायोकुलम), गंध नियंत्रण (सैनिट्रीट) और अवशोषक पदार्थ (सॉ डस्ट/नारियल की बुरादी) की निर्धारित मात्रा की आपूर्ति और सुरक्षित रखरखाव ठेकेदार द्वारा बैंक को किसी अतिरिक्त लागत पर व्यवस्थित किया जाएगा। मशीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित दैनिक उपभोग्य वस्तुओं की अनुमानित खपत नीचे दी गई है। ठेकेदार इसे सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए साइट पर एक लॉग बनाए रखा जाएगा। संचालन में डाऊनटाइम से बचने के लिए ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूर्व में ही इंडेंट दिया जाएगा।

क्रम	**उपभोज्य वस्तु का नाम**	**अनुमानित खपत**
1	माइक्रोबियल कल्चर (बायोकुलम)	01 ग्राम प्रति 01 किलोग्राम कचरा
2	गंध नियंत्रण (सानी उपचार)	01 ग्राम प्रति 01 किलोग्राम कचरा
3	अवशोषक माध्यम (चूरा/नारियल गूदा)	कचरा मात्रा का 15-20%

13. मशीन की किसी भी प्रकार की खराबी / टूटफूट, संचालन में कठिनाई की सूचना मशीन के आपूर्तिकर्ता/बैंक अधिकारियों को तुरंत दी जानी चाहिए ताकि संभावित डाउनटाइम से बचा जा सके।

14. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, चश्मा, मास्क, ढके हुए जूते, एप्रन आदि प्रदान किए जाएंगे। कर्मचारियों को पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सक के तहत तिमाही आधार पर स्वास्थ्य परीक्षा कराई जाएगी और यदि निर्धारित/आवश्यक पाया गया तो ठेकेदार द्वारा उचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

15. नियमित कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश या छुट्टियों की अनुमति देते समय संयंत्र के संचालन के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे।

1. **प्रति सप्ताह कर्तव्यों की न्यूनतम आवश्यकता:** ऊपर उल्लिखित व्यापक कार्यक्षेत्र (अनुच्छेद 2, खंड VIII) में निर्दिष्ट सभी कार्यों के लिए प्रति सप्ताह कर्तव्यों की न्यूनतम आवश्यकता नीचे सारणीबद्ध की गई है:

बैंक की ज़रूरत के हिसाब से हर हफ़्ते कर्तव्यों की संख्या								
	रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	कुल
बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में पर्यवेक्षक	-	3	3	3	3	3	2	**17**
कवड़ियार में बैंक की आवासीय कॉलोनी में पर्यवेक्षक	1	1	1	-	1	1	1	**6**
तम्मलम में बैंक की आवासीय कॉलोनी में पर्यवेक्षक	1	1	1	1	-	1	1	**6**
प्लामूडू और नंथनकोड में बैंक की आवासीय कॉलोनी में पर्यवेक्षक	1	1	-	1	1	1	1	**6**
बैंक के मेन ऑफिस परिसर में सिक्योरिटी एरिया सहित इनडोर/आउटडोर सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए कर्मचारी	-	31	31	31	31	31	8	**163**
कवड़ियार में बैंक की आवासीय कॉलोनी में इनडोर/आउटडोर सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए कर्मचारी	14	14	14	14	14	14	14	**98**
बैंक की तम्मलम में आवासीय कॉलोनी में इनडोर/आउटडोर सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए कर्मचारी	14	14	14	14	14	14	14	**98**
प्लामूडू में बैंक की आवासीय कॉलोनी में इनडोर/आउटडोर सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए कर्मचारी	6	6	6	6	6	6	6	**42**
बैंक की आवासीय कॉलोनी, नंथनकोड में इनडोर/आउटडोर सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए कर्मचारी	6	6	6	6	6	6	6	**42**
कुल	**43**	**77**	**76**	**76**	**76**	**77**	**53**	**478**

उपरोक्त उल्लिखित तालिका स्पष्ट रूप से बैंक की वर्तमान आवश्यकता को सप्ताह भर में वितरित रूप में परिभाषित करती है और बोलीदाता इस आवश्यकता के आधार पर दरें पेश करेंगे। अतः, वार्षिक कुल ड्यूटी की अनुमानित आवश्यकता लगभग '24,925' होगी और मासिक औसत ड्यूटी की संख्या लगभग '2,077' होगी। विभिन्न परिसर और श्रमिक वर्ग के अनुसार वार्षिक ड्यूटी का विस्तृत विभाजन नीचे तालिकाबद्ध किया गया है। बैंक को कार्य प्रदान करने से पहले या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। ड्यूटी की संख्या में इस प्रकार के परिवर्तन पर बैंक द्वारा मासिक अनुबंध राशि तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

	प्रति वर्ष पर्यवेक्षकों के कार्यों की संख्या	प्रति वर्ष कामगारों के कार्यों की संख्या
बेकरी जंक्शन पर मुख्य कार्यालय परिसर	887	8499
कवड़ियार , तम्मलम, प्लामूडू, नंत्तनकोड में आवासीय कॉलोनियां	939	14600
कुल	1,826	23099
कुल योग		24925

3.2 ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी पर्यवेक्षक (Supervisor) उन श्रमिकों की सेमी-स्किल्ड (क्षेत्र बी) श्रेणी में आएंगे जो "सड़कों या रनवे के निर्माण वा रखरखाव या भवन निर्माण कार्यों में, जिसमें भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश संचार केबलें और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल कार्य, विद्युत लाइने, जल आपूर्ति लाइने और सीवरेज पाइप लाइनें शामिल हैं" में नियोजित हैं, जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (क) कार्यालय द्वारा 25 सितंबर 2025 को जारी सरकारी आदेश में उल्लेखित है। सभी पर्यवेक्षकों के वेतन में संशोधन, जब भी भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा, केवल उपरोक्त श्रेणी के अनुसार होगा।

3.3 ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी अन्य कर्मचारी ''अकुशल'' (क्षेत्र बी) श्रमिकों की श्रेणी में आएंगे, जो "सड़क या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन निर्माण कार्यों में शामिल हैं, जिसमें भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें और सीवरेज पाइप लाइनें" शामिल हैं, जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (C) के कार्यालय द्वारा 25 सितंबर, 2025 को जारी सरकारी आदेश में उल्लेखित है। इन सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित वेतन संशोधन केवल उपरोक्त श्रेणी के संदर्भ में ही लागू होंगे।

3.4 ठेकेदार द्वारा मूल्य बोली में प्रस्तुत किया गया उद्धरण निश्चित और अंतिम होगा और बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे को स्वीकार नहीं करेगा, केवल तब जब न्यूनतम वेतन की दो घटक दरों में परिवर्तन हो, अर्थात् मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA), जैसा कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत घोषित किया गया हो। मासिक अनुबंध राशि में ऐसे बढ़ोतरी की मात्रा, मासिक जिम्मेदारियों के अनुपात में, केवल मूल दरों और परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) में वृद्धि और किसी अन्य घटक तक सीमित होगी जो कानूनन मजदूरी या भत्ते का हिस्सा हैं जैसे कि EPF, ESI, बोनस आदि, जो मूल दरों और/या परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) पर निर्भर करते हैं, बैंक द्वारा मासिक अनुबंध में संशोधन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। ठेकेदार को इन कानूनन घटकों की संभावित वृद्धि को मूल दरों और VDA के अलावा ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे तरीके से सर्वोत्तम दरें पेश करनी चाहिए ताकि इन अतिरिक्त लागतों को मूल्य बोली में समायोजित किया जा सके। न्यूनतम सेवा शुल्क जो बोला गया है, वह निश्चित घटक का 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। इस सीमा से नीचे कोई भी बोली अवैध मानी जाएगी। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

खंड IX

प्रस्तावना

1. सफल निविदा स्वीकार करने वाला बैंक के साथ एक सेवा स्तर करार में प्रवेश करेगा, जिसमें भेजी जाने वाली मानव शक्ति, उनके कार्य समय और ऑन-कॉल उपलब्धता का विवरण शामिल होगा।

2. सभी कार्य ऑफिस की सुविधा अनुसार समय पर किए जाएंगे और बैंक को किसी भी प्रकार की बाधा या असुविधा नहीं होगी। ठेकेदार के पर्यवेक्षी कर्मचारी अपने स्टाफ को निर्देश देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए। सभी कर्मचारियों को यूनिफ़ॉर्म में होना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में केयर-टेकर/सहायक केयर-टेकर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। किसी भी बड़े कार्य या मरम्मत के बारे में उन्हें तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। सभी शिकायतों और किए गए सुधारात्मक कार्यों की रिपोर्ट रखी जानी चाहिए और उन्हें हर महीने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. पर्यवेक्षक को अतिरिक्त या कुशल कार्यकर्ता/कर्मचारियों की ऑन-काल आधार पर नियुक्ति करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें आवश्यकतानुसार सभी बाहरी एजेंसियों के साथ काम समन्वय करने की जिम्मेदारी भी होगी।

4. तैनात पर्यवेक्षक प्रणाली की रोकथाम रखरखाव और विफलता/टूट-फूट के लिए जिम्मेदार होगा। उन्हें एक सेलुलर फोन प्रदान किया जाएगा, जिसका नंबर बैंक को दिन के सभी समय संपर्क बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

5. ठेकेदार जिम्मेदार है कि सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा करवाए। उनके सभी कर्मचारियों का विवरण सहित अनुपालन रिपोर्ट बैंक को रिकॉर्ड के लिए जमा की जानी चाहिए। सुरक्षा दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया समय-समय पर करवाई जानी चाहिए।

6. इस संविदा के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते समय ठेकेदार किसी भी नाबालिग को शामिल नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो अनुबंध रद्द किए जाने के अलावा, ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

7. सभी वॉशरूम में एक जॉब कार्ड होना चाहिए जिसे पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो ताकि नियमित सफाई सुनिश्चित की जा सके।

8. ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह मानक और गुणवत्ता वाले कीटाणुनाशक, एयर-प्यूरिफायर, हैंड वॉश, नफ्थलीन बॉल्स, सुगंधित यूरिनल स्क्रीन मैट और अन्य सफाई एजेंटों का उपयोग करें, जो फिक्स्चर के लिए सुरक्षित हों और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हों।

9. ठेकेदार के सेवा कर्मियों को बैंक परिसर के भीतर आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

विभिन्न सेवा कर्मचारियों के कर्तव्य और कार्य समय का विवरण सामान्य रूप से इस प्रकार है:

रखरखाव पर्यवेक्षक:

समय – सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (ड्यूटी का समय बैंक की सुविधा और प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा)

- ✓ न्यूनतम 12वीं कक्षा/स्नातक और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में दो साल का अनुभव।
- ✓ शिष्ट और विनम्र स्वभाव का होना चाहिए।
- ✓ दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए केयर-टेकर/सहायक केयर-टेकर को रिपोर्ट करेगा।
- ✓ परिसरों की सफाई, कर्मचारियों और वार्ड्स के साथ नैतिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा।
- ✓ वह बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में सक्रिय रहेगा।
- ✓ फ्लैट्स की सफाई में लगे हाउसकीपरों को संभालने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी वह/वह होगी।
- ✓ फ्लैट के निवासियों के साथ बातचीत करनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से या फोन के माध्यम से फ्लैट/बाथरूम की स्वच्छता में उनकी सुविधा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए।
- ✓ किसी भी समस्या के लिए बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए।
- ✓ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी फ्लैट/वॉशरूम अनुबंध की शर्तों के अनुसार साफ किए गए हों।
- ✓ अपने नियंत्रण में सभी हाउसकीपर्स को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें कर्तव्यों का आवंटन करना चाहिए।
- ✓ निवासियों द्वारा किए गए सभी हाउसकीपिंग कॉल का उत्तर देना चाहिए और हाउसकीपर्स को असाइन करना चाहिए।

हाउसकीपिंग/रखरखाव कर्मचारी:

समय – सुबह 7.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक – प्रत्येक व्यक्ति के लिए 8 घंटे का विभाजित समय (ड्यूटी के घंटे बैंक की सुविधा और प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे)

- ✓ फ्लैट्स/वॉश रूम, एमओबी और कॉलोनी परिसर आदि की सफाई और रखरखाव।
- ✓ सुपरवाइज़र द्वारा सौंपे गए कार्यों का पालन करना।
- ✓ निवासियों द्वारा किए गए सभी हाउसकीपिंग कॉल्स का जवाब देना चाहिए।

खंड - X

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, जिसमें पर्याप्त मात्रा में असंसर्गीय पट्टियाँ और सूती ऊन शामिल हैं, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए आसानी से पहुँच योग्य स्थान पर रखा जाएगा।

2. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, घायल व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अस्पताल में तुरंत ले जाया जाएगा, जहाँ चोट के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।

3. उन सभी कार्यों के लिए, जिन्हें सुरक्षित रूप से जमीन स्तर से नहीं किया जा सकता, कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत फाटक (स्कैफोल्ड) प्रदान किए जाने चाहिए।

4. नियुक्त किए गए कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।किसी बिल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली जगह पर सही फेंसिंग लगाकर लोगों या सामान को गिरने से रोकने के लिए सही तरीके दिए जाएंगेया रेलिंग जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मी होगी।

5. किसी भी इमारत की मंजिल में या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर छेद पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त फेंसिंग या रेलिंग के माध्यम से उपयुक्त साधन प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर हो।

6. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी आठ मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेल्स के बीच की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और दो पास-पास की सिढ़ियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाए, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी को लगाया जाना चाहिए।

7. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई, जो भी ज़्यादा हो के अंदर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

8. किसी भवन की मंज़िल में या कार्य प्लेटफ़ॉर्म में किसी भी छेद पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान की जानी चाहिए; न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।

9. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य हिस्सा इस हद तक मलबे या सामग्री से ओवरलोड नहीं किया जाना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

10. एसे फर्श या सामग्री जैसे कि डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार को मिश्रण और संभालने वाले कर्मचारियों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

11. जो लोग वेल्डिंग कार्यों में लगे हैं उन्हें वेल्डर की सुरक्षात्मक आई शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

12. अग्रसारक या लेड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में।

13. जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाए या सतह पर लेड पेंट सूखकर रगड़ी और खुरचाई गई हो, तब कामगारों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क प्रदान किए जाएंगे।

14. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल प्रदान किए जाएंगे और कार्यरत चित्रकारों को कार्य के विराम के दौरान धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

15. कार्य में उपयोग की जाने वाली होइस्टिंग मशीनें और उनके उपकरण, संलग्नक, एंकरज और समर्थन पूरी तरह से कार्यक्षम स्थिति में होंगे।

16. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे करने में प्रयुक्त रस्सियां या निलंबन का साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त शक्ति का होगा और दोषमुक्त होगा।

खंड-XI

अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर उपयोग किए जाने वाले कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरण सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किए जाने चाहिए।
2. केवल ISI मार्केड 3 पिन प्लग और अन्य उपकरण एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. उपयोग किए जाने वाले विद्युत पावर केबल/वायरों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और वे सही रेटेड होने चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण जैसे कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को सुरक्षित रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए ताकि संचालन के दौरान leakage current से बचाव हो सके।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाना चाहिए और केवल फायर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।
6. साइट पर आसानी से उपलब्ध क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जानी चाहिए।
7. साइट पर फायर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए और जारी किए गए फ़ायर एक्सटिंगुइशर रखा जाना चाहिए।
8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को केवल निर्दिष्ट स्टोर में ही सही ढंग से बंद करने के बाद संग्रहित किया जाना चाहिए।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान के प्लग आदि, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, ठेकेदार द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रदान किए जाएंगे ताकि व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचा जा सके।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कार्यकर्ता इसे जमीन से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय पहनेंगे।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरा जमा करने या स्टैकिंग के लिए कोई मार्ग उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. जब उपकरण का उपयोग न किया जा रहा हो, तो मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए।
15. काम से उत्पन्न लकड़ी के टुकड़े और आरी के धूल को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।
16. काम से उत्पन्न किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।
17. कार्यालय समय के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठेकेदार द्वारा बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

अनुबंध ए

ग्राहक का प्रमाण पत्र जो हाउसकीपिंग सेवाएँ प्रदान करने वाले ठेकेदार के प्रदर्शन के बारे में हो
(ग्राहक द्वारा अपने लेटरहेड पर जारी किया जाना चाहिए)

ग्राहक का नाम और पता:

मेसर्स ..... से प्राप्त सेवा का विवरण

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1	प्राप्त सेवा की प्रकृति	
2	संविदा संख्या और दिनांक	
3	करार की राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या	
6	संविदा के नियमों और शर्तों के पालन के बारे में टिप्पणी	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं)	
8	पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल रकम	
9	उस अथॉरिटी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया	
10	i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं)	बहुतबढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दर पर पेमेंट किया गया काम, अगर कोई हो	
11	i) क्या ठेकेदार आर्बिट्रेशन के लिए गया?	
	ii) अगर हाँ, तो दावे की कुल रकम	
	iii) कुल दी गई राशि	

12	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणी	
	a) तकनीकी दक्षता	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	b) वित्तीय सुदृढ़ता	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	c) जनशक्ति का जुटान	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) सामान्य व्यवहार	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
13	किसी भी अन्य जानकारी	

स्थान:

तारीख
:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

टिप्पणी:

i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और समक्ष हस्ताक्षरित हों।
ii) प्रत्येक प्रीक्वालिफिकेशन कार्य/कार्यों के लिए क्लाइंट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
iii) सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों या पीएसयू के मामले में अधिकारी / कार्यपालक अभियंता या समकक्ष के स्तर से नीचे न होने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।
iv) ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतानों के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित।
v) निजी संगठन द्वारा जारी क्लाइंट की रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए।
vi) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और समक्ष हस्ताक्षरित हों। क्लाइंट प्रमाणपत्र क्लाइंट के लेटरहेड पर होना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय केवल रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रति “mstcecommerce” पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)

अनुबंध बी
आपूर्तिकर्ता विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक	
तिरुवनंतपुरम	
ईसीएस / एनईएफटी के माध्यम से बिलों का भुगतान	
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं का विवरण	
फर्म / कंपनी का नाम *	
फर्म/कंपनी का प्रकार	
GSTIN. *	
स्थायी खाता संख्या (पैन)*: -	
डाक पता (पिन कोड के साथ)*	
संपर्क व्यक्ति *	
टेलीफोन नंबर (भूमि)	
मोबाइल नंबर *	
ईमेल आईडी *	
बैंक खाता संख्या*	
खाते का प्रकार*	
बैंक का नाम*	
शाखा का नाम*	
आईएफएससी कोड*	
भविष्य निधि पंजीकरण संख्या	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या	
एमएसएमई पंजीकरण संख्या	

क्या निविदाकर्ता के पास अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के साथ अनुबंध श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के तहत लाइसेंस है।		
दूसरे संगठनों के साथ इसी तरह की सेवा करने का अनुभव		
पिछले 3 सालों में दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन को दी गई सेवाएँ का कुल संविदा मूल्य	2022-2023	₹
	2023-2024	₹
	2024-2025	₹
पिछले तीन वर्षों का वित्तीय टर्नओवर	2022-2023	₹
	2023-2024	₹
	2024-2025	₹
अगर आप किसी भी समय किसी मुकदमे में शामिल हैं तो बताएं		
किसी भी अदालत में लंबित कोई भी नागरिक मामला है , विवरण दें।		

अनुबंध सी

ईएमडी भुगतान संदर्भ	
फर्म / कंपनी का नाम *	
मोबाइल नंबर	
भेजने वाले का बैंक खाता सं. *	
भेजने वाले का IFSC कोड*	
ईएमडी की रकम दी गई:*	
भुगतान संदर्भ सं:*	
भुगतान की तारीख :*	
* से मार्क किए गए फ़ील्ड ज़रूरी तौर पर भरे जाने चाहिए।	

अनुबंध - डी

सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाए)

सं. _____ दिनांक _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम

महोदया

मेसेर्स _____(जिसे इसके बाद "ठेकेदार"कहा गया है) द्वारा दिनांक ..... की उनकी निविदा में निर्धारित या संदर्भित परस्पर सहमति से तय परिवर्तनों के अधीन संविदा तथा आपकी विशेष शर्तों के अनुसार, दिनांक..... की निविदा 'तिरुवनंतपुरम स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं के संविदा – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक ऑफिसर क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड' के लिए आपके निविदा दिनांक _____ और उसके संदर्भ में उल्लिखित या निर्दिष्ट शर्तों और परिवर्तनों के अनुसार हमसे बैंक गारंटी के रूप में जमा किए जाने लायक ₹.....(रु. .....मात्र) की प्रतिभूति जमारशि को स्वीकार करने के लिए सहमत होने के मद्देनज़र, हम ____ (बैंक का नाम) इस प्रकार वचन देते हैं और सहमत हैं:

1. हम यह प्रतिबद्ध करते हैं कि हम आपको क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे और समय-समय पर आपको क्षतिपूर्ति प्रदान करते रहेंगे, सीमा तक ₹.....(रु. .....मात्र) उस किसी भी हानि या नुकसान के लिए जो आपको हुई हो या हो सकती है, किसी भी उल्लंघन के कारण जो संविदाकार ने उक्त अनुबंध में निहित किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन किया हो, और यदि संविदाकार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य के निष्पादन में या अन्यथा किसी भी शर्तों और नियमों के पालन और प्रदर्शन में कोई चूक होती है, तो हम आपके द्वारा माँगे जाने पर तात्कालिक रूप से आपको वह राशि या राशियाँ भुगतान करेंगे, जो कुल मिलाकर उक्त राशि ₹.....(रु. .....मात्र) से अधिक नहीं हों, जो आपको संविदाकार की झूठी या असफल क्रियाओं के कारण आपके नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में दावा की जा सकती हैं।

2. इसके विपरीत किसी भी चीज़ के बावजूद, यह निर्णय कि ठेकेदार ने कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं और इससे आपको कितनी राशि का अधिकार है, हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपसे यह स्थापित करने को नहीं कह सकेंगे कि आपके इस गारंटी के तहत कितावे दावे हैं, बल्कि हम आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तुरंत ही उक्त राशि का भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी जारी रहेगी और मान्य रहेगी जब तक कि आपने ठेकेदार के आवेदन पर इसे मुक्त नहीं किया, उक्त अनुबंध की सापेक्षिक गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद और जब ठेकेदार ने उक्त अनुबंध के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया हो और उक्त अनुबंध के तहत कार्य की उचित पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो और एक "नो डिमांड

सर्टिफिकेट" जमा किया हो, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी परिस्थिति में _____ के दिन के बाद प्रभाव में न रहे, बशर्ते आपकी कोई भी दावा या दावे जो कि उक्त तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर हमारे पास लिखित रूप में दर्ज या सूचित किए गए हों, बिना प्रभावित हुए हमारे खिलाफ लागू किए जा सकेंगे, भले ही उन्हें उक्त तारीख के बाद लागू किया जाए।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि उस समय तक बढ़ाने का संकल्प लेते हैं जब तक कि आपको आवश्यकता हो। इस संबंध में आपका निर्णय हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.आपको इस गारंटी को प्रभावी किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या ठेकेदार के प्रदर्शन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को किसी भी समय दिए जाने या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार के प्रति किसी रियायत या उक्त अनुबंध या किसी भी अन्य कार्य, मामले या चीजों में किसी भी बदलाव या संशोधन के द्वारा हमारी देयता से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत लेकिन यहां के प्रावधानों के लिए हमें हमारी देयता से मुक्त करने का प्रभाव होगा बशर्ते कि इसमें समाहित कोई भी बात हमारी देयता को ₹.....(रु. .....मात्र) से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।

6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपकी ओर से ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने, बदलने या छोड़ने का निर्णय लें या ठेकेदार के विघटन, परिसमापन, दिवालियापन या मृत्यु के कारण, जैसा कि मामला हो, प्रभावित नहीं हो सकती है।

7. यहां निहित गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आप ऐसा कार्य करने के अधिकारी होंगे जैसे कि हम आपके प्रमुख ऋणदाता हैं और ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में, जिन्हें हमने यहाँ पूर्वोक्त रूप से गारंटीकृत किया है, और हम यहां स्पष्ट रूप से अपनी सभी गारंटी और अन्य अधिकारों, यदि कोई हों, को छोड़ते हैं, जो इस गारंटी की किसी भी प्रविधान के साथ किसी भी तरह असंगत हों।

8. हमारी उपरोक्त निर्दिष्ट अधिकतम जिम्मेदारी की सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों को कवर करेगी, जो उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले हैं या संबंधित हैं और जिनके लिए आपकी लिखित मांग इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से पहले छह महीनों के भीतर हम पर दर्ज की जाती है।
9. इस अनुबंध के तहत किसी भी सूचना को मांग या अन्य तरीके से हमारे स्थानीय पते पर विशेष कूरियर, टेलिक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है और यदि इसे डाक द्वारा भेजा गया है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक द्वारा भेज दिया गया हो।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान, आपको हमारे द्वारा पूर्व में दी गई किसी भी अन्य गारंटी (चाहे अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) के लिए किसी सीमा के रूप में नहीं, बल्कि अतिरिक्त हैं और यह गारंटी ऐसा करने का इरादा नहीं रखती और न ही किसी ऐसी गारंटी को रद्द या सीमित करेगी।

11. इस गारंटी पर ठेकेदार या हमारे संगठन में किसी भी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही आपके संगठन में किसी बदलाव या किसी विलय या अवशोषण से यह प्रभावित होगी, बल्कि यह विलय या अवशोषित कंपनी या संस्था के लाभ के लिए जारी रहेगी और उपलब्ध एवं प्रवर्तनीय होगी।
12. बैंक द्वारा उक्त टेंडर की शर्तों को लागू करने में किसी भी प्रकार की सहनशीलता, कार्य या चूक या टेंडरकर्ता को किसी प्रकार की सुविधा दिखाना गारंटर की जिम्मेदारी को किसी भी तरह से समाप्त नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत गारंटर की बाध्यताएँ केवल तब समाप्त होंगी जब बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना दी जाए।

13. इस गारंटी की अवधि के दौरान यह अपरिवर्तनीय है और आपके लिखित पूर्व अनुमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।

14. हम यह भी सहमत होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप द्वारा लिखित में मांगी गई राशि को बिना किसी आपत्ति के चुकाएंगे, भले ही आपके और कॉन्ट्रैक्टर या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई भी अंतर, विवाद या असहमति मौजूद हो या उत्पन्न हो।
15. उपरोक्त में कही गई किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता INR ____ (केवल INR _____) तक सीमित है। इस गारंटी की समाप्ति की तिथि से, यदि कोई विस्तार हो तो उस समय सहित, छह माह के भीतर इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर लिखित दावा नहीं किया जाता है, तो इस गारंटी के तहत आपका सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हमें मान लिया जाएगा कि हम सभी देयताओं से मुक्त और विमुक्त हो गए हैं, चाहे मूल गारंटी हमें लौटाई गई हो या नहीं।

16. हमारे बैंक के स्मारक और अनुच्छेदों के तहत हमें यह गारंटी आपके पक्ष में जारी करने का अधिकार है और हस्ताक्षरकर्ता को बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(ऊपर बताए गए बैंक के लिए और उसकी ओर से)

बैंक के लिए और की ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

ऊपर बताए गए लोगों द्वारा बैंक की ओर से साइन, सील और डिलीवर किया गया, इनकी मौजूदगी में:

साक्षी 1

हस्ताक्षर
नाम .....
.....
पता .....

नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी आवश्यक होगी जहाँ इसे निष्पादित किया गया है और इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिनके हस्ताक्षर और प्राधिकरण की पुष्टि की जाएगी।

अनुबंध-ई

बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र

(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाए)

यह गारंटी पत्र इस ____ दिनांक ___ वर्ष दो हज़ार ____ को ____ (बैंककर्मी का नाम) के बीच बनाया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ (स्थान) में स्थित है और जिसका एक स्थानीय कार्यालय ___ में है (इसके बाद 'जामीनदार' कहा जाएगा), और भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम है, जिसका केंद्रीय कार्यालय सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में स्थित है (इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा)।

जहाँ _____ (जिसे आगे 'निविदाकर्ता' कहा जाएगा) एक कंपनी है, जो ____ के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, बैंक के साथ ईमानदारी राशि के रूप में ₹_____ (₹ _ _ _मात्र) जमा करने के लिए बाध्य है, जो 'बैंक की विभिन्न संपत्तियों, तिरुवनंतपुरम में स्थित – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, (c) तम्मलम, (d) प्लामूडु और (e) नंत्तनकोड के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं के संविदा' के लिए उसके निविदा के संबंध में है और इसमें संलग्न विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार है।

जहाँ तक निविदाकर्ता ने निविदा दाताओं के निर्देशों और विशेष शर्तों के खंड IV, अनुच्छेद संख्या ____ के अनुसार नकद रूप में अर्जित धन की जमा राशि के बजाय _____ तक वैध बैंक गारंटी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब यह साक्ष्य है:

1 जैसाकि ऊपर उल्लेखित निविदाकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत निविदा के परिप्रेक्ष्य में, यह जमानतकर्ता बैंक को बिना किसी आपत्ति के, मांग पर उक्त राशि ₹_____ (₹ _ _ _मात्र) का भुगतान करने की गारंटी देता है, जो इस गारंटी पत्र की प्रस्तुति पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर देय होगी, जिसे निविदाकर्ता अपने निविदा से संबंधित earnest money के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।

2 यह गारंटी निविदाकर्ता की किसी भी अक्षमता या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतकर्ता की संरचना में किसी भी परिवर्तन या विघटन से प्रभावित नहीं होगी।

3 अगर निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है या उसके नियम और शर्तों में ऐसा बदलाव करता है जो बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं है, या बैंक ने निविदाकर्ता के साथ 'बैंक की विभिन्न संपत्तियों पर हाउसकीपिंग सेवाओं के संविदा, तिरुवनंतपुरम में - (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकर जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवडियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड' का आदेश देने का निर्णय लेने के बाद निविदाकर्ता उसके आदेश को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है, तो बैंक इस गारंटी के अंतर्गत किसी भी दावा करने का पात्र होगा।

बैंक का इस संबंध में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. गारंटर इस गारंटी को इसकी अवधि के दौरान रद्द नहीं कर सकता और न ही कर पाएगा, सिवाय इसके कि बैंक की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त हो।

5. उपरोक्त में जो कुछ भी शामिल है उसके बावजूद, गारंटर की गारंटी के तहत जिम्मेदारी केवल ₹ _____ (₹ _____ केवल) तक सीमित है।

6. यह गारंटी _____ तक प्रभावी और लागू रहेगी और बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना दिए जाने पर समाप्त हो

जाएगी और प्रभावहीन हो जाएगी, ऐसे में यह गारंटी समाप्त मानी जाएगी।
7. गारंटर बैंक द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, चाहे निविदाकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।
8. बैंक द्वारा उक्त टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में किसी भी प्रकार की सहनशीलता, कार्य या चूक, या टेंडरकर्ता के प्रति किसी भी प्रकार की उदारता प्रदर्शित करने से गारंटर की जिम्मेदारी किसी भी तरह से समाप्त नहीं होगी और इस गारंटी के तहत गारंटर की जिम्मेदारियाँ केवल बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना देने पर ही समाप्त होंगी।
9. उपरोक्त में कहीं कुछ भी कहा गया हो, इसके बावजूद, जब तक इस गारंटी के तहत गारंटर से लिखित में मांग या दावा _____ तक नहीं किया जाता है, उसके बाद गारंटर इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त रहेगा।
10. गारंटर को अपने ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के अधीन इस गारंटी को जारी करने का अधिकार है और जमानतदार द्वारा दिए गए मुख्तारनामा के अधीन इस विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास आवश्यक अधिकार है।

उपर्युक्त बैंक के बदले और उसकी ओर से
हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(बैंक का नाम और मुहर)
के बदले और उसकी ओर से

शाखा प्रबन्धक
(बैंक की मुहर)

अनुबंध- एफ

पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के क्वालिफाइंग कामों की डिटेल्स

क्रमांक	फर्म/कंपनी का नाम और पता	कार्य की प्रकृति	कार्य का संविदा मूल्य	काम समय पर पूरा हुआ या नहीं (शुरू होने की तारीख और पूरा होने की तारीख बताएं)	कार्य आदेश के अनुसार पूरा होने का समय@	फ़ैक्स/फ़ोन नंबर और फ़र्म का संपर्क व्यक्ति

(अगर ज़रूरी हो तो शीट संलग्न करें)

@कृपया कार्य आदेश की प्रति जमा करें।

तारीख:

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध - जी

बायो- डाटा फॉर्म / Bio- Data of workers employed by the contractor

(to be submitted in letter head of the contractor)

नाम / Name		स्व-सत्यापित पासपोर्ट साइज़ फोटो लगायें Affix Self-attested Passport size photograph
पिता का नाम / Father's Name		
जन्म तिथी / Date of Birth		
लिंग / Gender		
विवाह की स्थिति / Marital Status		
शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification		
वर्तमान पता / Current Address		
स्थाई पता / Permanent Address		
मोबाईल नं. / Mobile No.		
*आधार नं. / Aadhaar No.		
*पैन नं. / PAN No.		
*बैंक खाता विवरण / Bank Account Details	खाता संख्या/ Account No.- आई.एफ.एस.सी. कोड/ IFSC Code-	
*पी.एफ. (यू.ए.एन.) संख्या / PF (UAN) No.		
*ई.एस.आई.सी. (आई.पी.) नं. / ESIC IP No.		
नमूना हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान/ Specimen Signature or Thumb impression		

* *अनिवार्य दस्तावेज Mandatory documents*

उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और सहायक दस्तावेज संलग्न हैं।

The above details are verified by me and the supporting documents are enclosed.

ऑफिशियल सील के साथ हस्ताक्षर / Signature with official seal-

अधिकारी का नाम / Name of Official-

पदनाम / Designation-

स्थान / Place-

दिनांक / Date-

अनुबंध - एच

किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्म
(बैंक के पत्र शीर्ष पर)

स्थान:
तारीख:

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
केरल

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी और ज्ञान के अनुसार श्री/श्रीमती....., हमारे बैंक के ग्राहक, जिनका पता संक्षेप में उल्लेखित है, सम्मानीय हैं और किसी भी लेन-देन के लिए ₹.....(रुपए .....) तक अच्छी तरह से माना जा सकते हैं।

यह प्रमाणपत्र किसी भी प्रकार की गारंटी या बैंक या उसके किसी अधिकारी की जिम्मेदारी के बिना जारी किया गया है।

बैंक के लिए नाम, पदनाम और मुहर के साथ

टिप्पणी:-
(i) बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए
(ii) साझेदार फर्म के मामले में, बैंक में रिकॉर्ड किए गए सभी भागीदार के नाम शामिल करने के लिए प्रमाणपत्र।

टिप्पणी:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए, सील करके भर्ती प्राधिकारी को संबोधित कवर में।

2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में उन सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए जो बैंक में दर्ज हैं।

अनुबंध – आई

बैंकों का विवरण

हमारे बैंक/बैंकों का विवरण हैं:

एस. नं.		बैंक 1	बैंक 2
1	बैंक का नाम		
2	शाखा का नाम और उसका पूरा पोस्टल पता		
3	शाखा प्रबन्धक का नाम, उसका टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर आदि		
4	खाते का प्रकार		
5	खाता संख्या		
6	खाता धारक का नाम		
7	आईएफएससी कोड		
8	क्या क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है		
9	खाता खोलने की तिथि		

#हर बैंक का रद्द किया हुआ चेक अटैच करें।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
फर्म/कंपनी का नाम मुहर सहित

अनुबंध – जे

संविदात्मक श्रमिक नियमावली/विनियमावली के खिलाफ नियोजक को क्षतिपूर्ति देने का प्रोफार्मा

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम:695 033

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं / हम इस प्रकार यह प्रतिज्ञा करते हैं कि बैंक की विभिन्न संपत्तियों जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन (b) रिजर्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कोडियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (c) तम्मलम (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड में हाउसकीपिंग सेवाओं के, से 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक, वार्षिक रखरखाव संविदा को पूरा करने के लिए मेरे / हमारे द्वारा लगे सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करेंगेउस दर पर जो न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम न हो और यह सुनिश्चित करें कि CLRA अधिनियम, 1970 के तहत आवश्यक सुविधाओं का पालन हो और प्रधान नियोक्ता (भारतीय रिजर्व बैंक) को सभी ऐसे कार्यों के खिलाफ सुरक्षित रखें जो मेरे / हमारे द्वारा मजदूरी का भुगतान न करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान न करने पर सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा प्रधान नियोक्ता (भारतीय रिजर्व बैंक) के खिलाफ शुरू किए जा सकते हैं।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर: .....।

नाम: .....।

पता: .....।
.....
.....
तारीख: .....

मुहर

(ऊपर दी गई घोषणा 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाना है)

अनुबंध- के

निविदा के भाग-1 के साथ MSTC पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्रमांक।	दस्तावेज़ों का विवरण	जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं*) *कृपया सही कारण बताएं
1	बैंक द्वारा जारी किया गया निविदा दस्तावेज़ – ठीक से भरा हुआ, स्टैम्प लगा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ (सभी परिशिष्ट, बोलीपूर्व बैठक के मिनट्स और अगर कोई हो तो सुधार-सूचना के साथ)	
2	कंपनी की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकृत करना	
3	₹5,20,000/- की ईएमडी रकम भेजने के सबूत के तौर पर एनईएफटी रसीद/बीजी की कॉपी	
4	व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों / पार्टनरशिप डीड / पंजीकरण का दूसरा ज़रूरी प्रमाणपत्र	
5	निविदा दाता वाले की जानकारी (परिशिष्ट -B में दिए गए फॉर्मेट में) और साथ ही सभी डायरेक्टर और ज़िम्मेदार अधिकारियों/पार्टनर/शामिल लोगों की जानकारी।	
6	पैन कार्ड और दूसरे आयकर से जुड़े दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ	
7	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
8	MSMED पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, अगर कोई हो	
9	ईपीएफ पंजीकरण की प्रति	
10	ईएसआईसी पंजीकरण की प्रति	
11	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस की प्रति, ठेका श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के साथ पढ़ें	
12	इसी तरह के काम करने में 5 साल से ज़्यादा के अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश और समाप्ति प्रमाणपत्र	
13	पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए समान योग्य कार्यों का विवरण ग्राहकों के संपर्क विवरण के साथ (नीचे दिए गए प्रारूप में) अनुबंध-ई)	
14	पिछले 5 सालों में पूरे किए गए सभी मिलते-जुलते पात्र कामों के लिए कार्य आदेश	
15	ग्राहक प्रमाणपत्र (परिशिष्ट A में दिए गए प्रारूप में)	

16	निजी संगठन द्वारा जारी सभी क्लाइंट प्रमाणपत्र के भुगतान के सबूत के तौर पर TDS प्रमाण पत्र की प्रति	
17	पिछले 5 सालों में पूरे किए गए सभी ऐसे ही पात्रता कामों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र	
18	किसी भी सेंटर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने का पिछला अनुभव, अगर कोई हो, तो उसके लिए कार्य आदेश	
19	पिछले 5 सालों के लेखा परीक्षित वित्तीय पत्रककी प्रति और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जारी प्रमाणपत्र जिसमें पिछले 5 सालों का टर्नओवर दिखाया गया हो।	
20	पिछले 5 सालों के आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र / आयकर असेसमेंट आदेश / आयकर परतावे की प्रति	
21	बैंक खाते की जानकारी और बैंक(बैंकों) की संपर्क जानकारी	
22	निविदाकर्ता के बैंकर्स द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से जारी सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए जारी किया गया हो, ताकि निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिरता का संकेत दिया जा सके।	
23	केरल में स्व-स्वामित्व वाले पूर्ण सेवा सेटअप/बैक ऑफिस/प्रशासनिक कार्यालय होने के समर्थन में वैध दस्तावेज़	
24	किसी भी आधार पर किसी भी संगठन द्वारा अदालत में दोषी न ठहराए जाने या निलंबित/ब्लैकलिस्ट न किए जाने का अंडरटेकिंग।	
25	सभी लंबित नागरिक मुकदमे का ब्यौरा, अगर कोई हो	
26	व्यावसायिक शर्तें और नियम में अगर कोई बदलाव हो, तो उसकी लिस्ट	
27	तकनीकी विशिष्टताएँ में अगर कोई विचलन है, तो उसकी सूची	
28	अन्य संबंधित दस्तावेज़, यदि कोई हों, 1) ---------- 2) ----------	

तारीख:
स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए ई-निविदा

भाग-II
मूल्य बोली

जमा करने की आखिरी तारीख:	**27 फरवरी 2026 (मध्याह्न14:00 बजे तक)**
निविदा की वैधता:	**निविदा के भाग -I के खोलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैधता का आगे विस्तार**
बोलीपूर्व बैठक (ऑफ़लाइन):	**13 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न11:00 बजे**

भाग – II

मूल्य बोली (प्रारूप I)

अमूल्यित मात्रा बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

तिरुवनंतपुरम

तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवाओं का कुल शुल्क - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड

क्रम संख्या	वस्तु	मात्रा	माप की इकाई	गुणन कारक
बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में मुख्य कार्यालय परिसर के लिए शुल्क				
1	**निश्चित घटक** बोली लगाने वाले को इस घटक के लिए दरें नहीं बतानी चाहिए। कुल कर्मचारियों के **12** महीनों के सकल वेतन: इस राशि में न्यूनतम वेतन (बेसिक वेतन) (साथ ही परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) हाउसकीपिंग स्टाफ (अकुशल) और पर्यवेक्षक (अर्ध-कुशल) भारत सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार, लागू कर्मचारी राज्य बीमा (**ESI),** कर्मचारी भविष्य निधि (**EPF), EDLI** और प्रशासनिक शुल्क, और बोनस शामिल हैं। [बोली लगाने वाले को अपने कर्मचारियों के लिए **EPF, ESI** और बोनस में योगदान देने का घोषणा-पत्र प्रदान करना होगा; यदि नहीं, तो संबंधित राशि स्थिर घटक से घटा दी जाएगी]			

	कर्मचारी की श्रेणी	प्रति वर्ष कार्यों की संख्या (तालिका नंबर एक)	प्रति वर्ष कुल वेतन (GST को छोड़कर)	प्रति वर्ष कुल राशि (GST सहित) पूर्णांकित
1	हाउस कीपिंग स्टाफ (अकुशल)	8499	79,39,458/-	93,68,560/-
2	पर्यवेक्षक (अर्द्ध कुशल)	887		

2.	**परिवर्ती घटक:** बोलकता अपने इच्छित राशि को MSTC वेबसाइट पर GST को निकालकर उद्धृत कर सकता है। कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए सेवा शुल्क जैसा कि भाग I में विस्तार से बताया गया है, जिसमें ठेकेदार के ओवरहेड चार्ज (न्यूनतम वेतन/बोनस से ऊपर का वेतन लागत) और लाभ शामिल हैं, जैसे सफाई सामग्री की खरीद, बीमा शुल्क (वर्कमेन कंपेंसेशन पॉलिसी, तृतीय पक्ष दायित्व पॉलिसी), कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और पहचान पत्र प्रदान करने के लिए शुल्क और अन्य कोई भी खर्च जो 12 महीनों के लिए लागू है। [न्यूनतम सेवा शुल्क का अनुमाननिश्चित घटक का 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। सीमा से नीचे कोई भी अनुमानअमान्य माना जाएगा।]	कृपया MSTC वेबसाइट पर साल के लिए दर का उद्धरण दें, GST को छोड़कर। (सिस्टम स्वचालित रूप से 18% पर GST की गणना करेगा)

कवडियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड में बैंक के आवासीय कॉलोनियों के लिए शुल्क

3 **निश्चित घटक:** प्रस्तावक को इस घटक के लिए दरें उद्धृत नहीं करनी चाहिए। कुल कर्मचारियों के **12** महीने के सकल वेतन: यह राशि मूल वेतन (न्यूनतम) (साथ में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) हाउसकीपिंग स्टाफ (अकुशल) और पर्यवेक्षक (अर्द्ध-कुशल) के अनुसार भारत सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार, लागू कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), ईडीएलआई और प्रशासनिक शुल्क और बोनस सहित है। [प्रस्तावक को अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, ईएसआई और बोनस में योगदान देने के लिए घोषणा प्रदान करनी होगी; यदि नहीं, तो संबंधित राशि स्थिर घटक से घटा दी जाएगी]

	कर्मचारी की श्रेणी	प्रति वर्ष कार्यों की संख्या (तालिका 2)	प्रति वर्ष कुल वेतन (जीएसटी को छोड़कर)	प्रति वर्ष कुल राशि (जीएसटी सहित) पूर्णांकित
1	हाउस कीपिंग स्टाफ (अकुशल)	14600	1,27,82,411/-	1,50,83,245/-
2	पर्यवेक्षक (अर्द्ध कुशल)	939		

4	**परिवर्ती घटक:** बोलकता अपने इच्छित राशि को एमएसटीसी वेबसाइट पर जीएसटी को निकालकर उद्धृत कर सकता है। कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए सेवा शुल्क जैसा कि भाग I में विस्तार से बताया गया है, जिसमें ठेकेदार के ओवरहेड चार्ज (न्यूनतम वेतन/बोनस से ऊपर का वेतन लागत) और लाभ शामिल हैं, जैसे सफाई सामग्री की खरीद, बीमा शुल्क (वर्कमेन कंपेंसेशन पॉलिसी, तृतीय पक्ष दायित्व पॉलिसी), कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और पहचान पत्र प्रदान करने के लिए शुल्क और अन्य कोई भी खर्च जो 12 महीनों के लिए लागू है। [न्यूनतम सेवा शुल्क का उद्धरण निश्चित घटक का 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। सीमा से नीचे कोई भी उद्धरण अमान्य माना जाएगा]	कृपया एमएसटीसी वेबसाइट पर साल के लिए दर का उद्धरण दें**,** जीएसटी को छोड़कर। (सिस्टम स्वचालित रूप से 18% पर जीएसटी की गणना करेगा)

बैंक के मुख्य ऑफिस परिसर और निवासीय कॉलोनियों में हाउस कीपिंग के लिए विस्तृत अनुमान 2026-27

तालिका 1: <u>मुख्य कार्यालय भवन</u>

एसएल नं.	विवरण		को PERCENTAGE	सालाना तादाद	दर	कुल
	आरबीआई मुख्य कार्यालय भवन में हाउसकीपिंग सेवाओं के प्रदान करने के लिए वार्षिक शुल्क					
1	ए	न्यूनतम आधार वेतन (BW) प्लस परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) - **पर्यवेक्षक**		887	760.00	674120.00
	बी	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%	887	24.70	21908.90
	सी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित VDA	15,000 रुपये का 13%	36	1950.00	70200.00
	डी	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ VDA	8.33%	887	63.31	56155.97

	ई	न्यूनतम आधार वेतन (बीडब्ल्यू) प्लस परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए)- **कर्मचारी**		8499	674.00	5728326.00
	एफ	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%	8499	21.91	186213.09
	जी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित वी ड़ी ए	15,000 रुपये का 13%	372	1950.00	725400.00
	एच	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%	8499	56.14	477133.86
	'1' का उप कुल (राउंड ऑफ) (GST को छोड़कर)					**7939458**

तालिका 2: <u>आवासीय कॉलोनियाँ</u>

एसएल नं.	**विवरण**		**को PERCENTAGE**	**सालाना तादाद**	**दर**	**कुल**
	आरबीआई आवासीय कॉलोनियों (4 संख्या) में हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक शुल्क					
1	ए	न्यूनतम आधार वेतन (बीडब्ल्यू) प्लस परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए)- **पर्यवेक्षक**		939	760.00	713640.00
	बी	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%	939	24.70	23193.30
	सी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित वी ड़ी ए	15,000 रुपये का 13%	36	1950.00	70200.00
	डी	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%	939	63.31	59448.09
	ई	न्यूनतम आधार वेतन (बीडब्ल्यू) प्लस परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए)- **कर्मचारी**		14600	674.00	9840400.00

	एफ	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ 3.25% मूल वेतन के साथ VDA	3.25%	14600	21.91	319886.00
	जी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित VDA	15,000 रुपये का 13%	480	1950.00	936000.00
	एच	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%	14600	56.14	819644.00
	'2' का उप कुल (राउंड ऑफ) (GST को छोड़कर)					**12782411**

टिप्पणी:

1. प्रस्तावित किए जाने वाले सभी मूल्य 'यूनिट मात्रा' के लिए हैं, जो जीएसटी को छोड़कर होंगे। हालांकि, प्रस्तावित दरों पर 18% की दर से जीएसटी स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी और इसे बोली लगाने वाले रीयल-टाइम में देख सकते हैं।

2. विशेष कार्य को 'कार्य अनुबंध की सम्मिलित आपूर्ति' के रूप में माना जाता है, जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद 119 में परिभाषित है।

3. निविदा कर्ता जीएसटी @ 18% या बैंक को प्रस्तुत चालान में जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार चार्ज कर सकते हैं।